आर्थिक अपराध तथा पुलिस

डॉ जालम सिंह
राजस्थान पुलिस

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने पुलिस संबंधी पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 23 मई, 1979 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया था कि न्याय व्यवस्था, शांति व्यवस्था, अपराध शास्त्र तथा पुलिस अनुसंधान और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर लिखित हिन्दी की मौलिक पुस्तकों पर पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना प्रतिस्थापित की जाए। तदनुसार 22 मार्च, 1980 को अपर सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में हुई बैठक में निर्धारित मापदंडो के आधार पर इस संबंध में जो निर्णय लिए गए उसके अनुसार इस योजना को अंतिम रूप दिया गया। इस योजना के अंतर्गत भाग 1 में हिंदी में प्रकाशित मौलिक पुस्तकों को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 1982 से इस योजना के भाग 2 के अंतर्गत ब्यूरो द्वारा दिए गए विषयों पर पुस्तक लेखन कार्य कराया जाता है। इस योजना के तहत यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है।

इस पुस्तक में दिए गए विचार लेखक के निजी हैं इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं है।

प्रकाशक के सर्वाधिकार सुरक्षित -

प्रकाशक	-	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, एन.एच.-8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037
संपादन	-	विजय कुमार, संपादक
संपादन सहयोग	-	सतीश चन्द्र डबराल, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक
प्रथम संस्करण	-	2020
मुद्रक	-	जेके आफॅसेट ग्राफिक्स प्रा.लि., नई दिल्ली-20

आमुख

तेजी से बढ़ते वैश्वीकरण के दौर ने वैश्विक आर्थिक अपराधों में वृद्धि की है। आर्थिक अपराधों के पारम्परिक स्वरुपों जैसे भ्रष्टाचार एवं ग़बन में इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकियों ने आग में घी डालने का काम किया है। आज अपराध के नए-नए स्वरुप हमारे सामने आ रहे हैं, जिनमें मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, नकली मुद्रा, वित्तीय घोटाले, धोखाधड़ी, धनशोधन, हवाला लेन-देन एवं कंप्यूटर संबंधी अपराध प्रमुख हैं। ये अपराध देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इन अपराधों से निपटना पुलिस बलों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। औद्योगीकरण, बाज़ारीकरण एवं भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज के ताने-बाने को प्रभावित किया है। आजादी के बाद भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। आज का अपराधी कुछ दशकों पहले के अपराधी से पूर्णतया भिन्न हो चुका है। जहाँ कुछ वर्षों पहले का अपराधी मुँह पर गमछा बाँधकर मीलों पैदल चलकर रात होने पर डकैती डालता था, वहीं आज परिवहन की सुख-सुविधाओं में वृद्धि एवं इंटरनेट का विकास होने से अपराधी देश या विदेश में कहीं पर भी बैठे-बैठे साइबर अपराध को अंजाम दे सकता है। आज आर्थिक अपराध न केवल व्यक्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं, परन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा 'पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना' के अंतर्गत वर्ष 2017-2018 में आर्थिक अपराध तथा पुलिस विषय पर रूपरेखाएँ आमंत्रित की गई थी। समान्य वर्ग के लिए आरक्षित विषय 'आर्थिक अपराध तथा पुलिस' पर आई इस रूपरेखा को पुस्तक

लेखन हेतु चुना गया था। इस पुस्तक में आर्थिक अपराध का विस्तृत परिचय एवं इनके निपटान की दिशा में, भारत में आर्थिक अपराध से संबंधित कानूनों एवं अधिनियमों के क्रियान्वयन में, पुलिस की भूमिका के साथ अन्य नियामकीय प्राधिकरणों की भूमिका का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। पुलिस बलों को इन अपराधों का मुकाबला करने में सक्षम बनाने के लिए, सुझावों के साथ–साथ तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, यू.के., अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में व्याप्त अपराधों एवं प्रवर्तन प्राधिकरणों का परिचय दिया है व आम जनता तथा पुलिस कर्मियों की, आर्थिक अपराध के विशिष्ट संदर्भित मामलों के संबंध में, समझ को विकसित करने हेतु केस स्टडीज के माध्यम से विवेचन किया है।

इस पुस्तक में समय के साथ बढ़ते आर्थिक अपराधों का विस्तृत रूप में चित्रण करने प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक समस्त पुलिस बलों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

डॉ जालम सिंह

लेखक परिचय

26 मई 1978 को ग्राम कोहरा जिला जैसलमेर में जन्मे डॉ जालम सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। तत्पश्चात् अपना अध्ययन जारी रखते हुए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की और वर्ष 1998 में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुए। तत्पश्चात स्वयं अध्ययन किया और उच्च शिक्षा की उपाधियाँ प्राप्त कीं। डॉ सिंह ने वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक पुलिस विभाग, जैसलमेर में पदस्थापित रहते हुए पुलिस के विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ-साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हुए अपने अध्ययन को जारी रखा और कड़ी मेहनत से पुलिस विषय पर शोध एवं लेखन कार्य किए।

डॉ सिंह ने इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली से लोक प्रशासन विषय में 'राजस्थान पुलिस सेवा में निम्न स्तरीय कार्मिकों की कार्य सन्तुष्टि : जैसलमेर जिले के विशेष सन्दर्भ में एक अनुभवमूलक अध्ययन' विषय पर अपना शोध कार्य इग्नू की प्रोफेसर अलका धमेजा एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के लोक प्रशासन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पी.एस. भटनागर के मार्गदर्शन में पूर्ण किया। इसमें शोधार्थी ने कांस्टेबुलरी की कार्य संतुष्टि को प्रभावित करने वाले एवं कार्य वातावरण से सम्बन्धित घटकों की पहचान कर कांस्टेबुलरी में अभिप्रेरण एवं मनोबल को बढ़ावा देने वाले घटकों की पहचान की। इसमें कांस्टेबुलरी को अभिप्रेरित करने वाले राष्ट्रीय पुलिस आयोग एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों की विवेचना की गई। इसके अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबुलरी की ध रातलीय समस्याओं से निपटने के उपायों की एवं राजस्थान राज्य की पुलिस कांस्टेबुलरी में पेशेवर वृद्धि के उपायों की विवेचना

करते हुए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए। लोक प्रशासन के क्षेत्र में समकालीन विषय पर यह अनुभवमूलक अध्ययन पुलिस एवं प्रशासन के भारतीय सन्दर्भ में एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन है। इससे शोधार्थी, समाजसेवी, राजनीतिज्ञ, प्रशासक एवं पुलिस साहित्य में रुचि रखने वाले हितधारक लाभान्वित हो सकेंगे। पुलिस सुधार की दिशा में, ख़ासकर कांस्टेबुलरी के वेतन, पदोन्नति, प्रशिक्षण एवं आवास व्यवस्था के विशेष सन्दर्भ में इस शोध में विवेचना की गई ताकि पुलिस सुधार के सन्दर्भ में नीति निर्माण में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भरपूर सहायता मिल सके। इस शोध कार्य के लिए इग्नू द्वारा आपको पी.एच.डी. (डॉक्टर आफ़ फ़िलॉसफ़ी) की उपाधि प्रदान की गई। इस प्रकार जैसलमेर जिला पुलिस में ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने वाले यह पहले पुलिसकर्मी हैं। इस उपलब्धि की राष्ट्रीय स्तर के समाचार-पत्रों – टाइम्स ऑफ़ इण्डिया, अमर उजाला, पंजाब केसरी, राजस्थान पत्रिका एवं जैसलमेर के स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रशंसा हुई।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली की हिन्दी पत्रिका 'पुलिस विज्ञान' एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली की हिन्दी पत्रिका 'मानवाधिकार : नई दिशाएं' में पुलिसिंग विषय एवं अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों में आपके कुल 06 आलेख प्रकाशित हुए हैं।

डॉ. सिंह, हैड कांस्टेबल को पुलिस विभाग के प्रति पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा एवं समर्पित भाव से कार्य करने पर उत्तम सेवा चिह्न व अति उत्तम सेवा चिह्न से सम्मानित किया गया है।

अनुक्रमणिका

क्र. स.	विवरण	पृ.स.
1	अध्याय–1 : आर्थिक अपराध एक परिचय	1
2	अध्याय–2 : भारत में आर्थिक अपराधों से संबंधित कानून एवं अधिनियम	23
3	अध्याय–3 : भारत में आर्थिक अपराध एवं पुलिस	91
4	अध्याय–4 : भारत में आर्थिक अपराध एवं अन्य प्रवर्तन प्राधिकरण	141
5	अध्याय–5 : भारत में आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए पुलिस सेवाओं को सक्षम बनाना	155
6	अध्याय–6 : विकसित समाज में आर्थिक अपराध एवं व्यवस्था	177
7	अध्याय–7 : भारत में आर्थिक अपराध के संबंध में पुलिस कार्रवाइयाँ एवं विशिष्ट संदर्भित मामलों का केस स्टडीज के माध्यम से विवेचन	193
8	संदर्भ ग्रंथ सूची एवं वेब लिंक्स	221

अध्याय–1

आर्थिक अपराध : एक परिचय

यह अध्याय आर्थिक अपराध से संबंधित है, अतः अध्याय के प्रारम्भ में आर्थिक अपराध को भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए सर्वप्रथम भारतवर्ष में आर्थिक अपराध का परिचय देना आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में भारत की भौगोलिक स्थिति एवं जनसांख्यिकी, भारत का आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक अपराध – प्रस्तावना, आर्थिक अपराध की परिभाषा एवं अनुपमा जैकब द्वारा दिए गए अपराध के आर्थिक मॉडल की विस्तृत विवेचना दी गई है।

परिचय : एक नज़र में भारत

भारत की भौगोलिक स्थिति एवं जनसांख्यिकी

भारत की सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसकी अपनी बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्द्ध में 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक एवं देशान्तरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्द्ध में 68 डिग्री 7 पूर्वी देशान्तर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशान्तर तक स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी. तथा स्थलीय सीमा की लम्बाई 15,200 किमी. है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसका विश्व के क्षेत्रफल में योगदान 2.4 प्रतिशत है जबकि इसमें विश्व की 16.7 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। भारत की सीमा चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार एवं भूटान से लगती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या 121,08,54,977 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 51.47 प्रतिशत तथा

महिला जनसंख्या 48.53 प्रतिशत है। भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार, भारत में 2001–2011 दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 प्रतिशत रही, जबकि 1991–2001 में यह 21.54 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जन घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. तथा देश में साक्षरों की कुल संख्या 763.5 मिलियन है। इसमें पुरुष 56.9 प्रतिशत तथा 43.1 प्रतिशत महिलाएं हैं।

भारत का आर्थिक परिदृश्य

विश्व आर्थिक मंच ने 14 जनवरी 2018 को जो वैश्विक विनिर्माण सूचकांक जारी किया है, उसमें भारत की रैंकिंग 30 वें स्थान पर है। वर्ष 2016–17 में लगातार तीसरे वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक जीडीपी वृद्धि दर्ज करने के पश्चात् भारत की अर्थव्यवस्था कुछ धीमी वृद्धि की ओर अग्रसर हुई। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार 2017–18 में 6.5 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान था। यह हालिया घटनाक्रमों के आधार पर वर्तमान में 2017–18 के लिए पूर्वानुमानित 6.5 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत के दायरे से थोड़ा कम है। 2017–18 के लिए इस कमतर वृद्धि दर के साथ भी, 2014–15 से 2017–18 की अवधि के लिए जीडीपी वृद्धि का औसत 7.3 प्रतिशत रहा। जो विश्व के प्रमुख देशों में सबसे अधिक है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 2015–16 के रु.77,803/– से बढ़कर 2017–18 में रु.86,660/– हो जाने की सम्भावना है, जो 5.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का द्योतक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में भारत वर्तमान में 127 देशों की सूची में 60 वें स्थान पर आ गया है जबकि वर्ष 2016 में यह 66वें स्थान पर था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विकास लक्ष्यों, जिन्हें सितम्बर 2015 में विश्व समुदाय द्वारा अंगीकृत किया गया, में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को व्यापक

रूप से सम्मिलित किया है और इनमें सहस्राब्दि विकास लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। ऐतिहासिक कर सुधार में, लगभग सभी मुख्य अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित करते हुए 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवाकर लागू किया गया है।

आर्थिक अपराध - प्रस्तावना

आर्थिक अपराध आज के समाजों की एक मुख्य समस्या है। ख़ासकर विकासशील देश के समुदायों में यह एक अस्थिर घटक है। हालांकि विकसित देश भी इस अपराध से अछूते नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग के आविष्कारों, जैसे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने आर्थिक अपराध की परिस्थितियों एवं संभावनाओं में वृद्धि की है। लोग विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए कर चोरी, मानव व मादक पदार्थो का अवैध व्यापार, उत्पाद शुल्क चोरी के साथ-साथ कई हथकंडे अपना रहे हैं। आज वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में कई बदलाव हो रहे हैं। हालांकि आर्थिक अपराध का विषय 1960 एवं 1970 के दशक में आर्थिक अपराध की दुनिया में प्रविष्ट हुआ। शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री गैरी बेकर के शोध पत्र Crime and Punishment : An Economic Approach ने इस विषय को जन्म दिया। इसके अलावा एहर्लिच ने वर्ष 1973 में आर्थिक अपराध के एक ऐसे मॉडल की पहचान की, जिसमें डकैती, सेंधमारी, चोरी एवं वाहन चोरी को संपत्ति संबंधी अपराधों में शामिल कर अपना आनुभाविक अध्ययन परीक्षित किया। आर्थिक अपराध सामान्य रूप से आर्थिक विनियमों एवं नियमों का उल्लंघन है जिसमें कई प्रकार के उल्लंघन शामिल हैं। इसमें अधिकतर व्यापार विनियम, जिसमें ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी, नशीली दवाइयों एवं मादक पदार्थो की तस्करी, अवैध मानव तस्करी, हथियार और गोला-बारूद की तस्करी, कर चोरी, काले धन को वैध बनाना, वेश्यावृत्ति, बैंकिंग धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की 11वीं कांग्रेस, जो 25 से 28 अगस्त को बैंकॉक में आयोजित की गई, में आर्थिक अपराध से निपटने की विस्तृत सिफ़ारिशें की गई। इसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने शोध पत्रों के माध्यम से इस मुद्दे की रोकथाम के लिए कई सुझाव दिए। साथ ही, स्पष्ट किया कि आज अपराधियों के तौर-तरीके परिष्कृत हो गए हैं एवं कम्प्यूटर का तेजी से विकास होने व इंटरनेट सेवाओं के उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होने से क्रेडिट कार्ड से विस्तार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। साथ ही, इन अपराधों की प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की होने से इन्हें निरुद्ध करने के लिए एक प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन प्रणाली का मज़बूत होना बहुत ही अनिवार्य है। इसके लिए कानून प्रवर्तन एजेन्सियों के लिए सूचना तकनीक का ज्ञान बहुत ही अनिवार्य है।

आज भारत वर्ष में घटित होने वाले अपराधों में नवीन तकनीक एवं संसाधनों के प्रयोग के कारण अपराधियों में अपराध की प्रवृत्ति एवं कार्य विधि में परिवर्तन आ गया है। संचार के नए-नए साधनों के प्रयोग तथा आवागमन के संसाधन तेजी से बढ़ जाने के कारण प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या में वृद्धि, बेरोज़गारी, शहरीकरण, आर्थिक असमानताएँ, औद्योगीकरण, बढ़ती हुई महंगाई व ग़रीबी, नैतिक आदर्शों का पतन आदि कारणों से देश में अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। देश में इन दिनों सफेदपोश अपराधियों द्वारा घटित अपराधों की संख्या बढ़ रही है। नॉन-बैंकिंग फाइनेंस, निजी बैंकों, चिटफण्ड कम्पनियों आदि के माध्यम से आम जनता से ज़्यादा पैसे कमाने का प्रलोभन दिया जाता है। भोली-भाली जनता से करोड़ों रुपये इकट्ठे कर चम्पत हो जाते हैं। वायदा बाज़ार के माध्यम से करोड़ों रुपयों की वस्तुओं का अनैतिक व्यापार होता है। तेज़ी से हो रहे आर्थिक विकास के साथ-साथ अधिक असमानताएँ बढ़ जाने से समाज में कम समय

में अधिक पैसा कमाने के लालच के कारण माफिया, तस्कर, जालसाज़, हवाला माफिया, साइबर माफिया आदि सक्रिय हो गए हैं। इनके द्वारा अपने जाल में करीब-करीब पूरे देश में संगठित तरीके से अवैध गतिविधियाँ संचालित की जा रही है।

भारत में आर्थिक अपराध की रोकथाम की दिशा में सर्वप्रथम 'संथानम समिति' ने विकास में बाधा पहुँचाने वाले अपराधों की पहचान कर 37 मंत्रालयों / विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की विस्तृत जाँच की थी एवं भारतीय दण्ड संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन की सिफ़ारिश की थी। इस समिति की सिफ़ारिश के आधार पर भारत सरकार ने सतर्कता आयोग का गठन किया। सर्वप्रथम विधि आयोग ने अपनी 29वीं रिपोर्ट में सामाजिक-आर्थिक अपराधों का उल्लेख किया था। वर्तमान में 'मलिमथ समिति' ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं।

वर्ष 1990 में नई औद्योगिक नीति स्वीकार करने एवं उदारीकरण के दौर के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था कई घोटालों की साक्षी बनी, जिसमें हर्षद मेहता घोटाला 1992, चारा घोटाला 1996, स्टॉक मार्केट घोटाला 2001, सत्यम घोटाला 2009, 2 जी स्पैक्ट्रम घोटाला 2010, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला 2010 एवं कोयला घोटाला 2012 प्रमुख घोटाले हैं। इसके अलावा वर्तमान में बैंकों से धोखाधड़ी के संबंध में कई मामले प्रकाश में आए हैं, जिसमें हीरा कारोबारी नीरव मोदी, शराब कारोबारी विजय माल्या, मेहुल चोकसी एवं विक्रम कोठारी के मामले प्रमुख हैं। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक अधिकारियों से मिलीभगत कर लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग हासिल किए और व्यावहारिक रूप से उसने कोई ज़मानत नहीं दिखाई और बैंकों की विदेशी शाखाओं से 12,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम हासिल कर ली।

भारत में बैंकों का वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान में यहाँ राष्ट्रीयकृत बैंकों का विकास तेजी से हो रहा है। नोटबन्दी के बाद ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट व क्रेडिट कार्ड का उपयोग बढ़ने से ऑनलाइन ठगी की वारदातें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। आज फ़र्ज़ी बैंक अधिकारी बनकर, बैंक ग्राहकों को कॉल कर उनके बैंक खातों व ए.टी.एम. कार्ड आदि से रुपये उड़ा देने वाले गिरोह लम्बे समय से सक्रिय हैं। इसी के साथ-साथ ऑनलाइन ख़रीद में ठगी का शिकार होने अथवा पासवर्ड चुराकर ऑनलाइन राशि चोरी होने के मामले बढ़ रहे हैं। पुलिस के पास ए.टी.एम. से संबंधित अपराधों जैसे स्कीमिंग, ए.टी.एम. कार्ड की चोरी, लूट, ए.टी.एम. मशीन के पिनों के साथ छेड़छाड़, ऑनलाइन ए.टी.एम. कार्ड फ्रॉड, ए.टी.एम. कॉर्ड की क्लोनिंग, ए.टी.एम. मशीन को हटाना, ए.टी.एम. मशीन के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायतें आने से थानों में ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही हैं।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट्स 2008-2018 में इस औद्योगिक क्रांति के दौर में शीर्ष पाँच वैश्विक जोखिमों में से साइबर हमले को तीसरा एवं डेटा धोखाधड़ी या चोरी को चौथा जोखिम माना है।

आर्थिक अपराध निपटान की दिशा में वैश्विक स्तर पर कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्यरत हैं, जिनमें से मुख्य संगठन इस प्रकार हैं -

- Asian Development Bank (ADB)
- Inter-American Center of Tax Administrations
- Egmont
- EUROPOL United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

- Financial Action Task Force (FATF)
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
- World Bank Group
- World Customs Organization
- The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI)

आर्थिक अपराध की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रमों के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। संयुक्त राष्ट्र सभाओं, जैसे कर मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय सभा, वित्तीय कार्रवाई बल, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सभा, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सभा, आंतकवाद के वित्तीयन के प्रतिबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियम एवं स्वापक औषधियों तथा मन: प्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सभा का भारत द्वारा अनुसमर्थन किया गया है। इनके अलावा जी–20 एवं वैश्विक मंच के माध्यम से भारत सरकार अपनी सकारात्मक कार्रवाई कर रही है।

भारत सरकार ने आर्थिक अपराध निपटान की दिशा में वैश्विक स्तर पर आयोजित सम्मेलनों में भाग लेकर इस विषय के प्रति अपनी चिंता का परिचय दिया है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इन सम्मेलनों में भाग लेकर अपने अतिथि शोध पत्र प्रस्तुत किये, जिनमें पहला अतिथि शोध पत्र भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं सिक्किम पुलिस के महानिदेशक श्री एल.सी. अमरनाथन ने ECONOMIC CRIME IN INDIA विषय पर प्रस्तुत किया, जो अतिथि शोध पत्र संयुक्त

राष्ट्र की अपराध रोकथाम एवं अपराधियों का उपचार करने वाली एशिया और सुदूर पूर्व संस्थान The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI) के मार्च, 2000 में प्रकाशित संसाधन अध्ययन श्रृंखला सं. 55 में प्रकाशित हुआ। दूसरा अतिथि शोध पत्र दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी महानिरीक्षक डॉ. दीपा मेहता ने ECONOMIC CRIME IN A GLOBALIZING SOCIETY : IT'S IMPACT ON THE SOUND DEVELOPMENT OF THE STATE - AN INDIAN PERSPECTIVE विषय पर प्रस्तुत किया, जो सितम्बर, 2005 में प्रकाशित संसाधन अध्ययन श्रृंखला सं. 66 में प्रकाशित हुआ।

यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में आर्थिक अपराध एवं पुलिस की इस अपराध नियंत्रण की भूमिका के बारे विचार-विमर्श करते हैं तो भारत में यह एक नया अध्याय है। हालांकि भारतीय दंड संहिता एवं कानून इस अपराध से निपटने एवं इसकी रोकथाम दिशा में अपना कार्य कर रहे हैं। भारत में केन्द्रीय पुलिस बल, सी.बी.आई., राज्यों के पुलिस बल एवं पुलिस के अलावा प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, विदेश व्यापार महानिदेशालय, आयकर निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड एवं राज्यों के प्रवर्तन निदेशालय इस अपराध के निपटान की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आर्थिक अपराधों में वृद्धि के कारणों में बेरोज़गारी, आर्थिक पिछड़ापन, अत्यधिक जनसंख्या, अशिक्षा, समाजों में जनजागृति का अभाव एवं पुलिस और अन्य अनुसंधान ऐजेंसियों के पास अपर्याप्त अनुसंधान उपकरण रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2014 की अपनी रिपोर्ट में अलग से आर्थिक अपराध विषय

पर आँकड़े एकत्रित कर इस अपराध की भारत में वस्तुस्थिति का चित्रण किया है। यह प्रयास पुलिस बलों एवं कानून प्रवर्तन ऐजेंसियों को इस अपराध के प्रति सचेत करने का एक विनम्र प्रयास है। आज भूमंडलीकरण के प्रभाव के कारण विश्व के अधिकांश देश परस्पर एक-दूसरे पर आत्मनिर्भर हो गए हैं। भूमंडलीकरण ने आर्थिक फायदों के साथ-साथ कुछ आर्थिक अपराधों को जन्म दिया है। आज पुलिस के लिए लिए आर्थिक अपराधों से निपटना एक बड़ा जटिल काम है। इसके लिए बहुसंस्थागत एवं बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है।

आर्थिक अपराध की परिभाषा

आर्थिक अपराध की धारणा बहुत बड़ी है एवं जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई एक सर्वमान्य एवं सटीक परिभाषा नहीं है। अलग-अलग राष्ट्रों के कानूनों में इसे अलग -अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। इसकी सर्वमान्य परिभाषा का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ की अपराध रोकथाम एवं आपराधिक न्याय व्यवस्था पर वर्ष 2005 में 18-25 अपैल तक बैंकॉक में आयोजित 11 वीं कांग्रेस में उठाया गया एवं इस कांग्रेस के निष्कर्षों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि विशेषज्ञों के एक समूह की मीटिंग बुला कर आर्थिक अपराध की एक सर्वमान्य परिभाषा का निर्माण किया जाना चाहिए।

1981 में **यूरोप परिषद्** द्वारा आर्थिक अपराध की जो सूची बनाई गई है उसमें शामिल आर्थिक अपराध निम्न प्रकार के हैं-

1. कंपनियों का गठजोड़ (आपस में संघ बनाकर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण कर देना जिसमें सभी वस्तुओं के दाम एक साथ बढ़ेंगे एवं एक साथ घटेंगे)

2. बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी
3. खरीद धोखाधड़ी (राज्य या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुदानों का दुरुपयोग)
4. कंप्यूटर अपराध (डेटा चोरी, डेटा हेरफेर)
5. फर्जी फर्म
6. फर्जी कंपनी बैलेंस शीट और पुस्तक
7. कंपनियों की कोरपोरेट पूँजी की धोखाधड़ी
8. कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का उल्लंघन
9. लेनदारों की हानि के लिए धोखाधड़ी
10. उपभोक्ता धोखाधड़ी
11. गलत प्रतिस्पर्द्धा
12. उद्यमों द्वारा सामाजिक खर्चों के वित्तीय अपराध और चोरी
13. सीमा शुल्क अपराध
14. पैसे और मुद्रा नियमों संबंधित अपराध
15. स्टॉक एक्सचेंज और बैंक अपराध

बाद में धनशोधन के अपराध को इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा समय के बदलाव के साथ मानव तस्करी, नशीली दवाईयों/पदार्थों की तस्करी, वेश्यावृत्ति एवं कालाबाज़ारी संबंधित अपराधों को आर्थिक अपराधों में शामिल कर दिया गया है।

स्वीडिश नेशनल इकोनॉमिक क्राईम्स ब्यूरो ने अपनी आर्थिक अपराध रिपोर्ट 2004 में इस बात का उल्लेख किया है कि आर्थिक अपराध की अवधरणा अपने आप में ऐसी कई घटनाएँ शामिल करती है, जो इसे सक्रिय रूप से परिभाषित करने का प्रयास करती है। इसमें सीमापार से जुड़े अपराधों के मामले, सोना,

मोबाईल फोन, कंप्यूटर घटकों में धोखाधड़ी जैसे वैट धोखाधड़ी, वाणिज्यिक आयात में तस्करी, वित्तीय अपराध और कर की चोरी, खरीद में कर भ्रष्टाचार, विदेशी वित्तीय बाज़ारों से संबंधित कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिग, व्यावसायिक संस्थाओं के कानूनी रूपों का दुरुपयोग, नकली कंपनियों के सौदे व इनके नकली संस्थापक, हवाला संबंधित अपराध एवं संगठित अपराध आदि सभी आर्थिक अपराधों के रूप में परिभाषित है।

The US Legal Website के अनुसार, आर्थिक अपराध एक व्यक्ति द्वारा समूह या व्यक्तिगत आधार पर वितीय एवं व्यावसायिक लाभ के लिए किया जाता है।

सर्वप्रथम एडविन सदरलैण्ड ने इस शब्द के लिए 'व्हाइट कॉलर' शब्द का प्रयोग वर्ष 1939 में एक भाषण में किया था तथा 1949 में एक मोनोग्राफ के लिए परिभाषित किया कि ये अपराध उच्च सामाजिक स्थिति एवं सम्मानीय व्यक्ति द्वारा अपनी व्यवसाय के सन्दर्भ में किए जाते हैं।

भारत में 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' के अनुसार, आर्थिक अपराध वे अपराध हैं जो अकेले या सहयोगियों के साथ संगठित रूप से, अवैध तरीके से धन कमाने के इरादे से तथा आर्थिक अपराध निपटान के सरकार के कानूनी या नियामकीय अभिकरणों के प्रावधानों का उल्लघंन कर किए जाते हैं।

आर्थिक अपराधों के प्रकार

आज के परिवेश में नए-नए आर्थिक अपराधों का जन्म हो रहा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम नज़र डालते हैं तो इस अपराध के हमें कई रूप दृष्टिगत होते हैं। यहाँ पर कुल 23 प्रकार के मुख्य अपराधों को अग्रांकित तालिका संख्या 1.1 में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है-

तालिका संख्या 1.1
आर्थिक अपराधों के प्रकार

क्र.सं.	आर्थिक अपराधों के प्रकार
1	कर की चोरी
2	अवैध माल की तस्करी
4	उत्पाद शुल्क में चोरी
5	प्राचीन कलाकृतियों की चोरी
6	काले धन को वैध बनाना
7	अचल संपत्ति धोखाधड़ी
8	मानव अंगों की तस्करी
9	अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी
10	कपटपूर्ण दिवालियापन
11	बैंक धोखाधड़ी
12	बीमा धोखाधड़ी
13	रोज़गार में धोखाधड़ी का धंधा
14	अवैध विदेशी व्यापार
15	यात्रा संबंधी झूठे दस्तावेज़
16	क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी
17	आंतकवादी गतिविधियों मे धन विनिमय
18	हथियारों की अवैध तस्करी
19	सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार एवं रिश्वतख़ोरी
20	कंप्यूटर कानून/सॉफ़्टवेयर चोरी/साइबर कानून
21	शेयर बाज़ार हेर-फेर
22	कंपनी धोखाधड़ी (प्रतिबंध)
23	अत्यावश्यक वस्तुओं का अवैध संग्रह तथा कालाबाज़ारी

अपराध के तीन मुख्य आर्थिक मॉडल

अपराध के तीन मुख्य आर्थिक मॉडल हैं। प्रत्येक मॉडल अलग-अलग घटकों पर जोर देता है जो प्रत्येक व्यक्ति के अपराध निर्णय एवं प्रतिबद्धता के साथ ही अपराध से लड़ने के तरीकों के साथ ही अपराध से लड़ने की शक्ति देता है। यह तीनों मॉडल अनुपमा जैकब द्वारा प्रतिपादित है। अनुपमा जैकब अजुसा पेसिफिक विश्वविद्यालय, कैलीफोर्निया (संयुक्त राज्य अमेरिका) में प्रोफेसर हैं। अनुपमा जैकब द्वारा इन मॉडल्स को 2007 में संयुक्त राज्य अमेरिका के फ़ेडरल ब्यूरो ऑफ़ इनवेस्टीगेशन द्वारा प्रकाशित समेकित अपराध रिपोर्ट, जिसमें प्रति एक लाख निवासियों पर 1988-1998 एवं 1997-2000 के बीच जघन्य अपराधों में क्रमश: 11 प्रतिशत एवं 17.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, पर परिलक्षित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही, इसके माध्यम से यह कोशिश की गई है कि आधुनिक समाज में इस बुराई यानी अपराध को कैसे रोका जाए? साथ ही, व्यक्ति द्वारा अपराध करने के निर्णय लेने के कारणों को इन मॉडल्स में समझाया गया है।

1. अपराध का तर्कसंगत मॉडल

अर्थशास्त्र को एक अनुशासन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अध्ययन करता है कि आपूर्ति के बल और समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुर्लभ संसाधनों को किस प्रकार आवंटित किया जाता है? समान रूप से अर्थशास्त्री तर्क देते हैं कि व्यक्तियों के लिए उचित या अवैध गतिविधियों में समय और प्रयास के अपने दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के बीच विकल्प का परिणाम अपराध है। एक प्रमुख धारणा यह है कि जब व्यक्ति विकल्प बनाते हैं तो वे अपने फायदे व नुकसान के

आधार पर तर्कसंगत साधनों के उन विकल्पों को चुनते हैं जो सबसे अधिक लाभ प्रदान करते हैं और जो विकल्पों के साथ उस लागत को पार करने के लिए स्वीकार किए जाते है। तर्कसंगत मॉडल पर आधारित अपराधों के सिद्धान्तों को प्रारम्भिक रूप से 18 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में बैन्थम और बेकोरिया जैसे प्रारम्भिक दार्शनिकों द्वारा शुरू किया गया था। बैन्थम ने निम्नलिखित तर्क दिए:

''अपराध का लाभ वह बल है जो मनुष्य को अपराधी होने का आग्रह करता है। दण्ड की पीड़ा उसे ऐसा करने से रोकती है। यदि इसमें से पहला यानि अपराध का लाभ बड़ा है तो अपराध किया जाएगा। यदि दूसरा प्रभाव में है यानि दण्ड की पीड़ा बड़ी है तो अपराध नहीं किया जाएगा।'' ईदे 2000 पृष्ठ 346

अपराध के लाभ को पारम्परिक रूप से मौद्रिक लाभ के रूप में माना जाता है, लेकिन इसमें शारीरिक, मानसिक और अन्य लाभ भी शामिल हो सकते हैं। तर्कसंगत परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति अपना विकल्प चुनते हैं कि वे अपना समय किस तरह से अच्छी तरह से बिता सकते हैं अर्थात् वे अपना विकल्प चुनते हैं। इस विकल्प को बनाते समय वे इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि उनका अवैध या कानूनी कार्य में समय बिताने से कितनी लागत एवं लाभार्जन होता है? इस प्रकार वे एक अपराध केवल तभी करें जब विकल्प से अपेक्षित लाभ अधिक हो। इसके साथ जुड़ी अनुमानित लागत तर्कसंगत मॉडल पर केन्द्रित है। इस प्रकार तर्कसंगत मॉडल अपराध, व्यक्तिगत अपराध करने के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहन पर जोर देते हैं। तर्कसंगत मॉडल की एक प्रमुख आलोचना यह है कि योजनाबद्ध एवं विचारशील निर्णय लेने की प्रक्रिया अवसरवादी नहीं है। बल्कि यह एक दुस्साहसी अपराधिक गतिविधि है।

2. अपराध का वर्तमान-उन्मुख या मायोपिक मॉडल

मानव प्राणी आमतौर पर अधीर होते हैं। अधिकांश लोग तत्काल पुरस्कार और सम्बन्ध लागत को कम करने की धारणा रखते हैं। तर्कसंगत व्यवहार की अवधारणा से अर्थशास्त्री उन मामलों का अध्ययन कर सकते है जहाँ अपराध और तर्कसंगत या मायोपिक तरीके से व्यवहार करते हैं।

व्यक्तियों के लिए सज़ा का ख़तरा वर्तमान उन्मुखी नहीं है क्योंकि अवैध गतिविधि लाभ वर्तमान लाभ के करीब है जबकि संबंधित दण्ड बहुत दूर भविष्य का विषय है जिसमें वह झूठ बोल सकता है। *बैंफील्ड* 1977

वर्तमान उन्मुख व्यक्ति जब अल्पावधि लाभ पर ध्यान देते हैं तो वे आमतौर पर तर्कसंगत निर्णय नहीं करते और अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों को अनदेखा करते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि तर्कसंगत मॉडल में प्रयुक्त प्रतिरोध यंत्रक औपचारिक रूप से वर्तमान-उन्मुखी अपराधियों को रोक नहीं पाएगा जब सभी चीजें समान हों तो एक प्रभावी रणनीति की बाधा को एक व्यक्ति की अल्पकालिक वरीयताओं को लक्षित करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रेरणाओं और अपराध से जुड़े रहने का कारण अलग-अलग होना है।

फ्लोरिडा का कानून प्रवर्तन विभाग अपराधियों की गिरफ्तारी एवं आरम्भिक दण्ड के प्रति विशेष रूप से ध्यान देता है। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि किशोरों के बीच अपराध दर में, जब वे 18 वर्ष की आयु को पार कर जाते हैं तो उन्हें वयस्क अपराधियों के रूप में माना जाता है और वे अपराध में गिरावट की ओर बढ़ते हैं।

नागिन और पोगार्सकी ने कॉलेज छात्रों की जांच की और बताया कि उनके साथ किस प्रकार धोखा हो सकता है। साथ ही, पाया कि उनमें धोखाधड़ी की प्रवृत्ति अधिक थी, जिनमें दण्ड कम था और जिनमें दण्ड अधिक था, उनमें धोखाधड़ी प्रवृत्ति कम थी साथ ही, वर्तमान-उन्मुख व्यक्तियों में धोखाधड़ी की मात्रा अधिक थी। शहरी नृवंशज्ञों जैसे फ्लेशर 1995 और एंडरसन 1999 ने पाया कि अपराध प्रवण युवक पारंपरिक रूप से वर्तमान-उन्मुख है।

3. कट्टरपंथी राजनीतिक अर्थव्यवस्था मॉडल

तर्कसंगत और वर्तमान उन्मुख मॉडलों का मुख्य ध्यान कानून और अवैध गतिविधियों के बीच का समय आवंटित करने का व्यक्ति के निर्णय पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसके विपरीत कट्टरपंथी राजनीतिक आर्थिक मॉडल महत्त्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक कारणों, जो इसको अपराध बनाए रखते हैं, इस मॉडल के मुख्य कारक हैं। इस मॉडल के मुख्य घटक ग़रीबी और असमानता, बेरोज़गारी, रिश्तेदारों पर निर्भरता एवं वर्ग से संबंधित हैं। ये सभी कारक परस्पर एक-दूसरे से संबंध रखते हैं। तुलनात्मक रूप से सापेक्ष आय पर केन्द्रित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, व्यक्ति अपनी पहचान कायम रखते हैं जिस समूह से वे सम्बन्ध रखते हैं। सापेक्ष अभाव के मॉडल का सम्बन्ध आर्थिक आपराधिक गतिविधियों, जैसे चोरी और डकैती से पाया जाता है। साथ ही, आय की असमानता एवं अपराध के बीच सकारात्मक सम्बन्ध पाया जाता है। ग़रीबी और धन की दरों में आमतौर पर अन्तर अपराध दर भिन्नता को प्रभावी करता है। वर्ष 1960 में संघीय ग्रेट सोसायटी के समर्थकों के कार्यक्रम में यह विश्वास किया गया है कि ग़रीबी और जीवन के स्तर में सुधार से अपराध कम होंगे और ग़रीबों की आपराधिक गतिविधियों में भागीदारी कम होगी। *निक्सन 1983*

असमानता एवं अपराध के बीच जाँच के लिए या परीक्षण के लिए अमीरों और ग़रीबों के बीच अपराधियों को मापा जाता है। *ऐहर्लिच 1973 फ्लेशर 1976*

हालांकि निक्सन 1983, इस तथ्य के आधार पर इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि धनवानों की अपेक्षा ज़्यादातर अपराध ग़रीब समुदाय के भीतर होते हैं। गोर्डन 1973 का तर्क है कि पूंजीवाद समाजों में असमानता पैदा करता है और असमानता अपराध को जन्म देती है। गोर्डन के अनुसार, आपराधिक व्यवहार पूंजीवादी समाजों के ढाँचों का भाग है और उस ढाँचे से सामाजिक आर्थिक द्वन्द्व पैदा होते है जो इस ढांचे का परिणाम है। परिणामस्वरूप, अपराध ग़रीबों द्वारा अपने अस्तित्व को बनाए रखने का परिणाम है। विभिन्न मॉडल बेरोज़गारी एवं अपराध के बीच सम्बन्धों पर जाँच करते हैं। कुछ आर्थिक मॉडल मानते हैं कि बेरोज़गारी या तो अपराध के अवसरों की लागत को कम कर देती है या कानूनी रोज़गार के अलावा आय के अन्य स्त्रोतों से पूरा करने की आवश्यकता पर ज़ोर देती है। कट्टरपंथी सिद्धान्तों का मानना है कि बेरोज़गारी में ग़रीबी बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप, अभाव आपराधिक गतिविधियों एवं सज़ा को कम कर देता है। अप्रत्यक्ष परिणाम यह है कि संघर्ष बढ़ता है। थोर्नबेरी क्रिस्टेनसन 1984 ने फिलाडेल्फिया में अपने अध्ययन में अनुदैधर्य पलटन से प्राप्त डेटा के इस्तेमाल से पाया कि बेरोज़गारी का आपराधिक भागीदारी पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उन्होंने पाया कि बेरोज़गारी के दौरान अपराध दर, खासकर सम्पत्ति संबंधी अपराधों की उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। अन्य अध्ययन जैसे विट्टे और ताउचेन 1994, लेविट 1996, विट, क्लार्क और फिल्डिंग 1997 ने भी बेरोज़गारी और अपराध के बीच सकारात्मक सम्बन्ध पाए। दिलचस्प बात है कि

केंटर और लैण्ड 1985 ने बेरोज़गारी के बीच नकारात्मक सम्बन्ध पाया। साथ ही, रोज़गार अपराध के साथ जोड़ने में कमज़ोरी यह है कि दो गतिविधियों को एक-दूसरे से स्वतंत्र माना जाता है। कुछ अपराधियों (जैसे दवा विक्रेताओं) ने पाया कि कानूनी और अवैध कार्यों के बीच स्विच उपलब्ध अवसरों पर निर्भर करता है। यह कमज़ोरी विशेष तौर से चुनौतीपूर्ण हो जाती है जब वंचित युवा उसका अनुसरण करते हैं।

फ्रीमैन 1999 ने पाया कि युवाओं के अपराध में शामिल होने की जब रिपोर्ट आती है और उनमें जब वे गिरफ्तारी के नज़दीक होते हैं तो कानूनी कामों में कमी आ जाती है। आज युवा अपराधी अपनी आय के अनुकूल करने के लिए उपलब्ध सभी आर्थिक अवसरों का लाभ लेने की खोज में रहते हैं।

अर्थशास्त्रियों को इस पर विचार करना चाहिए कि पर्यावरण और व्यवहार कारक घटक, जैसे सहकर्मी समूहों के दबाव, परिवार और समुदाय की स्थिति इस घटना को समझने में कितनी महत्त्वपूर्ण है?

वर्ग - आपराधिक गतिविधियों को वर्ग के विशिष्ट विचारों से संबंधित करने का प्रयास मार्क्स के वर्ग संघर्ष विश्लेषण पर आधारित होता है। कानून का उपयोग ग़रीब वर्गों के प्रति भेदभावपूर्ण माना जाता है। टेलर, वाल्टन और यंग 1975 का सुझाव यह है कि एक विवादित समाज में विचित्र व्यवहार एक प्रतिक्रिया हो सकती है। समाज के वर्गों में चोरी या चोरी से संबंधित अपराधों में सफेदपोश अपराधियों के प्रति दृष्टिकोण में पक्षपात पाया जाता है। समाज के अमीर वर्ग की तुलना में ग़रीब लोगों को कानून का निशाना बनाया जाता है।

जैकब के आर्थिक अपराध मॉडल्स का स्पष्टीकरण

जैकब के तर्कसंगत मॉडल का स्पष्टीकरण

तर्कसंगत मॉडल के अंतर्गत व्यक्ति अपराध करने का जब निर्णय करता है तो सोचता है कि अपराध से कितना तत्काल लाभ होगा और अपराध की कीमत क्या है यानी अपराध करने के बाद वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो न्यायालय में वकीलों को फीस देनी पड़ेगी और जमानत की धन राशि की व्यवस्था करनी पड़ेगी आदि निर्णय करता है। समाज में उसके परिवार वाले एवं मित्र उसे क्या कहेंगे आदि-आदि। इस प्रकार यह व्यक्ति भविष्य-उन्मुख है, परन्तु इसका एक पक्ष यह है कि व्यक्ति सोचता है कि वह 15 दिन जेल में काटकर जमानत करा लेगा इत्यादि। इसके अलावा वह सोचता है कि इस अपराध में दंड ज़्यादा है तो वह अपराध नहीं करेगा। सोचता है कि अपराध जमानत योग्य है और न्यायालय में गवाही देने वाला कोई नहीं है, तो वह अपराध करने का निर्णय करता है। इस प्रकार तर्कसंगत व्यक्ति अपराध करने से पहले समय पर तार्किक निर्णय लेकर अपराध करता है कि अपराध से उसे कितना लाभ है और कितना नुकसान? इससे स्पष्ट होता है कि कानून में दंड को कठोर करने एवं जुर्माना बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। दंड के भय से व्यक्ति अपराध से दूर रहेगा। साथ ही, समाज का भी उसे भय रहता है। इस प्रकार माता-पिता, रिश्तेदारों, शिक्षकों, समाज सुधारकों एवं संत-महात्माओं के बारे में सोचकर व्यक्ति अपराध नहीं करने का निर्णय करता है।

जैकब के वर्तमान - उन्मुख मॉडल का स्पष्टीकरण

इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति अपराध करते समय आगे -पीछे की नहीं सोचता यानी पुलिस द्वारा पकड़े जाने की, दंड की, समाज की एवं घर परिवार की, किसी के बारे में भी वह नहीं

सोचता है। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति अधीर होते हैं। अपराधी यह सोचकर अपराध करता है कि वर्तमान में उसे काफी फायदा हो रहा है। वह सोचता है कि पुलिस उसे पकड़ पाएगी या उसकी पहचान होगी या नहीं। यदि किसी ने गवाही नहीं दी तो पुलिस उसको नहीं पकड़ पाएगी। यदि भविष्य में पुलिस पकड़ भी लेगी तो उसे कोई घाटा नहीं है। वह यह भी सोचता है कि मैं अभी 18 साल का नहीं हूँ। मुझे पुलिस पकड़कर थाने नहीं ले जा पाएगी। न्यायालय में भी मुझे अवयस्क होने का फायदा मिलेगा आदि-आदि।

जैकब के कट्टरपंथी राजनीतिक अर्थव्यवस्था मॉडल का स्पष्टीकरण

इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति अपराध करते समय यह सोचता है कि मुझे नेताओं का संरक्षण या अफसरों का सहयोग मिलेगा। इसमें भाई-भतीजावाद के बल पर अपराधी ग़लत धंधे करते हैं। शराब माफिया, भू माफिया, मिलावटखोरी करने वाले, दलाल, तस्कर, साइबर अपराधी, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी करने वाले इस मॉडल के मुख्य घटक हैं। साथ ही, ग़रीब लोग समाज में जीवन-यापन के लिए इस प्रकार के अपराध करते हैं। बेरोज़गारी के कारण पढ़े-लिखे लोग अवैध धंधे करते हैं। समाज में कानून का समान रूप से पुलिस या अन्य संस्थाओं द्वारा पालन नहीं किया जाता है। इस प्रकार ऐसे समाज में ग़रीब अधिक ग़रीब होते जाते हैं एवं अमीर और अधिक अमीर। समाज में वर्ग संघर्ष पाया जाता है। ग़रीब यदि अपराध करता है तो पुलिस और न्यायालय उसे तुरन्त दंडित कर देते हैं जबकि सफेदपोश अपराधी अपने राजनीतिक आकाओं के बल पर एवं रसूखात के आधार पर पुलिस पकड़ से दूर रहते है और पर्दे के पीछे रहकर अवैध धंधे एवं अपराध करते रहते हैं। इस प्रकार विकासशील देश, जैसे भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश इस मॉडल के उदाहरण हैं।

अनुपमा जैकब द्वारा प्रतिपादित अपराध के आर्थिक मॉडल को अग्रांकित आकृति संख्या 1.1 में निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है-

आकृति संख्या 1.1
अनुपमा जैकब का मॉडल

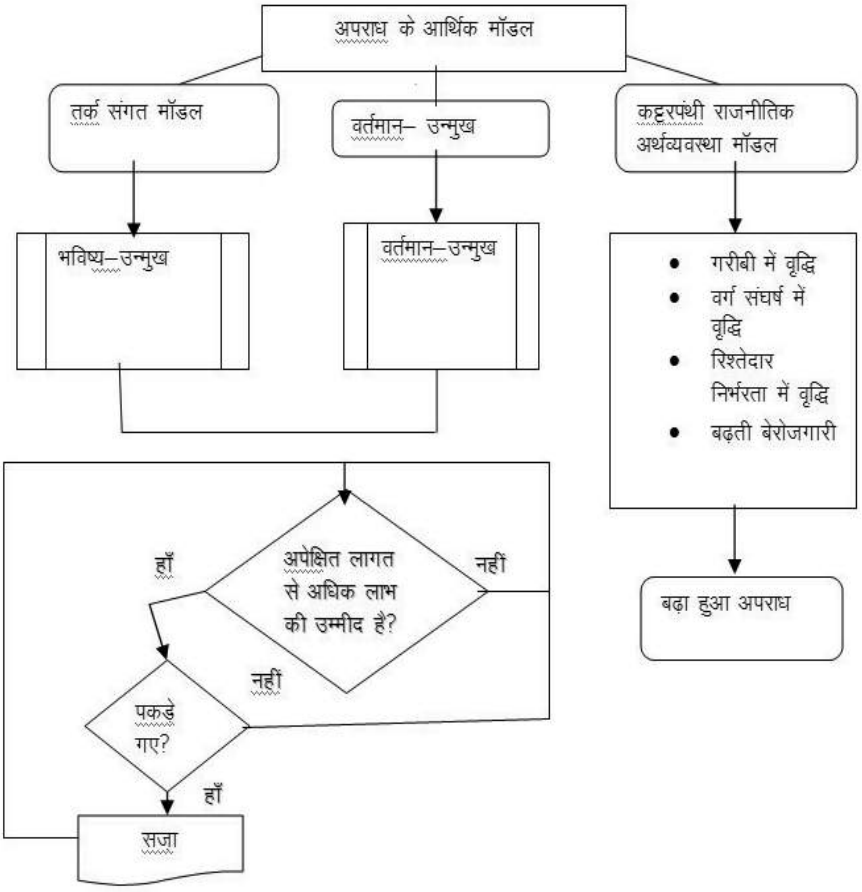

• • •

अध्याय–2

भारत में आर्थिक अपराधों से संबंधित कानून एवं अधिनियम

जैसा कि पूर्व अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि आज विश्व समाजों की एक मुख्य समस्या आर्थिक अपराध हैं। वैश्वीकरण एवं बढ़ती प्रौद्योगिकी ने इस अपराध की वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस अपराध ने भारतीय समाज में अस्थिरता का वातावारण पैदा कर पुलिस बलों के समक्ष कई चुनौतियाँ पैदा की हैं। हालांकि भारत में इन अपराधों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता एवं स्थानीय विशेष कानून प्रभावी है। जिस समय भारतीय दंड संहिता लागू हुई उस समय ऐसे अपराध कम ही घटित होते थे, परन्तु उसके बाद जैसे–जैसे समय में बदलाव आया तो लोगों में नैतिकता का ह्रास होने लगा। लोग धन कमाने की लालसा में आर्थिक अपराध की ओर प्रवृत्त हुए। भारत में स्वंतत्रता के बाद इन अपराधों से निपटने के लिए समय–समय पर भारतीय दंड संहिता में संथानम समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर कई बदलाव किए गए हैं। इस अध्याय में आर्थिक अपराधों को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक कानूनों में भारतीय दंड संहिता 1860 के विशेष उपबंधों के साथ–साथ स्थानीय विशेष कानूनों की बिंदुवार विस्तृत विवेचना देने का विनम्र प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की आर्थिक अपराध रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराएँ आर्थिक अपराध से संबंधित हैं–

आपराधिक न्यासभंग (भारतीय दंड संहिता की धारा 406 से 409)

छल करना (भारतीय दंड संहिता की धारा 420)

जालसाजी (भारतीय दंड संहिता की धारा 465,468 एवं 471)

कूटकरण (भारतीय दंड संहिता की धारा 231–235, 237–240 एवं 242–243, 255 और 489 क से 489ड़)

इन धाराओं का बिंदुवार विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा सकता है।

(अ) आपराधिक न्यास भंग

आपराधिक न्यास भंग भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में परिभाषित है।

यह अपराध तब बनता है जब –

- दोषी व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई सम्पत्ति अमानत के रूप में सौंपी गई हो, तथा
- वह बेईमानी से ऐसी सम्पत्ति का उपयोग करे या उसे खुर्द–बुर्द कर दे तथा ऐसा करते हुए वह किसी अनुबंध या कानून का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन करे।

आपराधिक न्यास भंग में अन्वेषण के दौरान निम्न तथ्य स्पष्ट तौर पर प्रमाणित किए जाने चाहिए :

1. संबंधित संपत्ति का दोषी व्यक्ति को सौंपा जाना।
2. दोषी द्वारा कानून, नियम या नीतियों/दिशानिर्देशों आदि का उल्लंघन करते हुए संपत्ति को खुर्द–बुर्द करना।

सज़ा

- तीन साल या जुर्माना या दोनों (**भा.दं.सं.की धारा 406**) यदि अभियुक्त वाहक या गोदाम की देख-रेख करने वाला है, तो अधिकतम सज़ा 7 वर्ष या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है (**भा.दं.सं. की धारा 407**)

- अगर अभियुक्त क्लर्क या नौकर है, तो अधिकतम सज़ा 7 वर्ष या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है (भा.दं.सं. की धारा 408), तथा

- अगर अभियुक्त विचाराधीन संपत्ति से संबंधित एक लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी, दलाल, अटॉर्नी या एजेंट है, तो अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास या 10 वर्ष या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है (भा.दं.सं. की धारा 409)

(ब) 415 भा.दं.सं. में छल को इस प्रकार परिभाषित किया गया है-

- पीड़ित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से कोई संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए उत्प्रेरित करना (जो वह व्यक्ति अन्यथा नहीं देता),या

- पीड़ित व्यक्ति को जान-बूझकर कुछ ऐसा करने या न करने के लिए उत्प्रेरित करना जिसे वह अन्यथा न करता, और जिसके करने या न करने से पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक, दिमागी, प्रतिष्ठा या संपत्ति की हानि हो या हानि होने की संभावना हो।

व्याख्या - बेईमानी से तथ्यों को छुपाना धोखा करने के समान है।

साधारण छल भा.दं.सं. की धारा 417 के अंतर्गत दंडनीय है परन्तु सज़ा केवल एक वर्ष या जुर्माना दोनों है। यह अपराध जमानतीय एवं असंज्ञेय है।

(स) 420 भा.दं.सं. -छल करना

इस धारा में छल तथा बेईमानी से पीड़ित व्यक्ति की संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने के लिए उत्प्रेरित करने के अपराध को परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो मात्र **छल** से इस धारा का अपराध नहीं बनता। छल के साथ-साथ इस बात का भी साक्ष्य होना चाहिए कि अभियुक्त के किसी कार्य को करने या न करने से पीड़ित व्यक्ति को अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ा या किन्हीं महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ों में बदलाव, उनसे छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट किया गया। धारा 420 के तहत अपराध के लिए सात वर्ष की सज़ा, जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

घटक

जो भी किसी व्यक्ति को छलता है तथा ऐसा करके,

- कपटपूर्वक उस पीड़ित व्यक्ति को अपनी कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को सुपुर्द करने के लिए उत्प्रेरित करता है, या
- किसी मूल्यवान प्रतिभूति या फिर ऐसी किसी वस्तु जिसे मूल्यवान प्रतिभूति बनाया जा सके, को तैयार करता है, उसमें बदलाव लाता है या उसे नष्ट कर देता है,

ऐसा व्यक्ति धारा 420 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध करता है।

(द) मिथ्या दस्तावेज़ रचना

भा.दं.सं. की धारा 464 के अंतर्गत मिथ्या दस्तावेज़ तैयार करने की परिभाषा दी गई है।

घटक

किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज़ को **मिथ्या** तभी कहा जाएगा

1. यदि वह बेईमानी से या कपटपूर्वक उसे तैयार करता है, उस पर हस्ताक्षर करता है, उसे मुहरबंद करता है या उस दस्तावेज़ के किसी भाग को इस प्रकार से निष्पादित करने की कोशिश करता है जिससे ऐसा लगे कि वह दस्तावेज़ किसी ऐसे आधिकारिक व्यक्ति द्वारा तैयार, हस्ताक्षरित, मुहरबंद या निष्पादित किया गया है जिसने वास्तव में न तो उसे बनाया है, न हस्ताक्षरित किया है, न मुहरबंद किया है और न ही उसे निष्पादित किया है अथवा

2. वह बेईमानी से या कपटपूर्वक, बिना कानूनी अधिकार के, खुद या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले से तैयार, निष्पादित या हस्ताक्षरित दस्तावेज़ में बाद में फेर-बदल करता है अथवा

3. वह बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी व्यक्ति को किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने, मुहरबंद करने, उसे निष्पादित करने या उसमें परिवर्तन करने के लिए यह जानते हुए उत्प्रेरित करता है कि ऐसा व्यक्ति निम्न कारणों से दस्तावेज़ में वर्णित तथ्यों से पूर्णतया अनभिज्ञ है:

- दिमागी अस्थिरता
- मादक पदार्थ का प्रभाव
- अभियुक्त द्वारा धोखेबाज़ी

भाग 3 में वर्णित अपराध में व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता कि उस दस्तावेज़ में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया है।

भारतीय दंड विधान में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधन किए जाने के पश्चात् धारा 464 भारतीय दंड संहिता में मिथ्या दस्तावेज़ रचना में उपधारा–ग में **इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर** या **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड** तथा उपधारा–घ में **इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर** जोड़ा गया तथा स्पष्टीकरण में **इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर** शब्द जोड़ा गया। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 द्वारा धारा 464 में **अंकीय हस्ताक्षर** के स्थान पर **इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर** का प्रतिस्थापन किया गया।

(य) 465 भा.दं. स. (कूट रचना का दंड)

जो कोई कूट रचना करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह अपराध असंज्ञेय तथा जमानतीय है। तथा यह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

(र) 467 भा.दं.स. (**मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत इत्यादि की कूट रचना**)

जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज़ की, जिसका अभिप्राय कोई मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत या पुत्र के दत्तक ग्रहण का प्राधिकार होना हो अथवा जिसका अभिप्राय किसी व्यक्ति को मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अंतरण का प्राधिकार देना या उस पर कोई

मूलधन, ब्याज या लाभांश प्राप्त करना या कोई भी चल संपत्ति, पैसे या मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त करने का प्राधिकार होना अथवा कोई दस्तावेज़ जिसका अभिप्राय धन के भुगतान को स्वीकार करके ऋण मुक्ति की रसीद होना या किसी जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की भरपाई रसीद होना हो, की कूट रचना करेगा तो उसे आजीवन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

यह अपराध असंज्ञेय तथा गैरजमानती है। इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। यह अपराध केवल तब संज्ञेय है, जब कूट रचना केन्द्र सरकार के वचनपत्र Promissiory Note से संबंधित हो।

(ल) 468 भा.दं.स. (छल के प्रयोजन के लिए कूट रचना)

जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि (वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है,) छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

यह अपराध संज्ञेय एवं गैरजमानती है।

अन्य कानून

आधुनिक परिवेश में बदली हुई आपराधिक प्रवृत्तियों और नए जमाने के अपराधों के लिए विशिष्ट प्रावधानों वाले अलग-अलग कानून विद्यमान हैं। आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए कई कानून विद्यमान हैं, जिसमें विशेष एवं स्थानीय कानून प्रमुख है। इन अधिनियमों एवं नियमों को अग्र तालिका संख्या 2.1 के माध्यम से दर्शा कर मुख्य अधिनियमों का विवेचन करने का विनम्र प्रयास किया गया है।

तालिका सं. 2.1

विशेष एवं स्थानीय कानून

क्र.सं.	अधिनियम का विवरण
1	आयकर अधिनियम, 1961
2	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)
3	सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962
4	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम एवं नमक अधिनियम, 1944
5	प्राचीन वस्तुएँ एवं कला निधि अधिनियम, 1972
6	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
7	विदेशी अंशदान एवं विनियमन अधिनियम, 1976
8	मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994
9	नशीली दवाएँ एवं साइकोट्रॉपिक अधिनियम (स्वापी) पदार्थ अधिनियम, 1985
10	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
11	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
12	आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947
13	पासपोर्ट अधिनियम, 1920
14	पोटा अधिनियम, 2002
15	आयुध अधिनियम, 1959

क्र.सं.	अधिनियम का विवरण
16	विस्फोटक अधिनियम 1884
17	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908
18	कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (1984 एवं 1994 में संशोधित)
19	सूचना तकनीक अधिनियम, 2000
20	कंपनी अधिनियम, 1956 एवं एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1968
21	अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम,1955
22	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
23	गैर-कानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के अंतर्गत अपराध
24	चिट फ़ण्ड अधिनियम, 1982

आयकर अधिनियम, 1961

कर की चोरी

ज़्यादातर देशों में उच्च कर के कारण सभी समाजों में करों से बचने के लिए कई प्रोत्साहन प्रचलित हैं। लोग कर के लिए कुछ विकल्प चुन लेते है। करों का पूर्ण भुगतान नहीं करना या कर के आश्रयों, जैसे सेवानिवृत्ति स्रोत, दस्तावेज़ों को छिपाने जैसे हथकंडे अपनाना। कई देशों में बैंकिंग और वित्तीय गोपनीयता जमाकर्ताओं और निवेशकों की पहचान की रक्षा करती है। जैसे

भारत में काले धन को लेकर हो-हल्ला मचा है। साथ ही में स्विस बैंकों में जमा कालेधन पर हाल ही में एस.आई.टी. की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें कई कर चोरों के नाम उजागर हुए हैं। वर्ष 2017 में भारतीयों की और से स्विस बैंकों में जमा होने वाले धन में 50 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। स्विट्जरलैंड को 'टैक्स हेवन' के नाम से जाना जाता है। भारतीयों द्वारा वहाँ धन जमा कराने का कारण वहाँ का गोपनीय कानून है। स्विस बैंकिंग एक्ट 1934 के तहत बैंक अपने खाता धारकों की जानकारी उनकी अनुमति के बिना सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि पुलिस एवं अदालत भी बैंक से उनके ग्राहकों के बारे में जानकारी नहीं माँग सकते हैं। साथ ही, बैंक गोपनीयता कानून की धारा 47 के अनुसार स्विट्जरलैंड के हर बैंक अधिकारी/ कर्मचारी, बैंकिंग संबंधित संस्थाएँ, एजेंट लेखा -परीक्षक (ऑडिटर) और स्वयं बैंक निगरानी आयोग के सदस्य और कर्मचारी भी गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाध्य हैं।

हमारे देश में सरकारी राजस्व प्राप्तियों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है- **कर राजस्व** एवं **ग़ैर कर राजस्व**

कर से राजस्व : कानून के दायरे में रहकर किए गए भुगतानों के माध्यम से सरकार को प्राप्त राशि इस श्रेणी में आती है।

कर से भिन्न राजस्व :

कर से इतर अन्य माध्यमों, यथा- शुल्क/उपभोक्ता प्रभार, लाभांश एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ, ब्याज प्राप्ति और जुर्माना आदि से प्राप्त होने वाला राजस्व कर भिन्न राजस्व कहलाता है। दुनिया के अधिकतर देशों में सरकारी राजस्व में कर राजस्व की हिस्सेदारी अत्यधिक होती है।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर

करों को व्यापक तौर पर दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है : प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर।

प्रत्यक्ष करः ऐसा कर, जिसकी देनदारी सीधे तौर पर किसी कंपनी, समूह या व्यक्ति के ऊपर होती है, उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, वैसी एंटिटी जो सरकार को कुछ खास प्रकार के कर का भुगतान सीधे तौर पर करती है और जिस कर को परोक्ष रूप से भी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर आय, सम्पत्तियों और सम्पदा पर लगाए जाते हैं।

अप्रत्यक्ष करः ऐसा कर, जिसका बोझ वस्तु एवं सेवाओं के कारोबारी लेन–देन के ज़रिये दूसरे व्यक्ति के कंधे पर खिसका जा सकता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर एवं मूल्यवर्धित कर (वैट) आदि अप्रत्यक्ष करों में शामिल हैं। ऐसे अनेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर हैं, जो विभिन्न प्रकार की आयों, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा बिक्री और सीमा पार वस्तुओं के आवागमन पर लगाए जाते हैं। इन करों में जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है –

जीएसटी : एक संक्षिप्त परिचय

कर सुधार किसी भी देश के विकास की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होते हैं। भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए रोल मॉडल ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों ने भी पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कर सुधार किए हैं। माल एवं सेवा कर पूरे देश के लिए एक लाभदायक व्यवस्था है। स्वतंत्र

भारत का सबसे बड़ा कर सुधार और वर्ष 1991 की संरचात्मक सुधार के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार संसद की दोनों सभाओं में 11 वर्षों के राजनीतिक निलंबन, विवाद और चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। गुड्स एंड सर्विसेज़ कर (जीएसटी), जो 15 अलग केंद्रीय और राजकीय वस्तु और सेवा करों को समाहित करेगा, सारे राज्यों के अप्रत्यक्ष करों को एक साथ मिलाकर सम्पूर्ण भारत को एक संगठित बाज़ार का स्वरूप देगा।

स्वतंत्र भारत के सबसे महत्त्वाकांक्षी कर सुधार, वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी की शुरुआत के लिए लंबे इंतज़ार को ख़त्म किया। अब जबकि 122वां संविधान संशोधन विधेयक (101वां संशोधन) कानून बन चुका है, जो केंद्र और राज्य को समान रूप से जीएसटी लगाने के लिए सक्षम बनाता है। तदनुसार, भारत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के रूप में जीएसटी को अपनाने वाले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मलेशिया जैसे चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया।

जीएसटी की विशेषताएं

माल एवं सेवा कर की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं –

1. वस्तुओं के निर्माण अथवा बिक्री पर या सेवाओं के प्रावधान पर देय मौजूदा कराधानों की तुलना में माल और सेवा कर वस्तुओं अथवा सेवाओं के प्रदाय पर लागू होगा। यह गंतव्य–आधारित उपभोग कर होगा। यह एक दोहरा कर होगा। जहाँ वस्तु एवं सेवा का उपभोग होगा, उसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र को यह कर उपार्जित होगा।

2 मानव उपभोग के लिए एल्कोहलिक लिकर एवं पाँच पेट्रोलियम उत्पादों यथा अपरिष्कृत पेट्रोलियम क्रूड मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस एवं विमानन टरबाइन ईंधन के अलावा सभी वस्तुओं पर माल और सेवा कर लागू होगा। यह कर कुछ सेवाओं, जिन्हे विनिर्दिष्ट किया जाना है, को छोड़कर सभी सेवाओं पर लागू होगा। केन्द्र द्वारा वर्तमान में उद्गृहित एवं एकत्र किए जाने वाले निम्नलिखित करों की जगह माल और सेवा कर लगेगा।

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
2. उत्पाद शुल्क ड्यूटी (औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ)
3. उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (विशेष महत्त्व की वस्तुएँ)
4. उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (टेक्सटाइल एवं टेक्सटाइल उत्पाद)
5. सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी
6. सीमा शुल्क की अतिरिक्त विशेष ड्यूटी
7. सेवा कर
8. केन्द्रीय प्रभार एवं उपकर, जहाँ तक ये वस्तुओं की आपूर्ति एवं सेवाओ से संबंधित है।

राज्य कर, जिनको माल एवं सेवा कर में सम्मिलित किया जाएगा–

1. राज्य वैट
2. केन्द्रीय बिक्री कर

3. लक्ज़री कर

4. एंट्री कर (सभी प्रकार के)

5. मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद कर (सिवाय जब यह कर स्थानीय निकायों द्वारा वसूला जाता हो)

6. विज्ञापनों पर कर

7. क्रय कर

8. लॉटरी, सट्टेबाज़ी एवं जुए पर कर

9. राज्य प्रभार एवं उपकर, जहाँ तक वे वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रदाय से संबंधित हैं।

छूट प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची केन्द्र एवं राज्यों के लिए समान होगी।

कम्पोज़ीशन (सम्मिश्रण उद्ग्रहण) योजना

एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये तक संकलित आवर्त (टर्न ओवर) के छोटे करदाता इस योजना हेतु पात्र माने गए हैं। ऐसा करदाता इस योजना के अधीन इनपुट कर प्रत्यय लाभ लिए बिना वर्ष के दौरान अपनी टर्नओवर के विनिर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर कर का भुगतान करेगा। सीजीएसटी एवं एसजीएसटी/यूटीजीएसटी, प्रत्येक के लिए कर की दर निम्नलिखित से ज़्यादा नहीं होगी –

- रेस्टोरेंट आदि के मामले में 2.5 प्रतिशत।
- विनिर्माता के मामले में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में टर्नओवर का 1 प्रतिशत
- अन्य प्रदायों के मामले में राज्य /संघ राज्य क्षेत्र में टर्नओवर का 0.5 प्रतिशत

कम्पोज़ीशन योजना (सम्मिश्रण उद्ग्रहण) को चुनने वाले करदाता अपने उपभोक्ताओं से कोई कर नहीं लेंगे और न ही वे किसी इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने के हकदार होंगे।

कम्पोज़ीशन (सम्मिश्रण उद्ग्रहण) योजना वैकल्पिक है। अन्तरराज्यिक प्रदाय करने वाले करदाता कम्पोज़ीशन योजना के हकदार नहीं होंगे। जीएसटी परिषद् की संस्तुति पर सरकार योजना के लिए छूट की सीमा को एक करोड़ रुपये तक बढ़ा सकती है।

जीएसटी परिषद्

जीएसटी परिषद् की व्यवस्था, केन्द्र एवं राज्यों के साथ-साथ राज्यों के बीच जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर संगतिकरण सुनिश्चित करेगी। यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि जीएसटी परिषद् अपने विभिन्न कार्यों के निर्वहन में जीएसटी के सामंजस्यपूर्ण संरचना के सृजन की आवश्यकता तथा वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु सुव्यवस्थित राष्ट्रीय बाज़ार के विकास के लक्ष्यों द्वारा मार्गदर्शित होगी।

जीएसटी एवं पुलिस

जीएसटी के 14 वें अध्याय नियम 67 से 72 में निरीक्षण, तलाशी, ज़ब्ती एवं गिरफ़्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है। हालांकि **जीएसटी के संबंध में पुलिस को सीधी कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं है। आयकर विभाग के आयुक्त को ही कार्रवाई का अधिकार है। जीएसटी के संबंध** में नियम 72 के उपनियम (1) में उल्लेख किया गया है कि पुलिस, रेलवे, कस्टम, राज्य के कर संग्रहण अधिकारी, जिसमें गाँव के अधिकारी शामिल हैं, इस अधिनियम के पर्याप्त क्रियान्वयन में सहायता करेंगे।

प्राचीन वस्तुएँ एवं कला निधि अधिनियम, 1972

सांस्कृतिक सम्पत्ति और पुरावस्तुओं की चोरी

भूमिका

भारतवर्ष वैदिक काल से ही कलाओं का स्थल रहा है। कांस्य प्रतिमाओं और मूर्तियों के निर्माण में पल्लव, चोल राजाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कलात्मक वस्तुओं ने सदा ही कला प्रेमियों, व्यवसायियों, विजेताओं और चोरों को ललचाया और आकर्षित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कलात्मक वस्तुओं की चोरी अधिकतर उनकी सुरक्षा के अभाव के कारण होती है। इसके काफी प्रमाण हैं कि आजकल पुरावस्तुओं और कलात्मक वस्तुओं के व्यापार की एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली चल पड़ी है। यह प्रणाली उन संग्रहकर्त्ताओं की माँग को पूरा करती है जो अपनी हवस की पूर्ति में नैतिकता-अनैतिकता का कोई ध्यान नहीं रखते।

समस्या की व्यापकता

इस समस्या की जड़े अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर फैली हुई हैं। सन् 1973 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन (इंटरपोल) ने इस समस्या की व्यापकता का पता लगाने के लिए प्रश्नावली परिचालित की थी और 39 देशों से उत्तर प्राप्त हुए थे, जिनमें से 27 देशों ने यह कहा था कि वे समस्या से ग्रस्त हैं। इस तरह के 16 देशों में चोरी की बढ़ती संख्याएँ पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष चिंता का कारण बनी हुई थी।

इस अपराध के लिए अपनाए जाने वाले तरीके

कानूनी व्यवस्थाएँ - भारतीय सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम,

1958, पुरातन वस्तुएँ एवं कला एवं निधि अधिनियम, 1972 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 आदि विभिन्न अधिनियम बनाए गए।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

काले धन को वैध बनाना अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की कला है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अवैध आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। इस पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोध कानून 2002 को जनवरी 2003 में अधिनियमित किया, जो 1 जुलाई, 2005 में लागू हो गया। इस संबंध में प्रायः पूछे जाने वाली प्रश्नोत्तरी की एक लंबी शृंखला को यहाँ दर्शाया जा रहा है।

प्रश्न 1. पीएमएलए क्या है?

प्रिवेंशन आफ़ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 को संक्षिप्त रूप में पीएमएलए कहते हैं। इसका हिन्दी रूपांतरण 'धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002' है।

प्रश्न 2. क्या यह कानून पूरे भारत में लागू है?

जी, हाँ। इसे जम्मू-कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत में लागू किया गया है।

प्रश्न 3. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 कानून बनाने का क्या उद्देश्य है?

जैसा कि अधिनियम की प्रस्तावना में बताया गया है कि यह

कानून धन शोधन की रोकथाम के लिए है और अवैध रूप से कमाई गई सम्पत्ति (धन) को ज़ब्त करने का अधिकार देता है, जो धन शोधन या इससे जुड़ी गतिविधियों से अर्जित की गई हो।

प्रश्न 4. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का प्रयोग किस प्रशासनिक एजेंसी द्वारा किया जाता है?

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करने वाले प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत धन शोधन के अपराध के मामलों की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है।

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-इंडिया), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय राष्ट्रीय अभिकरण, प्रवर्तन अभिकरणों और विदेशी वित्तीय आसूचना इकाइयों के संबंध में संदिग्ध वित्तीय कारोबारों से संबंधित सूचना प्राप्त करने, प्रक्रिया चलाने, विश्लेषण करने और उसके फैलाव के बारे में जांच के लिए उत्तरदायी है।

प्रश्न 5. धन शोधन क्या है?

बहुत सारी आपराधिक गतिविधियाँ ऐसी होती हैं, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ग़ैर कानूनी तरीके से बड़ी मात्रा में धन अर्जित करता है। धन शोधन वह प्रक्रिया है, जिससे ये अपराधी मूल रूप से अवैध तरीके से कमाए काले धन को वैध बनाते हैं। अवैध हथियारों की ख़रीद-फ़रोख्त, तस्करी और अन्य संगठित अपराध, जिसमें नशीले पदार्थों की बिक्री और बड़े पैमाने पर वेश्यावृत्ति भी शामिल है, के माध्यम से काफ़ी मात्रा में धन पैदा किया जाता है। ग़बन, शेयरों की अवैध ख़रीद-फ़रोख्त,

रिश्वतख़ोरी और कंप्यूटर के द्वारा धोखाधड़ी से भी भारी मात्रा में रकम पैदा की जाती है और धन शोधन से कमाए धन को 'वैध' करने का फ़र्ज़ीवाड़ा किया जाता है। इस प्रकार पैदा किए गए धन को 'दाग़दार' और दूषित धन/काला धन कहते हैं। धन शोधन अपराधों में संलिप्त होकर धन कमाने की प्रक्रिया है, जिसमें दूषित धन/काले धन को वैध बनाने की कोशिश की जाती है।पीएमएलए, 2002 में, धन शोधन को संपत्ति के छिपाव, स्वामित्व अथवा इस्तेमाल और इसको बेदाग़ संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने अथवा दावा करने सहित आपराधिक प्रक्रिया से जुड़ी किसी प्रक्रिया अथवा गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रश्न 6. धन शोधन कैसे काम करता है?

आमतौर पर धन शोधन प्रक्रिया नीचे लिखे तीन चरणों में पूरी होती है:

(अ) वित्तीय प्रणाली (व्यवस्था) में घुसपैठ : धन शोधन के पहले चरण में आपराधिक तरीकों से कमाए गए काले धन की वित्तीय प्रणाली (व्यवस्था) में घुसपैठ कराई जाती है। इसका तरीका यह है कि भारी धन राशि को छोटी-छोटी रकमों के रूप में अलग-अलग बैंकों में नकद अथवा चेक या बैंक ड्राफ्ट आदि बनवाकर जमा कराया जाता है, जिन्हें अलग-अलग स्थानों पर एक या अधिक बैंक खातों में जमा किया और निकाला भी जाता है।

(ब) धन का निरन्तर गतिशील बनाना : धन शोधन के दूसरे चरण में जमा किए गए धन को लगातार गतिशील बनाए रखा जाता है, जिनके अंतर्गत फंड का स्थानांतरण और लेन-देन वित्तीय संस्थान अथवा बैंक के मार्फ़त कई खातों के ज़रिए निरंतर जारी रखा जाता है। इससे वे अवैध कमाई के स्त्रोत को छिपा लेते हैं। अवैध कमाई करने वाले अपने फंड की गतिशीलता के लिए कई

चैनल्स, जैसे विभिन्न स्थानों और बैंकों में खाते आदि का इस्तेमाल करते हैं। वे विश्व की ऐसी बैंकों में खाते खोल सकते हैं, जहाँ के न्याय क्षेत्र धन शोधन विरोधी जाँच में सहयोग नहीं करते।

(स) वैध अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाना: अवैध कमाई करने वाले अपनी रक़म को उक्त दो चरणों में पहुंचाने के बाद तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं, जहाँ उनका फंड (धन) वैध अर्थव्यवस्था में पहुंच जाता है। इस तरह उनकी अवैध कमाई उनके कथित वैध स्त्रोतों से कमाए धन के साथ घुल-मिल जाती है। अब मनी लॉन्ड्रर अपनी कथित वैध रकम का निवेश रीयल एस्टेट, व्यावसायिक उद्योगों और वैभवशाली संपदाओं में करता है। इस प्रकार वह अपनी कथित वैध कमाई को बिना किसी कानून के डर से लगातार बढ़ाता रहता है।

यह आवश्यक नहीं है कि उपर्युक्त तीन चरणों का क्रम एक जैसा हो। समयानुसार अवैध रकम से मिलाकर वित्तीय प्रणाली (व्यवस्था) में घुसपैठ की जा सकती है। कैसीनो (जुआघर) और रीयल एस्टेट जैसे कुछ विशेष धंधे नकद लेन-देन से चलाए जाते हैं, वो अपने अवैध कारोबार को मुख्य धारा के वित्तीय प्रणाली (व्यवस्था) में घुसपैठ किए बिना भी चला सकते हैं

प्रश्न 7. धन शोधन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हुए हैं?

धन शोधन की बढ़ती हुई प्रवृति को काबू में करने के लिए पेरिस में 1989 में हुए जी-7 समिट में धन शोधन पर 'फायनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स' (एफ़एटीएफ.) का गठन किया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल कायम किया जा सके। एफ़एटीएफ़ की सिफ़ारिश के अनुसार, सर्वप्रथम सदस्य देशों से कहा गया कि सरकारों को प्रभावशाली ढंग से अपने-अपने देश में धन शोधन के विरुद्ध अभियान चलाना चाहिए।

प्रश्न 8. धन शोधन के ख़तरे से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

भारत सरकार धन शोधन के ख़तरे से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में दुनिया भर में जो कोशिशें की जा रही हैं, उनमें अपनी भागीदारी निभाती है। एंटी-धन शोधन/ आतंकवाद के वित्त पोषण के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं।

1. आतंकवाद का वित्त पोषण रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन (1999)

2. अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन (2000) और

3. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन (2003) 8 से 10 जून 1998 को सम्पन्न हुई संयुक्त राष्ट्र आम सभा के एक विशेष सत्र में एक राजनीतिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, (इस घोषणा पत्र पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं) जिसमें सदस्य देशों से धन शोधन के विरुद्ध कार्यक्रम तैयार करने को कहा गया। भारतीय संसद ने एक विशेष विधेयक के जरिए 'धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002' (पीएमएलए 2002) नामक विशेष कानून बनाया। इस कानून को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने हेतु 2009 में (1.6.2009 से प्रभावी) संशोधित किया, अब उसे 'धन शोधन निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2009' के नाम से लागू किया गया है। इस अधिनियम को 'धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012' द्वारा आगे संशोधित किया गया तथा 15.02.2013 से लागू किया गया।

प्रश्न 9. धन शोधन अपराध क्या है?

जब कोई व्यक्ति सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या जानबूझ कर सहायता करने में या कोई पार्टी, वास्तव में किसी आपराधिक प्रक्रिया या गतिविधि से जुड़कर अपनी संपति को बेदाग़ बनाने में लिप्त हो, वह धन शोधन का अपराधी कहलाता है। (पी.एम.एल.ए. की धारा–3)

प्रश्न 10. अपराध जनित फल क्या है?

यहां 'अपराध जनित फल' का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई संपत्ति हासिल या उत्पन्न करना है, जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, अनुसूचित अपराधों की गतिविधियों से संबंध हो या इस प्रकार की किसी संपत्ति का मूल्यांकन किया गया हो। धारा 2(1) (यू),

प्रश्न 11. अनुसूचित अपराध क्या हैं?

जो अपराध धन शोधन निवारण (अधिनियम, 2002 की धारा 2(1) (वाई) में सूचीबद्ध हैं, वे अनुसूचित अपराध हैं। अनुसूचित अपराधों को दो भागों में बांटा गया है–भाग–ए, और भाग–सी। भाग ए में, 28 पैराओं में अनुसूचित अपराध सूचीबद्ध किए गए हैं और इनमें भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ के तहत अपराध, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध, आयुध अधिनियम के तहत अपराध, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत अपराध, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत अपराध, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध और पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम आदि के किए जाने वाले अपराध शामिल हैं।

भाग 'सी' में सीमा पार से संबंधित अपराधों को रखा गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में होने वाली धन शोधन गतिविधियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 15 फरवरी, 2013 अर्थात् पीएमएलए में किए गए संशोधनों को अधिसूचित करने की तारीख से पहले अनुसूचित अपराधों के लिए भाग 'बी' भी अनुसूचित था, जिसमें धन शोधन के अपराध के लिए जांच-पड़ताल आरंभ करने हेतु तीस लाख रुपये की आर्थिक सीमा रखी गई थी। फिर भी, ये सभी अनुसूचित अपराध, जो भाग 'बी' में अनुसूचित थे, अब उन्हें 15-02-2013 से अनुसूची भाग 'ए' में शामिल कर लिया गया है। अतः अब, पीएमएलए के अंतर्गत जांच आरंभ करने की कोई आर्थिक सीमा नहीं रखी गई है।

प्रश्न 12. विधेय (विषय उद्देश्य जुड़े हुए) अपराध क्या हैं?

प्रत्येक अनुसूचित अपराध विधेय (विषय के उद्देश्य से जुड़ा हुआ) है। इन सूचीबद्ध अपराधों को विधेय अपराध कहा गया है क्योंकि यह अपराध धन शोधन को अंजाम देने के लिए पहली शर्त और इसके अभिन्न अंग हैं।

प्रश्न 13. इस अनुसूची में कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम शामिल हैं?

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860

(ख) नशीली दवाएं और साइकोट्रोपिक (स्वापी) पदार्थ अधिनियम, 1985

(ग) गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967

(घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

(ड़) सीमा शुल्क अधिनियम (कस्टम अधिनियम), 1962

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम (सेबी अधिनियम), 1992

(छ) कॉपीराइट अधिनियम, 1957

(ज) ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999

(झ) सूचना तकनीक अधिनियम, 2000

(ण) विस्फोटक अधिनियम (एक्सप्लोसिव अधिनियम), 1908

(त) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

(थ) पासपोर्ट अधिनियम, 1920

(द) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

(ध) आयुध अधिनियम, 1959

प्रश्न 14. अनुसूचित अपराधों की जांच कौन करता है?

पुलिस, कस्टम, सेबी, एसीबी, सीबीआई आदि जैसी एजेंसियां संबंधित कानूनों के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों की जांच करती हैं।

प्रश्न 15. धन शोधन के मामलों की जांच कौन कर सकता है?

पीएमएलए की धारा 48 व 49 के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को धन शोधन के मामलों की जांच का दायित्व सौंपा गया है। इन अधिकारियों को धन शोधन के अपराधों के लिए अवैध संपत्ति की ज़ब्ती और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध विशेष अदालत में अभियोजन दायर करने का अधिकार है।

प्रश्न 16. धन शोधन के आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के ख़िलाफ़ क्या संभव कार्रवाई की जा सकती है?

धन शोधन के आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के ख़िलाफ़ निम्न संभव कार्रवाहियाँ की जा सकती हैं:-

(ए) धारा 5 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की, धारा 17 या 18 के तहत संपत्ति का ज़ब्तीकरण/रोक लगाना तथा रिकॉर्ड हासिल करना। संपत्ति में पीएमएलए 2002 के अंतर्गत अपराध अथवा किसी भी प्रकार के अनुसूचित अपराधों के आरंभ होने में किसी भी प्रकार की इस्तेमाल की गई संपत्ति शामिल है।

(बी) धन शोधन के आरोप में दोषी पाए गए व्यक्तियों को कम-से-कम 3 वर्ष का सश्रम कारावास का प्रावधान है, जो अपराध की गंभीरता देखते हुए 7 वर्ष सश्रम कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, जुर्माना भी लगाया जा सकता है (धारा-4)।

(सी) यदि अनुसूचित अपराध स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत आता है तो सज़ा की अवधि कम-से-कम 3 वर्ष तो है, लेकिन इसे 10 वर्ष सश्रम कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगेगा।

(डी) किसी विधिक न्यायिक व्यक्ति का अपराध अथवा आरोप सिद्धि किसी अन्य व्यक्ति के अपराध अथवा आरोप सिद्धि पर प्रासंगिक नहीं है।

प्रश्न 17. अधिनियम के अंतर्गत जांच अधिकारी को क्या अधिकार प्राप्त हैं?

जांच अधिकारी को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:-

(क) अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न अथवा प्राप्त संपति की अंतिम कुर्की अथवा ऐसी संपत्ति का मूल्य (धारा-5)

(ख) स्थल का सर्वे करना (धारा 16)

(ग) भवन, स्थल, बर्तन, गाड़ी (ट्रक/बस) या एयरक्राफ्ट की तलाशी लेना, उपलब्ध रिकॉर्ड और संपत्ति को कब्ज़े में लेना (धारा 17)

(घ) व्यक्तिगत तलाशी लेना (धारा 18)

(ड़) धन शोधन में लिप्त आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करना (धारा 19)

(च) संबंधित व्यक्तियों को सम्मन जारी करना और उसका बयान रिकॉर्ड करना (धारा 50)

(छ) अंतिम निर्णय आने तक उस संपत्ति को ज़ब्त करना, जिसे अपराध करके कमाया गया हो।

प्रश्न 18. सर्वे के दौरान अधिकृत एजेंसी के क्या अधिकार हैं?

अधिकृत एजेंसी सर्वे के दौरान निम्न कार्य कर सकती है –

(क) सर्वे के दौरान निरीक्षण किए गए स्थल की पहचान को रिकॉर्ड करना और उनकी प्रतियां बनाना।

(ख) संपत्ति की जांच रिपोर्ट बनाना, उसको प्रमाणित करना अथवा उसकी जांच करना।

(ग) घटना–स्थल पर मौजूद उस व्यक्ति का बयान रिकॉर्ड करना जो इस अधिनियम की कार्रवाई के अंतर्गत उपयोगी अथवा संबंधित हो (धारा 16)।

प्रश्न 19. तलाशी और ज़ब्ती के दौरान अधिकृत अधिकारी

के क्या कार्य हैं?

अधिकृत अधिकारी निम्न कार्य कर सकता है –

(क) वह किसी भवन, स्थल, बर्तन, बोट/जहाज़, गाड़ी या एयरक्राफ्ट की तलाशी ले सकता है जहां अपराध से संबंधित कोई प्रमाण या रिकॉर्ड छिपे होने का संदेह हो।

(ख) वह संदेहास्पद दरवाज़ों, बॉक्स, लॉकर, सेफ़ या अलमारी के तालों की चाबी उपलब्ध न होने पर तोड़ सकता है।

(ग) हर तरह के रिकॉर्ड या संपत्ति को अपने कब्ज़े में ले सकता है जो तलाशी के दौरान उसे मिले हों।

(घ) ऐसे रिकॉर्ड पर पहचान के निशान बनाना, तलाशी की रिपोर्ट का सारांश तैयार करना या उनकी प्रतियां करना।

(ड़) रिकॉर्ड या संपत्ति की जांच रिपोर्ट या टिप्पणी तैयार करना।

(च) तलाशी के समय मौजूद व्यक्ति के बयान सशपथ लेने का अधिकार नियम के अंतर्गत है, जिसके नियंत्रण में कोई रिकॉर्ड अथवा संपत्ति हो।

(छ) जहां ऐसे रिकॉर्ड अथवा संपत्ति को ज़ब्त करना व्यवहार्य प्रतीत न हो तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति पर रोक लगाने का आदेश दे सकता है, जहां पर ऐसी संपत्ति का हस्तांतरण अथवा अन्य कारोबार नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी से पूर्व अनुमति नहीं ली जाए (धारा 17)।

प्रश्न 20. जांच के दौरान कब्ज़े में लिए गए रिकॉर्ड और संपत्ति को अपने अधीन रखने की समय सीमा क्या है? जांच और ज़ब्ती के दौरान संपत्ति/रिकॉर्ड की ज़ब्ती के आदेश को जारी रखने की समय-सीमा क्या है?

कब्ज़े में ली गई संपत्ति/रिकॉर्ड को उनके कब्ज़े में लेने की तारीख से 180 दिन तक की अधिकतम अवधि के लिए संपत्ति/रिकॉर्ड को अपने अधीन रख सकता है, जबकि पीएमएलए के तहत अधिकृत अधिकारी की अनुमति से 180 दिन के बाद भी ऐसी संपत्ति को अपने अधीन रखा जा सकता है (धारा 20 और 21)।

प्रश्न 21. जांच/तलाशी के दौरान व्यक्ति/नागरिक के क्या अधिकार हैं?

(क) यदि कोई प्राधिकरण किसी व्यक्ति की तलाशी/जांच करती है, तो उस व्यक्ति के अनुरोध पर 24 घंटे के अंदर नज़दीक के राजपत्रित अधिकारी, जो तलाशी लेने वाले की रैंक से बड़ा हो, या फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा।

(ख) यदि व्यक्ति अनुरोध करता है तो राजपत्रित अधिकारी, जो प्राधिकरण की रैंक से बड़ा हो अथवा मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना उसे 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

(ग) राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश किया है, को यदि जांच/तलाशी का कोई उचित कारण नहीं दिखता तो वह उस व्यक्ति को छोड़ सकता है, लेकिन यदि कोई उचित कारण नज़र आता है तो तलाशी/जांच के आदेश दे सकता है।

(घ) तलाशी/जांच दो या अधिक व्यक्तियों की मौजूदगी में होनी चाहिए।

(ड़) किसी महिला की तलाशी, सिवाय महिला अधिकारी के, नहीं ली जा सकती (धारा 18)।

प्रश्न 22. किसी व्यक्ति के गिरफ़्तारी के दौरान क्या अधिकार हैं?

(1) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जिस व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है या किया जाना है, उसे गिरफ़्तारी का कारण शीघ्रातिशीघ्र बताना चाहिए।

(2) हर गिरफ़्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले की प्रकृति के अनुसार पेश करना चाहिए (धारा 19)।

प्रश्न 23. अधिकृत अधिकारियों को सम्मन जारी करने, काग़ज़ात पेश करने और सबूत देने के बारे में क्या-क्या अधिकार हैं?

(क) प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक के पास इस अधिनियम के तहत अधिकार हैं कि वे मामले से संबंधित किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करके ज़रूरत पड़ने पर आवश्यक कागजात पेश करने के लिए बुला सकते हैं अथवा किसी मामले की जांच के लिए सबूत या रिकॉर्ड पेश करने के लिए कह सकते हैं।

(ख) सम्मन किया गया व्यक्ति अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से हाज़िर होने को बाध्य है, जैसा कि अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया हो। वह जांच के दौरान सत्य बयान दर्ज कराने को बाध्य है और यदि

उसके पास कोई काग़ज़ात हैं, तो वह उन्हें पेश करने को भी बाध्य है।

(3) इस प्रकार की कार्रवाई भारतीय दंड संहिता (आई.पी. सी.) (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के तहत न्यायिक प्रक्रिया मानी जाएगी (धारा 50)।

प्रश्न 24. पीएमएलए, 2002 अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई के दौरान ज़ब्त किए गए रिकॉर्ड को कब्ज़े में रखने की समय-सीमा क्या है?

अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह सम्मन जारी करके ज़ब्त किए गए रिकॉर्ड को जब तक वह ठीक समझे, अपने कब्ज़े में रख सकता है, बशर्ते कि कोई सहायक निदेशक अथवा उप निदेशक–

(क) बिना किसी ठोस कारण के कोई रिकॉर्ड कब्ज़े में नहीं ले सकते अथवा

(ख) कब्ज़े में लिए ऐसे रिकॉर्ड को 3 माह से अधिक संरक्षण में निदेशक से अनुमति लिए बिना नहीं रख सकते (धारा 50)।

प्रश्न 25. आपस में जुड़े हुए लेन-देन के बारे में क्या धारणाएं हैं?

जहां दो या दो से अधिक जुड़े हुए लेन-देन में धन शोधन शामिल है और एक या इससे अधिक ऐसे लेन-देन धन शोधन को साबित करता/करते हैं, तो धारा 8 के तहत न्यायिक अथवा ज़ब्ती की कार्रवाई अन्यथा शेष लेन-देन के बारे में न्यायिक प्राधिकरण अथवा विशेष न्यायालय के संतुष्ट न होने तक उसे जुड़े हुए लेन-देन का हिस्सा ही माना जाएगा (धारा-23)।

प्रश्न 26. पीएमएलए के तहत जाँच प्राधिकारी के समक्ष दिया गया बयान क्या कानून के अंतर्गत सबूत माना जाता है?

जी, हां। धारा 50(2) और (3) पीएमएलए के अन्तर्गत दर्ज किए गए बयान अदालत में ग्राहय माने जाएंगे क्योंकि उन्हें धारा 193 व 228 भा.द.सं. न्यायिक प्रक्रिया के तहत दर्ज माना जाएगा।

प्रश्न 27. पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत अपराध की प्रक्रिया से संबंधित किसी कार्रवाई के दौरान सबूत जुटाने/प्रस्तुत करने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं?

(क) धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध में, आरोपी किसी व्यक्ति के मामले में, प्राधिकारी अथवा न्यायालय ऐसे अपराध की प्रक्रियाओं को धन शोधन में शामिल मान सकता है, जब तक कि आरोप निराधार साबित नहीं हो जाते, और

(ख) अन्य किसी व्यक्ति के मामले में प्राधिकारी अथवा न्यायालय, ऐसी आपराधिक प्रक्रियाओं को धन शोधन में शामिल मान सकता है (धारा–24)।

प्रश्न 28. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संपत्ति (प्रॉपर्टी) शब्द का क्या अर्थ है?

इस अधिनियम में संपत्ति (प्रॉपर्टी) शब्द का आशय हर प्रकार की संपत्ति अथवा धन से है चाहे वह किसी भी रूप में हो, वह संपत्ति भौतिक अथवा अभौतिक चल अथवा अचल, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भी हो सकती है, जिसमें हर प्रकार की जायदाद, जैसे डीड, अनुबंध, यांत्रिक संपत्ति ब्याज आदि भी शामिल है। संपत्तियां कहीं भी मौजूद हो सकती हैं। इसके अलावा, संपत्ति में इस

अधिनियम या अनुसूचित अपराधों में से किसी के अंतर्गत किसी आपराधिक कार्रवाई के आरंभ करने में इस्तेमाल हुई किसी प्रकार की संपत्ति शामिल है धारा-2(1)(बी),।

प्रश्न 29. 'अटैचमेंट' (ज़ब्ती) क्या है?

अधिनियम के अध्याय 3 के अनुसार दिए गए आदेश में 'अटैचमेंट' (ज़ब्ती) से अभिप्राय किसी संपत्ति को स्थानांतरित करने, परिवर्तित करने, समाप्त करने अथवा इधर-उधर ले जाने से प्रतिबंधित करना है- धारा-2(1)(डी)।

प्रश्न 30. धन शोधन से संबंधित संपत्तियों को अटैच (ज़ब्त) करने की क्या परिस्थितियाँ हैं?

(क) निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, (उप निदेशक के स्तर से नीचे वाला नहीं) को पूर्ण विश्वास होना चाहिए। (इस विश्वास का कारण लिखित में अंकित किया गया हो) इस आधार पर वह वस्तु/ वस्तुओं को ले सकता है -

(ख) किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक गतिविधि के साथ और

(ग) ऐसी आपराधिक गतिविधि छिपाई गई और किसी भी तरह से की गई हो, जिससे इस अध्याय के तहत ज़ब्ती की कार्रवाई में अवरोध पैदा हो। वह लिखित में आदेश द्वारा अनन्तिम रूप से ऐसी संपत्ति को '180 दिन से अधिक के लिए नहीं' अटैच कर सकता है। ऐसा निर्धारित पद्धति में किया जा सकता है।

(घ) तब तक अटैचमेंट (ज़ब्ती) का आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक अनुसूचित अपराध के संबंध में,

मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के तहत रिपोर्ट भेजी जाए अथवा अनुसूची में दर्ज अपराध की अधिकृत जाँचकर्ता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष संज्ञान हेतु शिकायत दर्ज न कराई जाए अथवा न्यायालय द्वारा किसी अन्य देश की विधि के अंतर्गत दर्ज अपराध का संज्ञान न लिया जाए, जो भी मामला हो। (3) इसके अलावा, किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति को अटैच (ज़ब्त) किया जा सकता है यदि निदेशक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, (उप निदेशक की रैंक से नीचे वाला नहीं) को पक्का विश्वास होना चाहिए (इस विश्वास का कारण लिखित में रिकोर्ड किया गया हो) कि इस आधार पर वह वस्तु/वस्तुओं को अटैच (ज़ब्त) कर सकता है कि यह संपत्ति धन शोधन में शामिल है और यदि इस संपत्ति को तुरंत ज़ब्त नहीं किया जाता है तो इससे इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य कार्रवाई बाधित होने की संभावना है। (धारा–5)

प्रश्न 31. इस प्रकार संपत्ति को अटैच (ज़ब्त) करने का अंतरिम आदेश कब तक वैध रहेगा?

यदि न्यायिक प्राधिकरण ने संपत्ति के अटैचमेंट के बारे में कोई आदेश नहीं दिया है, तो प्रत्येक अनन्तिम अटैचमेंट आदेश, जारी करने की तिथि से 180 दिन तक ही वैध रहेगा। हालांकि इन 180 दिनों के अंदर न्यायिक प्राधिकरण को लगता है कि अटैच की गई संपत्ति धन शोधन से संबंधित नहीं है, तो न्यायिक प्राधिकरण, अटैचमेंट के अनन्तिम आदेश को खारिज कर सकता है। धारा–3(5)

प्रश्न 32. कोई व्यक्ति चाहे तो क्या वह अपनी अंतरिम रूप से अटैच (ज़ब्त) की गई अचल संपत्ति से उस अवधि में लाभ उठा सकता है अथवा लाभ उठाने का दावा कर सकता है?

जी, हाँ। धारा-5 (4),

प्रश्न 33. किसी पीड़ित व्यक्ति को उसकी संपत्ति के अंतरिम अटैचमेंट से कैसे राहत मिल सकती है?

कानून में सुविधा दी गई है कि धन शोधन से संबंधित संपत्ति के बारे में जाँच करने, प्रमाण जुटाने से पहले न्यायिक प्राधिकरण द्वारा 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया जाता है, जिसका उत्तर 30 दिन के अन्दर दिया जा सकता है। इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति अपने जवाब के साथ न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष सुनवाई पर स्वयं हाज़िर हो सकता है। धारा-8 (1),

प्रश्न 34. यदि न्यायिक प्राधिकरण को लगता है कि अटैच संपत्ति धन शोधन में शामिल नहीं है, तब क्या होगा?

यदि न्यायिक प्राधिकरण किसी संपत्ति का धन शोधन से संबंध होने का निर्णय करता है तो वह लिखित आदेश में संपत्ति के अटैचमेंट को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार अटैच की गई संपत्ति -

(ए) न्यायालय में किसी अपराध के संबंध में लम्बित कार्रवाई चलती रहेगी अथवा भारत के बाहर के आपराधिक क्षेत्र के सक्षम न्यायालय के समक्ष उस देश की समरूपी विधि के तहत कार्रवाई चलती रहेगी, जैसा कि मामला हो, और

(बी) ज़ब्तीकरण का अंतिम आदेश पारित होने के बाद धारा–8(3)।

प्रश्न 35. यदि न्यायिक प्राधिकरण को लगता है कि अटैच संपत्ति धन शोधन में शामिल नहीं है, तब क्या होगा?

इस प्रकार के मामलों में न्यायिक प्राधिकरण धन शोधन से संबंधित संपत्ति के अलावा सभी संपत्तियाँ उस व्यक्ति को रिलीज़ करने का निर्देश देता है, जिसकी संपत्ति को अटैच किया गया था अथवा व्यक्ति उसे प्राप्त करने का पात्र हो। धारा–20 (5), यद्यपि निदेशक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी रिलीज़ की गई संपत्ति को आदेश होने के 90 दिन तक, रोके रख सकता है, लेकिन उसके (प्रवर्तन निदेशक) दृष्टिकोण में उस संपत्ति का संबंध इस अधिनियम के तहत अपील किए गए ट्रिब्यूनल से हो। धारा–20(6),

प्रश्न 36. पीएमएलए, 2002 की धारा 8 के अंतर्गत धन शोधन में शामिल अथवा धन शोधन का अपराध शुरू करने के लिए इस्तेमाल की गई संपत्ति की ज़ब्ती के बाद, ज़ब्त किए गए/रोक कर रखे गए रिकार्डों का क्या होगा?

धारा–8 के अंतर्गत ज़ब्तीकरण के आदेश के बाद व्यक्ति के रिकॉर्ड को वापिस करने का निदेश देगी, जिससे यह रिकॉर्ड ज़ब्त किए गए थे। यद्यपि निदेशक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी रिलीज़ की गई संपत्ति का आदेश होने के 90 दिन तक, रोके रख सकता है, लेकिन उसके (प्रवर्तन निदेशक) दृष्टिकोण में उस संपत्ति का संबंध इस अधिनियम के तहत अपील किए गए ट्रिब्यूनल से हो। धारा–21 (5 और 6),

प्रश्न 37. धन शोधन के अपराध के लिए ट्रायल की समाप्ति के बाद अटैच संपत्ति के बारे में क्या होगा?

(क) धन शोधन के अपराध के लिए ट्रायल की समाप्ति पर, विशेष न्यायालय में यदि संबंधित व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो धन शोधन में शामिल उसकी संपत्ति या धन शोधन आरंभ करने में इस्तेमाल की गई संपत्ति को केन्द्रीय सरकार अपने अधिकार में बरक़रार रखेगी।

(ख) इस अधिनियम के तहत ट्रायल की समाप्ति पर यदि विशेष न्यायालय में यह पाया जाता है कि संपत्ति धन शोधन अपराध अथवा उससे जुड़े अपराधों में शामिल नहीं है, तो न्यायालय ऐसी संपत्ति को उसके संबंधित हक़दार व्यक्ति को रिलीज़ कर देगा।

(ग) आरोपी की मृत्यु हो जाने अथवा घोषित अपराधी होने पर अथवा किसी अन्य कारण से उसे न्यायिक प्रक्रिया में शामिल नहीं करने की स्थिति में इस अधिनियम के तहत ट्रायल नहीं किया जा सकता है, विशेष न्यायालय निदेशक द्वारा अथवा उस संपत्ति, जिसके संबंध में न्याय-निर्णय प्राधिकरण द्वारा संपत्ति की अनन्तिम की ज़ब्ती सुनिश्चित करके एक आदेश पारित किया गया है, उसके हक़दार व्यक्ति द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, उक्त प्राधिकरण में प्रस्तुत संबंधित दस्तावेज़ों के मद्देनज़र, संपत्ति को रिलीज़ करने के संबंध में अथवा उसके ज़ब्तीकरण के बारे में, जैसा भी मामला हो, आदेश पारित कर सकता है। धारा-8 की उप-धारा (5) (6) और (7),

(घ) ज़ब्त करने के आदेश के बाद, उस संपत्ति के समस्त अधिकार और मालिकाना हक़ पूरी तरह केन्द्रीय सरकार के हो जाएंगे, हर प्रकार के बोझ से यह संपत्ति मुक्त होगी। (धारा–9)

प्रश्न 38. न्यायिक प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध कौन-सा अपीलीय प्राधिकरण है और अपील करने की समय-सीमा क्या है?

इस अधिनियम के तहत न्यायिक प्राधिकरण के निर्णय से निदेशक अथवा जो भी व्यक्ति पीड़ित/प्रभावित हुआ हो, वह अपीलीय ट्रिब्यूनल में निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। यह अपील न्यायिक प्राधिकरण द्वारा किए गए आदेश की कॉपी (प्रति) मिलने से 45 दिन के अंदर की जा सकती है। अपीलीय ट्रिब्यूनल 45 दिन की समय–सीमा बीत जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि समय–सीमा पर अपील न कर पाने का कोई ठोस कारण मौजूद हो और जिससे अपीलीय ट्रिब्यूनल संतुष्ट हो। (धारा–26)

प्रश्न 39. अपीलीय ट्रिब्यूनल के निर्णय के ख़िलाफ़ किस अपीलीय प्राधिकरण में अपील की जा सकती है और अपील करने की समय-सीमा क्या है?

अपीलीय ट्रिब्यूनल के निर्णय से पीड़ित कोई व्यक्ति उस निर्णय के ख़िलाफ़ अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय पारित होने से 60 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील कर सकता है, यदि उस निर्णय में कोई नीतिगत कानूनी प्रश्न अथवा तथ्य सामने लाया गया हो। नीतिगत कानूनी प्रश्न अथवा तथ्य के आधार पर हाईकोर्ट में ऐसी अपील दायर की जा सकती है।

यदि हाईकोर्ट उचित कारणों से यह महसूस करता है कि अपीलकर्ता को समय-सीमा में अपील करने से रोका गया है, तो वह अपील करने की समय-सीमा अगले 60 दिन के लिए बढ़ा सकता है। (धारा-42)

प्रश्न 40. धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में प्रयुक्त होने वाले 'पर्सन' (व्यक्ति) शब्द से क्या अभिप्राय है?

पर्सन/व्यक्ति में निम्न शामिल है-

(क) एक व्यक्ति

(ख) एक हिन्दू अविभाजित परिवार

(ग) एक कंपनी

(घ) एक फर्म

(ड़) व्यक्तियों की एक संस्था/एसोसिएशन/संघ, चाहे वह निगसित हो या नहीं

(च) प्रत्येक वह न्यायिक व्यक्ति, जो पूर्व में दिए गए किसी वर्ग के सब-क्लॉज़ेज़ में शामिल नहीं है।

(छ) सब क्लॉज़ेज़ में शामिल ऊपर दर्शाए किसी व्यक्ति/पर्सन द्वारा संचालित अथवा स्वामित्व में चलने वाली एजेंसी, ऑफ़िस अथवा शाखाएं आदि। इस प्रकार प्राकृतिक व्यक्ति/पर्सन के अलावा, कानूनी संस्थाओं को भी 'पर्सन/व्यक्ति' शब्द की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। धारा-2(1) (एस),

प्रश्न 41. सीमा पार से संबंधित अपराध क्या है?

(क) भारत की सीमा से बाहर किसी व्यक्ति के आचरण/व्यवहार

से उस जगह पर जो अपराध बनता है और उस अपराध का उल्लेख अनुसूची के भाग ए, अथवा भाग सी में हैं, उसे भारत में हुआ माना जाता है। और यदि ऐसे व्यक्ति के आचरण की कार्रवाई या उसका अंश भारत के हवाले किया जाए अथवा।

(ख) कोई अपराध, जो अनुसूची के भाग ए और भाग सी में निर्दिष्ट है, यदि भारत में किया जाता है और उस अपराध की कार्रवाई या उसका अंश भारत से बाहर स्थानांतरित किया जाता है अथवा स्थानांतरण करने का कोई कदम उठाया जाता है अथवा उसका कोई अंश भारत से बाहर स्थानांतरित किया जाता है। धारा-2(1)(आर ए),

बैकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान और मध्यस्थों के दायित्व

प्रश्न 42. रिपोटिंग एंटीटीज कौन होते हैं?

'रिपोटिंग एंटीटी' से अभिप्राय निर्दिष्ट कारोबार अथवा व्यवसाय करने वाली किसी बैंकिग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ अथवा किसी व्यक्ति से है। धारा-2(1) (डब्ल्यू ए),

प्रश्न 43. 'नामित कारोबार अथवा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों' में व्यक्त पंक्ति में कौन-कौन कवर होते हैं?

नामित कारोबार तथा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का अभिप्राय –

(क) एक व्यक्ति, जो नकद या इसी प्रकार के किसी अवसर के लिए जुआ खेलने/खिलाने की गतिविधियां करता है और इसमें कैसिनो से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।

(ख) पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के तहत नियुक्त कोई रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(ग) रियल एस्टेट, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(घ) बहुमूल्य धातुओं, बहुमूल्य पत्थरों और अन्य उच्च कीमत के सामान के डीलर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

(ड़) अन्य व्यक्तियों की ओर से नकद राशि के सुरक्षित रख-रखाव तथा प्रबंधन करने एवं प्रतिभूतियों के निर्धारण में लगे व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं अथवा

(च) ऐसे अन्य काम-काज करने वाले व्यक्ति, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। **धारा-2(1) (एस ए),**

प्रश्न 44. पीएमएलए. 2002 के प्रावधानों के संबंध में रिपोटिंग एंटीटी के दायित्व क्या हैं?

(क) प्रत्येक रिपोटिंग एंटीटी को कवर्ड सभी कारोबारों की प्रकृति और मूल्य के अनुसार रिकॉर्ड रखना होता है जिन्हें इस पद्धति में निर्धारित किया जाए ताकि प्रत्येक कारोबार को पुनर्गठित करने में सक्षम बनाया जाए।

(ख) उन्हें निदेशक (एफ आई यू) को ऐसे कारोबार के संबंध में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्रस्तुत करनी होगी कि क्या उसकी प्रकृति और मूल्य के

अनुसार प्रयास किए गए अथवा निष्पादित किए गए, जैसा निर्धारित किया जाए।

(ग) उन्हें निर्धारित पद्धति तथा कुछ शर्तों के पूरा करने पर अपने मुवक्किल की पहचान का सत्यापन करना होगा।

(घ) उन्हें अपने कुछ मुवक्किलों यदि कोई हों के लाभप्रद स्वामी की पहचान करनी होगी, जैसा निर्धारित किया जाए।

(ड़) उन्हें अपने मुवक्किलों और लाभप्रद स्वामियों के साक्ष्य काग़ज़ात की पहचान के रिकॉर्ड के साथ-साथ उनके खातों की फाइलों तथा कारोबार से संबंधित रिकॉर्ड और सूचना के मामले में 5 वर्ष की अवधि के लिए अपने मुवक्किलों से संबंधित कारोबार का पत्र-व्यवहार भी रखना होगा, और

(च) उन्हें मुवक्किल और रिपोटिंग एंटीटी के बीच कारोबारी संबंध के समाप्त हो जाने अथवा खाते के बंद किए जाने के बाद, जो भी बाद में हो, पांच वर्ष की अवधि के लिए इसे बरक़रार रखना होगा। (धारा-12)

प्रश्न 45. रिपोटिंग एंटीटी पर रिकॉर्ड सुरक्षित न रखने अथवा माँगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर क्या जुर्माना लगाया जा सकता है?

आरोपी रिपोटिंग एंटीटी और इसके निदिष्ट बोर्ड निदेशक अथवा इसके किसी कर्मचारी के असफल रहने पर कम-से-कम दस हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, परन्तु इसे बढ़ाकर एक लाख रुपए भी किया जा सकता है। धारा-13(2)(डी),

प्रश्न 46. निदेशक (एफ आई यू) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध किस अपील प्राधिकरण में अपील की जा सकती है?

धारा –13 की उप–धारा (2) के तहत दिए गए निदेशक (एफ आई यू) के किसी आदेश द्वारा कोई पीड़ित रिपोटिंग एंटीटी अपील प्राधिकरण में अपील कर सकती है। (धारा–26)

विशेष अदालतें

प्रश्न 47. पीएमएलए, 2002 के तहत विशेष अदालतों के रूप में कौन-से न्यायालय निर्दिष्ट किए गए हैं?

पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के ट्रायल के लिए केन्द्रीय सरकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, अधिसूचना जारी करके एक या अधिक न्यायालय को विशेष अदालत अथवा विशेष अदालतों में गठन कर सकती है। ये विशेष अदालतें किसी क्षेत्र, मामले, वर्ग अथवा कई मामलों के समूह के लिए विशेष अधिसूचना जारी करके गठित की जा सकती हैं। विशेष अदालत जब पीएमएलए, 2002 के तहत किसी मामले की सुनवाई करती है तो वह धन शोधन के अलावा आरोपी के अन्य मामलों की सुनवाई भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत कर सकती है। (धारा–43)

प्रश्न 48. पीएमएलए, 2002 के तहत विशेष अदालतों में चलने वाले अपराध क्या हैं?

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में जो कुछ भी निहित हो, अनुसूचित अपराध और पीएमएलए 2002 की धारा 4 के तहत धन शोधन के अपराध का ट्रायल केवल विशेष अदालत में होगा जो उस क्षेत्र में स्थापित होगी जहां अपराध घटित हुआ हो।

प्रश्न 49. पीएमएलए (जिसने धन शोधन के अपराध की शिकायत का संज्ञान लिया है) के तहत विशेष अदालतों के अलावा यदि कोई न्यायालय हो, जिसने अनुसूचित अपराधों का संज्ञान लिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा?

ऐसे मामलों में पीएमएलए के तहत दायर कोई शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत करने पर, ट्रायल न्यायालय (जिसने अनुसूचित अपराधों का संज्ञान लिया है) अनुसूचित अपराध से संबंधित मामले को पीएमएलए के अंतर्गत विशेष अदालत को भेजेगा। विशेष न्यायालय, पीएमएलए ऐसे मामलों के प्राप्त होने पर, ऐसे मामलों की उसी चरण से कार्रवाई आरंभ करेगा, जिस चरण में उसको भेजा गया है। धारा-44(1) (सी),

प्रश्न 50. विशेष अदालत के ऑर्डर/निर्णय को किस अपीलीय प्राधिकरण में चुनौती दी जा सकती है?

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 29 अथवा अध्याय 30 में दिए गए अधिकारों के अनुसार, हाईकोर्ट में याचिका विचारार्थ दी जा सकती है। इसके अलावा हाईकोर्ट के न्याय क्षेत्र में आने वाली स्थानीय सीमा की विशेष अदालतें और इसी प्रकार क्षेत्र विशेष के सेशन कोर्ट, जो हाईकोर्ट के न्याय क्षेत्र में आते हैं। (धारा-47)

कुछ निश्चित मामलों में सहयोग की पारस्परिक व्यवस्था और संपत्ति के अटैचमेंट और कुर्की की प्रक्रिया

प्रश्न 51. 'अनुबंधित राज्य' (कांट्रेक्टिंग स्टेट) का क्या अर्थ है?

भारत से बाहर किसी स्थान अथवा देश के साथ केन्द्रीय सरकार किसी संधि के माध्यम से अथवा अन्य प्रकार से सहयोग

करने की व्यवस्था करती है तो उसका अर्थ 'अनुबंधित राज्य' है। (धारा 55)

प्रश्न 52. यदि अनुबंधित राज्य में किसी अपराध की जांच के दौरान प्रमाण (सबूत) पाए जाते हैं तो उन्हें हासिल करने की प्रक्रिया क्या है?

जांच अधिकारी अथवा कोई अधिकारी, जो जांच अधिकारी की रैंक से बड़ा हो, स्पेशल कोर्ट में अर्ज़ी देगा। यदि उस अर्ज़ी से स्पेशल कोर्ट संतुष्ट होगा, तो अनुबंधित राज्य' के न्यायालय अथवा प्राधिकरण को अनुरोध–पत्र जारी कर सकता है, जो सहयोग देने में समक्ष हो –

(क) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के परीक्षण में

(ख) स्पेशल कोर्ट द्वारा विशेष रूप से माँगी गई जानकारी देने के कदम उठाने में

(ग) स्पेशल कोर्ट के अनुरोध पत्र के अनुसार सभी जुटाए गए सबूतों को आगे बढ़ाने में अनुबंधित राज्य से प्राप्त हर प्रकार का दर्ज हुआ बयान अथवा काग़ज़ात अथवा कोई वस्तु को मामले की जांच के दौरान प्राप्त सबूत/प्रमाण समझा जाएगा। (धारा 57)

प्रश्न 53. किसी 'अनुबंधित राज्य' को सहायता देने का क्या तरीका है?

यदि किसी 'अनुबंधित राज्य' के न्यायालय अथवा प्राधिकरण से केंद्रीय सरकार को किसी मामले की जांच, पीएमएलए 2002 के तहत, करने का अनुरोध पत्र प्राप्त होता है और वह प्राधिकरण/न्यायालय अनुरोध पत्र के साथ कोई अपराध से जुड़ा

प्रमाण भेजती है, तो केंद्रीय सरकार उक्त अनुरोध पत्र के मामले से संबंधित स्पेशल कोर्ट अथवा अन्य किसी प्राधिकरण को नियमानुसार उनके अनुरोध पर कार्रवाई हेतु भेज सकती है। (धारा 58)

प्रश्न 54. क्या भारत के बाहर जहां धन शोधन अपराध करने पर भारत में स्थित धन शोधन में शामिल संपतियों की कुर्की की जा सकती हैं?

विशेष अदालत/न्यायनिर्णयन प्राधिकरण में किए गए आवेदन पर विशेष अदालत/न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा भारत के बाहर किए गए धन शोधन के अपराध पर भारत में अवस्थित धन शोधन में शामिल संपत्ति को आदेश पारित करके कुर्क किया जा सकता है। (धारा 58 बी 62 ए)

प्रश्न 55. आरोपी व्यक्तियों के प्रत्यर्पण करने की प्रक्रिया के लिए क्या पारस्परिक व्यवस्था है?

(क) धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए स्पेशल कोर्ट, 'अनुबंधित राज्य' में सम्मन अथवा वारंट अथवा सर्च वारंट तामील के लिए न्यायालय, न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट को विशेष प्राधिकरण के मार्फ़त भेज सकता है।

(ख) इसी प्रकार 'अनुबंधित राज्य' से भी कोई वारंट धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में तामील के लिए प्राप्त हो सकता है तो संबंधित कोर्ट उसे निष्पादित करता है। अनुबंधित राज्य से प्राप्त सम्मन अथवा सर्च वारंट के निष्पादन के बाद, जांच/तलाशी में प्राप्त काग़ज़ात अथवा अन्य वस्तुएँ सम्मन सर्च वारंट जारी करने वाले कोर्ट को विशेष प्राधिकरण के मार्फ़त भेजी जा सकती हैं। (धारा 59)

प्रश्न 56. यदि अनुबंधित राज्य में स्थित संपत्ति का संबंध धन शोधन से है तो क्या वह संपत्ति कुर्की अथवा ज़ब्त की जा सकती है?

जी, हां। इस तरह के मामले में धारा 5 के तहत संपत्ति अटैचमेंट का आदेश दिया जाता है अथवा धारा 17 (1ए) के तहत ज़ब्त करने अथवा धारा 8 के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा कुर्की की पुष्टि करने अथवा धारा 8 के तहत विशेष न्यायालय द्वारा कुर्की, उस देश के कानूनी पत्राचार के प्रावधानों के अनुसार स्पेशल कोर्ट अनुबंधित राज्य में स्थित कोर्ट अथवा प्राधिकरण को इस प्रकार के आदेश का निष्पादन करने का अनुरोध पत्र जारी करती है। धारा 60(1),

विविधा

प्रश्न 57. जान-बूझकर ग़लत तलाशी करने वाले की क्या सज़ा है?

कारावास की सज़ा, जो दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है अथवा जुर्माना जो 50 हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों हो सकते हैं। (धारा 62)

प्रश्न 58. झूठी सूचना देने अथवा सूचना देने में नाकाम होने पर क्या सज़ा है?

यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर और दुर्भावनापूर्ण चालाकी से झूठी सूचना देता है जिससे किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार किया जा सकता है। ऐसी ग़लत सूचना देने वाले को उसका दोष साबित होने पर कारावास की सज़ा हो सकती है, जो दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है अथवा जुर्माना हो सकता है, जो 50 हज़ार तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों हो सकते हैं। (धारा 63)

प्रश्न 59. यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से किसी मामले में सच्चा हो, लेकिन वह किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करे, दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करे अथवा खाते अथवा काग़ज़ात तय समय-सीमा में और स्थान पर हाज़िर होकर प्रस्तुत करने से इनकार करे, तो धारा 50 के तहत उसकी सज़ा क्या है?

जुर्माना- ऐसे व्यक्ति पर 500 रुपए से 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त धारा 50 के तहत जारी किए गए किसी भी दिशा-निर्देश का एक व्यक्ति को जान-बूझकर पालन नहीं करने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174 के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकेगी। धारा 63 (3 और 4),

प्रश्न 60. क्या पीएमएलए, 2002 के तहत चलने वाली किसी कार्रवाई को सिविल कोर्ट में ले जाया अथवा रूपांतरित किया जा सकता है?

जी, नहीं। पीएमएलए 2002 के तहत चलने वाली किसी कार्रवाई को सिविल कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता और न ही रूपांतरित किया जा सकता है और न ही कोई मुकदमा, दावा अथवा अन्य कार्रवाई सरकार अथवा किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है, सरकारी अधिकारी ने जिसने पीएमएलए, 2002 अधिनियम के तहत 'गुड फ़ेथ' (सद्भावना) में किया है। (धारा 67)

प्रश्न 61. धारा 13 अथवा धारा 63 के तहत किसी व्यक्ति पर लगाए गए जुर्माने की वसूली का तरीका क्या है?

यदि कोई व्यक्ति धारा 13 अथवा धारा 63 के तहत अपने

ऊपर लगाए गए जुर्माने की राशि का भुगतान, जुर्माना लगाए जाने की तिथि से छह माह के भीतर नहीं करता है तो निदेशक अथवा कोई उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी राशि की वसूली के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की अनुसूची-2 में बताया तरीका अपनाएगा। उसे और उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास वसूली के लिए वही अधिकार हैं, जो टैक्स वसूली अधिकारी के पास उक्त अनुसूची में दर्ज होते हैं। (धारा 69)

प्रश्न 62. कंपनियों द्वारा धन शोधन का अपराध करने पर क्या प्रावधान हैं?

(1) यदि कोई व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत इस अधिनियम के किसी प्रावधान या किसी नियम का उल्लंघन करता है, ऐसा करने का निर्देश अथवा आदेश देता है तो उसे कानून के उल्लंघन का आरोपी माना जाएगा। कंपनी के प्रति हर ज़िम्मेदार व्यक्ति जो कंपनी का कार्य देखता हो, कानून के उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार दंड का पात्र बनेगा बशर्ते कि यदि वह व्यक्ति यह साबित कर दे कि कंपनी में कानून का उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ है अथवा उसने इसे रोकने का प्रयास भी किया था तो ऐसे व्यक्ति के प्रति सज़ा के बारे में इस प्रावधान में कुछ नहीं कहा गया है फिर भी उसे राहत मिल सकती है।

(2) यद्यपि उप धारा (1) में जो भी दर्ज है, कंपनी के द्वारा इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा नियम का उल्लंघन होता है और यह भी साबित होता है कि यह

गैरकानूनी कार्य कंपनी के किसी निदेशक, मैनेजर, सचिव अथवा अन्य अधिकारी की मंजूरी, अथवा उसकी सुविधा अथवा लापरवाही से हुआ है तो उन्हें इसका दोषी माना जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार सज़ा दी जाएगी।

(3) इसके अतिरिक्त, एक कंपनी को अभियोजित किया जा सकता है चाहे किसी व्यक्ति का अभियोजन या दोष सिद्ध के समाक्षित किसी विधिक न्यायिक व्यक्ति का अभियोजन या दोष सिद्ध क्यों न हुआ हो। (धारा 70)

प्रश्न 63. यदि पीएमएलए, 2002 और अन्य कानूनों के प्रावधानों के बीच विरोधाभास है, तो क्या होगा?

ऐसी स्थिति में जब किसी अन्य कानून का पीएमएलए, 2002 के अधिनियम के साथ होती है, तब भी पीएमएलए अधिनियम ही प्रभावी माना जाएगा। (धारा 71)

प्रश्न 64. पीएमएलए, 2002 अधिनियम के तहत कार्रवाई होने के दौरान यदि आरोपी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा?

इस मामले में यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति धारा 8 के तहत अटैच की जाती है और अटैचमेंट आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है, तब मृत व्यक्ति या कानूनी प्रतिनिधि अथवा अधिकृत वारिस अथवा अधिकृत प्राप्तकर्ता अपीलीय ट्रिब्यूनल/ हाईकोर्ट में अपील कर सकता है अथवा मृत व्यक्ति के द्वारा दायर अपील को जारी रख सकता है। (धारा 72)

नशीली दवाएँ एवं साइकोट्रोपिक अधिनियम (स्वापी) पदार्थ अधिनियम, 1985

इस अधिनियम के तहत अपराध, धारा अपराध का विवरण

15 अफ़ीम की भूसी से संबंधित नियमों का उल्लंघन।

16 कोका पौधों और पत्तियों से संबंधित नियमों का उल्लंघन।

17 अफ़ीम के बनाने संबंधी नियमों का उल्लंघन।

18 अफ़ीम की भूसी और अफ़ीम बनाने संबंधी नियमों का उल्लंघन

19 उत्पादन (कृषक) द्वारा अफ़ीम का ग़बन।

20 भाँग के पौधों और भाँग उत्पादन संबंधी नियमों का उल्लंघन।

21 दवाओं के उत्पादन एवं निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन।

22 मादक द्रव्यों के उत्पादन संबंधी नियमों का उल्लंघन।

23 नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों का भारत से आयात एवं निर्यात करना।

24 नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के बाहरी लेन-देन में उल्लंघन नशीली दवाएं और मादक द्रव्य अधिनियम 1985 की धारा 12 के तहत।

25-ए नशीली दवाएं और मादक द्रव्य अधिनियम 1985 की धारा

9-ए के अंतर्गत दिए गए आदेशों का उल्लंघन।

27-ए अवैध वित्तीय दुर्व्यापार और अपराधियों को शरण देना।

29 उकसाना और आपराधिक षड्यंत्र।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन को सम्मिलित करते हुए समस्त बैंकिंग कार्य-कलापों के नियंत्रण, नियमन और निरीक्षण का कार्य करता है। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफ़ारिश सर्वप्रथम 1926 में 'हिल्टन यंग कमीशन' ने की थी। इसके बाद 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने भी भारतीय रिज़र्व बैंक को केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित करने करने की सिफ़ारिश की। इन दोनों समितियों की सिफ़ारिशों को आधार बनाते हुए 1934 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 पारित किया गया। इसके तहत 1 अपैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना की गई। भारत में कार्यरत व्यापारिक बैंक निम्नलिखित दो अधिनियमों के तहत संचालित होते हैं -

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

बैंकिंग लेन-देन और वाणिज्यिक धोखाधड़ी

इस शब्द की कोई ठोस परिभाषा नहीं हैं। वाणिज्यिक या व्यावसायिक लेन-देन से पैदा होने वाली व्यापक धोखाधड़ी को, जिनमें बड़े स्तर की धोखाधड़ियाँ शामिल हैं, इस विषय के अंतर्गत रखा जा सकता है।

बैंकिंग घोटाले

किसी भी देश की बैंकिंग व्यवस्था उसकी अर्थव्यवस्था की

नींव होती है। लोग बैंक में अपनी छोटी-छोटी बचतों का पैसा जमा करते हैं कि बैंक उन्हें नियत अवधि बाद ब्याज सहित वापस कर देगा। इस विश्वास के आधार पर लोग बैंकों में निवेश करते हैं। हालिया बैंक धोखाधड़ी के मामलों ने भारत देश की बैंकिंग प्रणाली और हमारी अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। साथ ही, लोगों के विश्वास को कम किया गया है। अधिकतर बैंक घोटाले सफेदपोश अपराधियों द्वारा किए गए हैं।

बैंक धोखाधड़ियों का अन्वेषण

फर्मों और सरकारी कार्यालयों में बही-खाता रखने की जो पद्धति प्रचलित है वह पूर्णतः दोष रहित है, परन्तु इसके बावजूद गंभीर धोखाधड़ियाँ होती रहती हैं। अपराधी अपनी विश्वासपात्रता का लाभ उठाता है, जिसके परिणामस्वरूप लेखाओं की जाँच में कुछ ढील दी जाती है। अपराधी या तो अपने अपराध में कुछ और लोगों को शामिल कर लेता है या पहले से की गई धोखाधड़ी को ढकने के लिए बनावटी झूठे या जाली आँकड़े प्रस्तुत करता है और इस प्रकार यह धोखाधड़ी काफी समय तक चलती रहती है।

बैंक धोखाधड़ियों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए-

- ग़बन के लिए अपनाए गए तरीकों का अध्ययन किया जाये
- कार्यालयों और अन्य लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित प्रलेख, विभिन्न बही-खातों और इंद्राज संबंधी सभी प्रलेखों की जाँच की जाये।
- गंभीर प्रकार के ग़बन या ऐसी धोखाधड़ी के मामलों में जिनमें यह शक हो, इनकी अच्छी तरह से लेखा परीक्षा की व्यवस्था की जाए।

- लेखा परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए सरकार से संपर्क किया जाये।

वर्ल्ड बैंक ने इन 03 नीतियों को सराहा

डिजिटल इंडिया

1. **एन. पी. ए. पर सरकार का सटीक कदम** – वर्ल्ड बैंक ने अपनी रैंकिंग रिपोर्ट में भारत सरकार के एन.पी. ए. से निपटने के तरीके की तारीफ की है। रिपोर्ट के अनुसार, इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के माध्यम से बैंकों के लोन को वापस सिस्टम में लाने के लिए सरकार अहम् काम कर रही है। वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग कैटेगरी रिजॉल्विंग इन्सॉल्वेंसी में भारत की स्थिति 136 पायदान से सुधरकर 103 पर आ गई है।

2. **जीएसटी पर हुई तारीफ** – माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का ज़ोर हमेशा टैक्स नियमों को सरल करने पर रहा है। इसलिए जीएसटी जैसे बड़े टैक्स सुधार लागू होने के बाद टैक्स चुकाने के मामले में भारत की रेकिंग 172वें पायदान से सुधरकर 119वें स्थान पर आ गई है।

चुनौतियां

बैंकिंग सुधारों की बात को समझने से पहले ज़रा बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर ज़ोर देना चाहिए। साधारण शब्दों में कहें तो वह उधारी, जो वसूल नहीं हो सकी। सरकार उद्योगपतियों के दबाव में आकर बैंकों का एनपीए को बढ़ाती चली जाती है और बैंकों में जनता की मेहनत की पूंजी को निजी हाथों में बेचने की बात करती है। सरकार निजी उद्यमियों के दबाव में रहती है जो एक तरफ राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के दौरान

भारी–भरकम चंदा देते है और दूसरी तरफ बैंकों से ऋण लेकर अपना उद्योग स्थापित करते है।

ख़राब उधारी की बढ़ती मात्रा से बचने के लिए बैंक क्या करते है कि वे उसी उधारी न चुकाने वाले को एक और ऋण दे देते है,जिससे वह पहले वाला ऋण ख़राब की श्रेणी में नहीं आता। इसे 'एवरग्रीनिंग' कहते है। उस बजट में एक दिवालिया कानून की घोषणा भी की गई है। अगर इसको ठीक से लागू किया जाता है तो बैंकों में भी काफी सुधार आ जाएगा क्योंकि बैंकों का बहुत सारा उधार ऐसे लोग लेकर बैठे हैं जो अन्यथा संपन्न हैं पर बैकों का ऋण चुकाने के लिए ग़रीब बन जाते हैं, पर यह कानून लागू होने से उनको अपनी सम्पत्ति बेचकर बैंक का पैसा देना होगा।

वाणिज्यिक धोखाधड़ी और उनका अन्वेषण

1 फ़र्मों की धोखाधड़ी – इसमें अपराधी द्वारा पहले वास्तविक फ़र्म खोली जाती है और विभिन्न फ़र्मों का विश्वास प्राप्त किया जाता है। फिर धीरे–धीरे ये फ़र्में उधार पर या अग्रिम तिथि के चैकों पर सामान लेना शुरू करती हैं। फिर सामान को कम दामों पर बेचकर मोटी रकम जमा करने के बाद अपराधी ग़ायब हो जाता है। व्यावसायिक धोखेबाज़ सामान्यतः भूतपूर्व अपराधी होते हैं। इन मामलों में भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी से संबंधित 417 से 420 तक की धाराएँ लागू होंगी। जहाँ धोखाधड़ी के साथ जालसाज़ी भी जुड़ी हो वहाँ 456 से 471 तक की धाराएँ लागू होंगी।

भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, 1988

भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, 1988 के तहत अपराध

इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 9 सितंबर 1988 को

मिली। इसमें भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1947, दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 और भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों को समेकित किया गया है। जब भी किसी लोक सेवक की किसी आर्थिक अपराध में संलिप्तता पाई जाए तो भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अतिरिक्त भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। आर्थिक अपराधों के संदर्भ में इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

अपराध एवं शास्तियां

धारा 7 लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक के अलावा पारितोषण लिया जाना

भ्रष्ट लोक सेवकों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इसी धारा के अंतर्गत पकड़ा जाता है।

इस धारा के मुख्य घटक

जो कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का कोई अन्य लाभ अपने या किसी अन्य के लिए इस बात के लिए स्वीकार या प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है कि जिसमें सरकारी काम करना या न करना, किसी का पक्ष लेना या न लेना शामिल हो तो वह लोक सेवक धारा 7 का अपराध करता है।

दंड स्वरूप ऐसे व्यक्ति के कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

धारा 8 लोक सेवक के निमित्त रिश्वत लेना

यह धारा लोक सेवक के बिचौलियों के विरुद्ध लगाई जाती है

घटक

ऐसा व्यक्ति, जो किसी लोक सेवक के द्वारा सरकारी कार्य करवाने या न करवाने या किसी का पक्ष लेने या न लेने या कोई सेवा प्रदान करने या न करने के बदले में, भ्रष्ट या ग़ैर-कानूनी तरीके से, अनुचित लाभ स्वीकार/ प्राप्त करता है, या स्वीकार करने की सहमति देता है या प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो वह (बिचौलिया) धारा 8 का अपराध करता है।

धारा 9 लोक सेवक पर व्यक्तिगत असर डालने के लिए पारितोषण का लेना

यह धारा भी बिचौलिए के ख़िलाफ़ लगाई जाती है, परन्तु इसमें व धारा 8 में अन्तर है। यदि बिचौलिया लोक सेवक से काम करवाने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल करता है, जैसे कि लोक सेवक का रिश्तेदार, मित्र आदि, तो धारा 9 का अपराध बनता है। इसके विपरीत, यदि बिचौलिया रिश्वत के बल पर लोक सेवक से ग़लत कार्य करवाता है तो वह धारा 8 का अपराध करता है।

धारा 10 धारा 8 या 9 में पारिभाषित अपराधों के लोक सेवक द्वारा उत्प्रेरित करने के लिए दंड

धारा 8 या 9 से संबंधित मामलों में यदि लोक सेवक की बिचौलिए के साथ साँठ-गाँठ का साक्ष्य मिलता है, तो वह लोक सेवक धारा 10 का अपराध करता है।

महत्त्वपूर्ण : यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मामले में लोक सेवक को बिचौलिए की गतिविधियों का ज्ञान हो। यदि उनकी आपस में साँठ-गाँठ का कोई साक्ष्य नहीं है, तो केवल बिचौलिए

के विरुद्ध परिस्थिति के अनुसार धारा 8 या 9 का अपराध बनेगा, परन्तु स्वयं लोक सेवक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनेगा।

सज़ा

धारा 7 की भाँति धारा 8 या 9 और 10 में भी कम-से-कम सज़ा 6 मास अधिकतम 5 वर्ष तथा अनिवार्य तौर पर जुर्माने का प्रावधान है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधान लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचरण

भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 (1) में पाँच उपधाराएँ हैं- 13 (1) (क), 13 (1) (ख), 13 (1) (ग), 13 (1) (घ), व 13 (1) (ड़)। प्रत्येक उप-धारा एक अलग अपराध को पारिभाषित करती है। इन पाँचो अपराधों के लिए सज़ा इस अधिनियम की धारा 13 (2) में निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार से है - कम-से-कम 4 वर्ष एवं अधिकतम 10 वर्ष का कारावास और अनिवार्य जुर्माना।

इस अधिनियम की पहली दो उप-धाराओं अर्थात् 13 (1) (क) एवं 13 (1) (ख) का प्रयोग बहुत कम देखने में आता है। ये दोनों भ्रष्ट लोक सेवकों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने से संबंधित हैं।

धारा 13 (1) (क) यदि कोई लोक सेवक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई पारितोषण हेतु या इनाम के रूप में, जैसा धारा 7 में वर्णित है, किसी व्यक्ति से अभ्यासत: प्रतिगृहित या अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करने के लिए सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है,

धारा 13 (1) (ख) यदि वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज़ प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका कि अपने द्वारा या किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा, जिसके वह अधीनस्थ है, की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई या कारोबार से संबद्ध रहा होना, हो सकना वह जानता है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका ऐसे संबद्ध व्यक्ति से हितबद्ध या उससे संबंधित होना वह जानता है, अभ्यासतः प्रतिगृहित या अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करने के लिए सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है,

धारा 13 (1) (ग) जब कोई लोक सेवक बेईमानी से या कपटपूर्वक, बतौर लोक सेवक उसे सौंपी गई कोई संपत्ति या उसके नियंत्रण में दी गई किसी संपत्ति का स्वयं उपयोग करता है या किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने हेतु देता है, तो वह धारा 13 (1) (ग) के अंतर्गत अपराध करता है।

यह धारा भा.दं.स. की धारा 409 के समान है। परन्तु इसमें धारा 409 के मुकाबले गुंजाइश अधिक है। भा.दं.स. की धारा 409 के अन्तगर्त अपराध तभी माना जाता है जबकि खुर्द बुर्द की गई संपत्ति लोक सेवक को अमानत के रूप में सौंपी गई हो। परन्तु धारा 13 (1) (ग) के अन्तर्गत अपराध तब भी बनता है जब संपत्ति लोक सेवक को चाहे सौंपी गई हो अपितु उसके नियंत्रण मात्र में हो। ये दोनो अपराध संज्ञेय एवं गैर –जमानतीय है। धारा 13 (1) (ग) के अन्तर्गत अधिकतम सज़ा केवल 10 वर्ष एवं जुर्माना है दूसरी और धारा 13 (1) (ग) के अन्तर्गत न्यूनतम चार वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। इन दोनो धाराओं में एक अंतर और भी है– भा.दं.स. की धारा 409 में न्यूनतम सज़ा का प्रावधान नहीं है।

धारा 13 (1) (घ) यह उप–धारा लोक सेवक द्वारा किए

गए आपराधिक दुराचार के अपराध को परिभाषित करती है। जब कोई लोक सेवक

(1) भ्रष्ट या ग़ैर कानूनी तरीके से, या

(2) अपने पद का दुष्प्रयोग करके, या

(3) बिना किसी लोकहित के,

स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या कोई धन संबंधी लाभ प्राप्त करे, तो वह आपराधिक दुराचार का अपराध करता है।

प्राप्त करना का अर्थ **''अर्जित करना''** होता है। यह स्वीकार करने से भिन्न है। किसी वस्तु को **''प्राप्त करने''** में स्वेच्छा से विशेष प्रयास किया जाता है। जबकि किसी वस्तु को स्वीकार करने में विशेष प्रयास नहीं होता। मात्र स्वीकृति में रिश्वत देने वाला पहले कदम बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो 'प्राप्त करने' में मांग स्पष्ट तौर पर निहित होती है।

धन संबंधी लाभ का अर्थ मूल्यवान सेवाएं प्राप्त करना है, जैसे पैसा अथवा अन्य सेवाएं, जैसे गेस्ट हाउस सुविधा, यातायात के साधनों का उपयोग आदि।

'अवैध' शब्द को भा.दं.सं. की धारा 43 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है। यह अविधिक का समानार्थक है।

दुष्प्रयोग का अर्थ होता है अनुचित कार्य या ज़्यादती करते हुए अपनी ताकत, पद आदि का लाभ उठाना। दुष्प्रयोग, दुरुपयोग का ही एक रूप है, परन्तु दोनों में एक अंतर है, दुरुपयोग यानि पद का ग़लत उपयोग कई प्रकार से हो सकता है, जैसे आचरण

नियमावली या दिए गए विषय पर निर्देशों का उल्लंघन करके। ग़लत प्रयोग में आपराधिक आशय नहीं होता, इसलिए यह दंडनीय अपराध से कुछ कम रह जाता है जबकि दूसरी और दुष्प्रयोग में आपराधिक आशय निहित है। दुष्प्रयोग में निश्चित तौर पर सदोष लाभ या हानि होती है।

दुरुपयोग = उपयोग + अनुचित

दुष्प्रयोग = उपयोग + अनुचित + सदोष लाभ

सरकारी पद के दुष्प्रयोग के घटक

- अपने पद का दुष्प्रयोग करते हुए
- स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष लाभ पहुंचाने के आशय से कोई कार्य करना।

लोक हित : आम जनता के हित के लिए किया गया कार्य।

महत्त्वपूर्ण : धारा 13 (1) (घ) के भाग 2 एवं 3 के अंतर्गत आपराधिक दुराचार के सभी मामलों में अभियुक्त के आपराधिक आशय के बारे में साक्ष्य होना अनिवार्य है।

देश में पहली बार डीएनए टेस्ट से पकड़ा भ्रष्टाचार - गुजरात का मामला, दो घूसखोरों ने चबाए नोट, लार की जाँच

पहला मामला - गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले के सिद्धापुर के पशु चिकित्सक महेन्द्र सिंह चौहान द्वारा भैंसों के फिटनेस टेस्ट के लिए घूस लेने से संबंधित है। **दूसरा मामला** दंतीवाड़ा के फॉरेस्ट रेंज ऑफ़िसर चंद्रकांत जोशी द्वारा एक

ट्रांसपोर्टर से लकड़ी ले जाने के बदले घूस से संबंधित है। दरअसल, इन दोनों अधिकारियों ने उस वक्त 2000 के नोट निगल लिए, जब एसीबी ने दोनों आरोपियों के नमूने ले लिए और उनकी डीएनए जाँच गुजरात फ़ोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से कराई गई। नोटों पर लगे उनके लार से उनके मुंह से लिए गए लार के डीएनए से मिलान हो गया।

आयुध अधिनियम 1959

धारा अपराध का विवरण

25. किसी हथियार गोला बारूद को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5 का उल्लंघन करके बनाना, बेचना, स्थानांतरण करना, बदलना, सुधारना अथवा परीक्षण करना अथवा जांचना अथवा बेचना। स्थानांतरण का प्रस्ताव रखना, अपने कब्ज़े में रखना। कोई प्रतिबंधित शस्त्र अथवा गोला–बारूद, आयुध अधिनियम, 959 की धारा 7 का उल्लंघन कर अपने साथ ले जाना, कब्ज़े में रखना।

    आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 24ए का उल्लंघन करके अधिसूचित शस्त्र, जो प्रतिबंधित है, को किसी सार्वजनिक स्थान के अशांत क्षेत्र में ले जाना। अन्य अपराध धारा 25 में विनिर्दिष्ट हैं।

26. आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 3,4,10 अथवा 12 के प्रावधानों का उल्लंघन उक्त धारा 26 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्टानुसार है। धारा 26 में अन्य अपराध विनिर्दिष्ट हैं।

27. धारा 5 के उल्लंघन में शस्त्र अथवा गोला-बारूद का प्रयोग अथवा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 7 के उल्लंघन में किसी हथियार अथवा गोला-बारूद का इस्तेमाल।

28. ग़ैर लाइसेंसशुदा व्यक्ति का हथियार लेना और प्रयोग करना अथवा उस व्यक्ति को हथियार पहुँचाना, जो उसे रखने का अधिकारी नहीं है।

30. आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों का किसी भी हालत में अथवा इस आधार पर बनाए गए नियमों का उल्लंघन।

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) के तहत अपराध

धारा अपराध का विवरण।

1. विस्फोटों से किसी संपत्ति या जीवन को ख़तरे का कारण बनाना।

2. विस्फोट के प्रयास से अथवा विस्फोटक पदार्थ बनाने अथवा किसी के जीवन अथवा संपत्ति को ख़तरे में डालने के इरादे से विस्फोटक रखना।

3. संदेहास्पद परिस्थितियों में विस्फोटक को निर्मित करना अथवा प्रोसेस करना।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972

तलाशी एवं ज़ब्ती

तलाशी और ज़ब्ती वन्य जीव संरक्षण 1972 की धारा 50 के अनुसार किए जाने चाहिए। यद्यपि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 प्राधिकृत अधिकारी को प्रवेश, तलाशी, गिरफ़्तारी एवं निरोध करने की शक्ति प्रदान करता है, परन्तु दण्ड प्रकिया संहिता धारा 100 के अधीन विहित प्रकिया की कड़ाई से पालना की जानी चाहिए, जैसे कि दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में संचालन करना, तलाशी के दौरान ज़ब्त की गई वस्तुओं की सूची तैयार करना, महिला अधिकारियों का प्रयोग करते हुए महिला अधिभोगियों की तलाशी का संचालन करना, तलाशी लिए गए स्थान के मालिक को तलाशी सूची की प्रति सौंपना।

गिरफ़्तारी

अभियुक्त की गिरफ़्तारी वन्य जीव अपराधों की जांच का एक अभिन्न भाग है। वन अधिकारी और उप–निरीक्षक एवं उससे ऊपर के पद के पुलिस अधिकारी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 50 (1), और 50 (3) के अधीन गिरफ़्तारी निरुद्ध करने का अधिकार है।

गवाहों से पूछताछ

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को, जो सहायक वन संरक्षक के पद से नीचे के नहीं हों, गवाहों की हाज़िरी प्रवृत्त करने और उनके साक्ष्य प्राप्त तथा दर्ज करने के लिए प्राधिकृत करती है।

वन्य जीव अपराध की जांच के लिए पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

1. **प्रथम सूचना का पंजीयन** – धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता

2. **आरोप-पत्र** – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन आरोप–पत्र

यदि अन्य अधिनियमों/भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अधीन अपराध किया जाता है तो आरोप–पत्र न्यायालय में फाइल किया जाएगा।

यदि अपराध केवल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अधीन है और पुलिस धारा 55 (ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है तो शिकायत न्यायालय में फाइल की जाएगी और न्यायालय में विचार किया जाएगा।

यदि अपराध केवल वन्य जीव संरक्षण के अधीन है और पुलिस राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत नहीं है तो पुलिस वन विभाग/ डब्ल्यू.एल/डब्ल्यूसीसीबी को सौंपेगी।

शिकार पर प्रतिषेधः–धारा 9/51

बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अभ्यारण्य क्षेत्र में प्रवेश करना – धारा 27/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम

वन्य प्राणी सरकारी सम्पत्ति हैः धारा 39/51

धारा 50 (8) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 2003 के संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। अतः उक्त धारा में मुल्ज़िम के द्वारा

की गई संस्वीकृति धारा 25 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती। चूंकि उक्त अधिनियम में वन अधिकारी को पुलिस ऑफ़िसर नहीं माना गया है, अतः उसके सामने यदि किसी मुल्ज़िम के द्वारा कोई संस्वीकृति की जाती है तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 से बाधित नहीं होती और मुल्ज़िम के विरुद्ध पढ़े जाने योग्य है। ऐसी संस्वीकृति को किसी अन्य संपुष्टिकारक साक्ष्य की भी आवश्यकता नहीं होती है। इस सम्बन्ध में माननीय केरल उच्च न्यायालय ने 1989 सीआरएलएजे पृष्ठ 2038 में न्यायिक दृष्टान्त में पैरा-7 में यह प्रतिपादित किया है कि इस प्रकार उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि मुल्ज़िम द्वारा धारा 50 (8) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जो स्वेच्छापूर्वक संस्वीकृति दी गई है, वह विश्वसनीय है, जिसका खण्डन नहीं हुआ है तथा मुल्ज़िम के विरुद्ध साक्ष्य में काम लाई जा सकती है। चूंकि वन अधिकारी को पुलिस ऑफ़िसर नहीं माना है अतः उसकी कस्टडी में जो मुल्ज़िमान की संस्वीकृति लेखनबद्ध की गई है, उसको मुल्ज़िम के विरुद्ध साक्ष्य में पढ़े जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

दण्ड

1. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 में 5 साल का कठोर कारावास व जुर्माना।

2. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 27/51 में 3-3 साल का कठोर कारावास व जुर्माना।

3. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 39/51 में 3 साल का कठोर कारावास व जुर्माना।

4. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 48ए/51 में 3 साल का कठोर कारावास व जुर्माना।

चिट फ़ण्ड अधिनियम, 1982

भारत में चिट फ़ण्ड नियंत्रण एवं निगरानी के लिए ज़रूरी है, विनियामक।

क्या होती हैं चिट फ़ण्ड कंपनियां

चिट फ़ण्ड अधिनियम, 1982 के सेक्शन 2 के तहत चिट फ़ण्ड कंपनियों का आशय उन कंपनियों से है, जो निवेशकों के साथ एक समझौता करती हैं। इसके तहत वे निवेशकों से एक तय अवधि के लिए पैसा लेती हैं और बदले में ब्याज या रिटर्न देती है। रिटर्न की दर क्या होगी, यह कंपनियां तय करती हैं। कंपनी सीधे तौर पर मार्केट रेगुलेटर सेबी के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ये एनएफबीसी कंपनी के रूप में काम करती है।

कैसे काम करती हैं

इन कंपनियों के काम करने का ढंग काफी पेचीदा होता है। ये अपनी और से कोई फ़ण्ड नहीं लगाती हैं। इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है, निवेशकों का पैसा। ज़्यादा रिटर्न देने के वादे के ज़रिए ये निवेशकों से पैसा लेती हैं। ज़्यादा रिटर्न के लालच में ज़्यादा निवेशक आते है। यह धंधा एक या दो साल तक तो ठीक चलता है, मगर जब नए निवेशक आना बंद हो जाते हैं तो कंपनियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं।

नियंत्रण कैसे हो

मौजूदा नीतियों के तहत इन कंपनियों के लिए रिटर्न देने की दर की कोई सीमा नहीं है। वे 20 से 100 प्रतिशत की दर से रिटर्न दे सकती हैं। बाज़ार विशेषज्ञों के अनुसार, वित्त मंत्रालय और आरबीआई को इस पर विचार करना चाहिए कि आख़िर कैसे सौ प्रतिशत का रिटर्न दिया जा सकता है, जो भी चिट फ़ण्ड कंपनी

पंजीकृत होती है, उसके बारे में पूरी जाँच किए जाने की ज़रूरत है। सबसे अहम् बात यह है कि चिट फ़ण्ड कंपनियों को अपने नेटवर्क के हिसाब से निवेशकों से पैसा वसूलने की सीमा तय करनी होगी। इसके अतिरिक्त चिट फ़ण्डों में निवेश करने से पूर्व निवेशकों को निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए–

1. कंपनियों के उच्चाधिकारियों के बारे में पूरी जाँच पड़ताल करनी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका पेशेवर अनुभव क्या है और क्या पहले उन्होंने इस तरह की चिट फ़ण्ड कंपनी का संचालन किया है?
2. उच्चाधिकारियों की राजनीतिक नहीं, अपितु वित्तीय स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए।
3. निवेश पर रिटर्न की दर की तुलना मार्केट रेट से करनी चाहिए।
4. मार्केट विशेषज्ञों से बात करके ही कदम उठाना चाहिए और कम-से-कम रकम लगाना अच्छा रहता है।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत धारा अपराध का विवरण।

1. व्यक्तियों को वेश्यावृत्ति के लिए ख़रीदना अथवा प्रेरित करना अथवा ले जाना।
2. किसी व्यक्ति को उस परिसर में कैद करना जहां वेश्यावृत्ति होती है।
3. वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना अथवा प्रताड़ित करना।
4. किसी व्यक्ति को हिरासत में लेकर प्रताड़ित करना।

• • •

अध्याय-3
भारत में आर्थिक अपराध एवं पुलिस

इस अध्याय का उद्देश्य भारत में आर्थिक अपराध की रोकथाम की दिशा में भारत के संविधान में पुलिस बलों की भूमिका से लेकर केन्द्रीय पुलिस बलों एवं भारत में आर्थिक अपराध परिदृश्य के तहत घटित आर्थिक अपराधों का तालिकाओं के माध्यम से विश्लेषण करना है ताकि पुलिस बल एवं आम जनता समकालीन दौर में आर्थिक अपराध, जिन्हें आम बोलचाल में 'कपट' या 'धोखाधड़ी' कहा जाता है, को समझ सके। इस अध्याय में केन्द्रीय पुलिस बलों, सी.बी.आई. एवं अन्य पुलिस संगठनों में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का परिचय देते हुए वर्ष 2014- 2016 के दौरान साइबर अपराध की घटनाएँ, आर्थिक अपराधों के संबंध में प्राईस वॉटर हाऊस कूपर्स द्वारा वैश्विक आर्थिक सर्वेक्षण 2016 के भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में आर्थिक अपराध, वर्ष 2014-2016 में आर्थिक अपराध की घटनाएँ, मादक पदार्थ की ज़ब्ती, ज़ब्त किए गए जाली भारतीय करेंसी नोट एवं आयुध अधिनियम के अंतर्गत ज़ब्ती का विश्लेषण करते हुए इंटरपोल का परिचय, इंटरपोल नोटिस एवं विभिन्न राज्यों की पुलिस एजेंसियों के आर्थिक अपराध रोकथाम की दिशा में दिए गए योगदान का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

भारत का संविधान एवं पुलिस

यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची 2 -'राज्य सूची' की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार, 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्यों के उत्तरदायित्व हैं, तथापि संविधान के

अनुच्छेद 355 में संघ को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमणों और आंतरिक गड़बड़ियों के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप चलाया जा रहा है। इन दायित्त्वों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना सुरक्षा, शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर लगातार निगरानी रखता है, राज्य सरकारों को उपयुक्त सलाह जारी करता है, आसूचना संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान करता है, जनशक्ति और वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन तथा सुविज्ञ राय प्रदान करता है और इसलिए प्रारम्भिक तौर पर राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होने वाले अपराधों के निवारण, पंजीयन, पता लगाने एवं जांच करने और अपराधियों का अभियोजन करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, गृह मंत्रालय राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत हथियार, संचार, उपकरण, आवाजाही, प्रशिक्षण और अन्य अवसंरचना की दृष्टि से राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस) भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत गठित तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है।

केन्द्रीय पुलिस बलों का परिचय

भारत एक संघात्मक शासन-व्यवस्था वाला देश है। यहाँ सुरक्षा की एक बहुआयामी प्रणाली हैं। केन्द्र के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बल एवं राज्यों के लिए राज्य सुरक्षा बल अपनी-अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गृह मंत्रालय के अधीन छह केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का परिचय निम्न प्रकार है -

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सी. आर. पी. एफ़)

1939 में 'क्राउन रिप्रेज़ेंटेटिव पुलिस' के नाम से नीमच, मध्य प्रदेश में गठित किए गए इस बल का नाम स्वतंत्रता के बाद बदलकर केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (**सी. आर. पी. एफ़**) कर दिया गया। तब से बल की संख्या और क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस समय इसकी क्षमता 226 बटालियनों की है। वर्तमान में यह देश का सबसे बड़ा केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल बन गया है। यह बल इस समय कानून और व्यवस्था विद्रोह-रोधी संक्रियात्मक उग्रवाद-रोधी और नक्सल रोधी कार्रवाइयों जैसी विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां कर रहा है। यह बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवादी संगठनों की विघटनकारी गतिविधियों का सामना करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वर्ष 1992 में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल की 10 बटालियनों का पुनर्गठन किया गया जिन्हें त्वरित कार्रवाई बल की 4-4 कंपनियों वाली 10 बटालियनों में परिवर्तित किया गया। आर.ए. एफ. के कार्मिकों को सांप्रदायिक दंगों या इसी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रभावी मारक बल बनाने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता हैं। ये बटालियनें देश में सांप्रदायिक दृष्टि से 10 संवेदनशील स्थानों पर अवस्थित हैं ताकि इस प्रकार की कोई घटना होने पर ये तुरंत कार्रवाई कर सकें।

सी. आर.पी.एफ. की आर.ए.एफ. बटालियनें निम्नलिखित स्थानों में स्थित हैं-

राज्य	स्थान	राज्य	स्थान

आंध्रप्रदेश	हैदराबाद	मध्यप्रदेश	भोपाल
दिल्ली	दिल्ली	महाराष्ट्र	मुंबई
गुजरात	अहमदाबाद	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
झारखंड	जमशेदपुर	उत्तरप्रदेश	इलाहाबाद, अलीगढ़, मेरठ

विभिन्न उत्सवों और सांप्रदायिक दंगों के दौरान कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी निभाने और शांति बनाए रखने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर अल्प आवधिक आधार पर आर.ए.एफ. की कंपनियां तैनात की जाती हैं।

वर्ष 2012-2013 के दौरान आर.ए.एफ. की कपंनियों को कानून एवं व्यवस्था संबंधी उनकी नियमित ड्यूटी के लिए तैनात किए जाने के अलावा उन्हें आंध्रप्रदेश में तेलंगाना आंदोलन, असम के बोडो क्षेत्रों में, हिंसा, दिल्ली में विरोध रैलियां, केरल में सबरीमाला उत्सव और इलाहाबाद में कुम्भ मेले के दौरान भी तैनात किया गया।

सी.आर.पी.एफ. में दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा)

वर्ष 2008 में सरकार ने सी.आर.पी.एफ. में 'कोबरा' नामक एक विशेषज्ञता प्राप्त बल की 10 बटालियनें गठित करने का अनुमोदन दिया था। ये 10 बटालियनें गुरिल्ला/जंगल युद्धकला के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और संसाधनों से लैस हैं और आसूचना पर आधारित शीघ्र कार्रवाई करने में सक्षम हैं। इन बटालियनों को मुख्यत: वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में रखा जाता है। सभी कोबरा बटालियनें इस समय तैनात कर दी गई हैं। आर.ए.एफ. की ही तरह इन बटालियनों का गठन एक महानिरीक्षक

के पर्यवेक्षण के अधीन स्वतंत्र पद्धति के रूप में किया गया है। बल के लिए घटना स्थल पर ही निर्णय लेना एवं सुकर बनाने के लिए असिस्टेंट कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी टीम के स्तर पर उपलब्ध कराया गया है। कोबरा बटालियनों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोबरा कमांडो स्कूल हैं। इन्हे विशेषज्ञता से युक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बेलगाम (कर्नाटक)मे जंगल युद्ध कला और रणनीति के प्रशिक्षण के लिए एक कोबरा स्कूल के निर्माण का प्रस्ताव गृह मंत्रालय के विचाराधीन है।

सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.)

वर्ष 1962 में भारत–चीन संघर्ष के पश्चात् वर्ष 1963 के प्रारंभ में विशेष सेवा ब्यूरो का गठन वर्ष 1963 के प्रारंभ में सीमा पार से विध्वंस, घुसपैठ और तोड़–फोड़ के ख़तरे के प्रति सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाने और उनमें क्षमता का निर्माण करने के लिए मौजूदा सशस्त्र सीमा बल के पूर्ववर्ती बल के रूप में किया गया था। गृह मंत्रालय के अधीन यह बल वर्ष 2001 में 'सीमा चौकसी बल' बन गया और इसके कर्त्तव्यों के चार्टर में संशोधन करके इसका नाम 'सशस्त्र सीमा बल' रखा गया। इसे भारत–नेपाल (आई.एन.बी.) तथा भारत–भूटान सीमा (आई.बी. बी.) पर चौकसी की ज़िम्मेदारी दी गई है। एस एस बी की तैनाती 1,751 किमी. लंबे क्षेत्र में भारत–नेपाल सीमा पर और 699 किमी. लंबी भारत–भूटान सीमा पर की गई है। इस बल के 06 फ्रंटियर्स, 18 सेक्टर मुख्यालय (14 सीमा पर, 04 विशेष अभियानों के लिए) हैं। आज की स्थिति के अनुसार, भारत–नेपाल सीमा (आईएनबी) पर 29 बटालियनें, भारत–भूटान सीमा (आई.बी.बी.) पर 16 बटालियनें, आई.एस./एल.डब्लयू.ई./एल.एस.ओ. ड्यूटी अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़ और असम राज्यों के लिए 14 बटालियनें तैनात हैं, 02 बटालियनों को एन.डी.आर.एफ. बटालियनों

में परिवर्तित किया गया है और 04 बटालियनें अभी स्थापित की जानी हैं। भारत–नेपाल और भारत–भूटान दोनों सीमाओं पर ज़िम्मेदारी का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत की ओर 15 किमी. की दूरी तक है।

भारत - तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.)

आई.टी.बी.पी. का गठन वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात् 4 बटालियनों की मामूली संख्या के साथ किया गया था। इसका गठन मूलत: आपूर्ति, संचार एवं आसूचना संग्रहण के मामले में आत्मनिर्भर एक एकीकृत 'गुरिल्ला–सह–आसूचना–सह–लड़ाकू बल' की अवधारणा के अंतर्गत किया गया था। यह बल समय के साथ परंपरागत 'सीमा प्रहरी बल' के रूप में विकसित हुआ है। आज, आई.टीबी.पी.एफ. लद्दाख में हिमालय के साथ–साथ कराकोरम दर्रा (पास) से अरुणाचल प्रदेश में जाचेप ला तक भारत–चीन सीमा के पश्चिमी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी क्षेत्र में 9,000 फीट से लेकर 18,750 फीट की ऊंचाई वाले हिस्सों में 3,488 किमी. लम्बी भारत–चीन सीमा की रक्षा कर रही है और 172 सीमा चौकियों का संचालन कर रही है। आई.टी.बी.पी. की 08 बटालियनों को छत्तीसगढ़ के माओवादी–प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। यह बल 05 फ्रंटियर मुख्यालयों, 14 सेक्टर मुख्यालयों, 56 सर्विस बटालियनों, 04 स्पेशलाइज़्ड बटालियनों, 02 डी एम बटालियनों और 14 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कार्य करता है और इसकी कुल स्वीकृत कार्मिक संख्या 89,432 है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.)

वर्ष 1969 में गठित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 330

इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है। जिनमें 59 घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 94 औद्योगिक इकाइयों को अग्नि–सुरक्षा कवर भी शामिल हैं। चार दशकों की अवधि में, बल की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है और दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार, इसमें अब कार्मिकों, की संस्वीकृत पद संख्या 1,44,418 है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के साथ, सी.आई. एस.एफ. अब सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र बल्कि यह देश का एक प्रमुख बहु–कौशल सम्पन्न सुरक्षा एजेंसी बन गया है, जिसे आतंकवाद एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रदेशों में देश की मुख्य संवेदनशील आधारभूत संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। सी.आई.एस.एफ. वर्तमान में 330 इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है, जिनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अन्तरिक्ष संस्थापनाएँ, रक्षा उत्पादन इकाइयाँ, खदानें, आयल फील्ड और रिफाइनरी, प्रमुख बंदरगाह, भारी इंजीनियरिंग, स्टील संयंत्र, उर्वरक इकाइयाँ, हवाई अड्डे, जलविद्युत/थर्मल विद्युत संयंत्र, संवेदनशील सरकारी भवन तथा विरासती स्मारक (ताजमहल एवं लाल किला सहित) और निजी क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ शामिल हैं। सी.आई.एस.एफ. को समूचे देश में जेड़, वाई और एक्स श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त अतिविशिष्ट व्यक्तियों को संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए भी अधिदेशित किया गया है।

सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.)

बी.एस.एफ. का गठन 25 बटालियनों तथा 3 कंपनियों के साथ वर्ष 1965 में किया गया था। कालान्तर में, बल के आकार में वृद्धि हुई है और इस समय इसकी 3 एन.डी.आर.एफ. बटालियनों सहित 186 बटालियनें, 5 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान, 11 सहायक प्रशिक्षण केन्द्र और 3 छोटे प्रशिक्षण संस्थान हैं। बल का मुख्यालय

नई दिल्ली में है। इसकी फ़ील्ड रचना में 2 विशेष महानिदेशालय अर्थात् विशेष महानिदेशालय (पूर्वी कमान) और विशेष महानिदेशालय (पश्चिमी कमान), 13 फ्रंटियर्स और 46 सेक्टर मुख्यालय, वॉटर विंग और एअर विंग एवं अन्य सहायक इकाइयां हैं। दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार, बी.एस.एफ. की कुल संस्वीकृत पद संख्या 2,57,363 है।

अभियान संबंधी उपलब्धियाँ

इसकी ऑपरेशनल ज़िम्मेदारी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगी अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर 6,386.36 किमी. तक फैली हुई है। इसे सेना के ऑपरेशनल नियंत्रण में जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एल.ओ.सी) पर भी तैनात किया जाता है। दिनांक 01.04.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि के दौरान आतंकवाद/वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में, बी.एस.एफ. ने 125 आतंकवादियों/नक्सलियों को गिरफ़्तार किया, 333 आतंकवादियों/नक्सलियों का आत्मसमर्पण करवाया और इसके अतिरिक्त, इस बल ने 69 हथियारों, विविध असलहों के 200 कारतूसों, 01 ग्रेनेड, 49 आई ई डी और 31.77 किग्रा. विस्फोटकों की ज़ब्ती की कार्रवाई की। सीमा पार से अपराध की रोकथाम के अपने सतत् प्रयासों में, बी एस एफ ने अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर 1218.8 करोड़ रुपए की वर्जित सामग्रियां ज़ब्त कीं, 3,608 घुसपैठियों/भगोड़ों को गिरफ़्तार किया तथा 26 तस्करों को मार गिराया।

असम राइफल्स (ए.आर.)

'पूर्वोत्तर के लोगों के मित्र' के रूप में लोकप्रिय, असम राइफल्स का गठन सन् 1835 ई. में 'काचर लेवी' के रूप में किया गया था और यह देश का सबसे पुराना अर्द्धसैनिक बल है। इसका मुख्यालय शिलांग में है और इस बल को विद्रोह रोधी कार्य

और 1,631 किमी. लंबी भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा करने के लिए पूर्णरूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात किया गया है। यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। इस बल में 1 महानिदेशालय, 3 महानिरीक्षक मुख्यालय, 12 सेक्टर मुख्यालय, 46 बटालियनें, 1 प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशासनिक घटक शामिल हैं और इसके कार्मिकों की कुल संख्या 63,747 है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को आज 'सी.बी.आई.' के नाम से हम जिस संस्था को जानते हैं, मूलत: उसे वर्ष 1941 में विशेष पुलिस स्थापना (एस.पी.ई.) के रूप में गठित किया गया था, जिसका कार्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार के युद्ध और आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों के ख़िलाफ़ रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था। युद्ध समाप्त होने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए इस एजेंसी को बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की गई। इस संगठन को एक सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए वर्ष 1946 में 'दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम' पारित किया गया, इसके अधिकार क्षेत्र में विस्तार किया गया और उसमें भारत सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार के मामले शामिल किए गए। एस.पी.ई. की भूमिका धीरे-धीरे बढ़ाई गई और वर्ष 1963 तक इसे भारतीय दंड संहिता की 97 धाराओं के अंतर्गत अपराधों, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत अपराधों तथा 16 अन्य केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों की जांच का अधिकार दिया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1963 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) का गठन किया। इस नए संगठन के चार्टर में न सिर्फ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कार्य शामिल हैं बल्कि इसमें केन्द्रीय वित्तीय कानूनों के उल्लंघन,

केन्द्रीय सरकार के विभागों, सरकारी संयुक्त उद्यमों में बड़े भ्रष्टाचार, पासपोर्ट से सम्बन्धित धोखाधड़ी, समुद्र तथा आकाश में किए गए गहन अपराधों तथा अपराधियों के समूह द्वारा किए गए संगठित अपराधों से सम्बन्धित जांच कार्य भी शामिल हैं। इसे अपराध के आंकड़े रखने, कुछ विशेष प्रकार के अपराधों से सम्बन्धित जानकारियाँ इकट्ठा करने, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन (इंटरपोल) के लिए देश के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (एन.सी.बी.) के रूप में कार्य करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। वर्तमान में सी.बी. आई. के निम्नलिखित विभाग हैं :

1. भ्रष्टाचार निरोध विभाग
2. आर्थिक अपराध विभाग
3. विशेष अपराध विभाग
4. विधि विभाग
5. समन्वय विभाग
6. प्रशासन विभाग
7. नीति और संगठन विभाग
8. तकनीकी विभाग
9. केन्द्रीय फ़ॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगणाला

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच करने की कानूनी शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (डी.पी.एस.ई. एक्ट) से मिली है। यह संगठन सिर्फ ऐसे अपराधों की जांच कर सकता है जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की

धारा 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हों। इस संगठन के अधिकारियों को अधिसूचित अपराधों के सम्बन्ध में वे ही शक्तियां, कर्त्तव्य, विशेषाधिकार तथा ज़िम्मेदारियां प्राप्त हैं जो संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को प्राप्त हैं। जब सी. बी.आई. के सब-इंस्पेक्टर या ऊससे उपर रैंक के अधिकारी ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तब उस समय वह थाने के प्रभारी अधिकारी माने जाते हैं। केन्द्र सरकार को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित अपराधों की जांच करने के लिए सी.बी.आई. के अधिकारियों की शक्ति और अधिकार क्षेत्र को रेलवे क्षेत्रों सहित सम्बन्धित किसी भी क्षेत्र तक विस्तार करने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु यह सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति के अनुसार होगा, यद्यपि सी.बी.आई. काफी दिनों से अस्तित्व में है, परन्तु अभी भी यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 द्वारा शासित होता है। इस अधिनियम की धारा 4(1) इस संगठन पर अधीक्षण की शक्ति केन्द्र सरकार को सौंपती है। इस सम्बन्ध में दिसम्बर 1997 को एक महत्त्वपूर्ण घटना घटी जब उच्चतम न्यायालय ने 1993 की रिट याचिका (अपराध) सं. 340-343 जैन हवाला केस के नाम से प्रसिद्ध काण्ड पर अपना निर्णय दिया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सी.बी.आई. पर अधीक्षण की ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी) को सौंपी जाए तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा किया जाए। उच्चतम न्यायालय का निर्णय केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2004 द्वारा लागू किया गया है।

एकल निदेश (सिंगल डाइरेक्टिव)

'एकल निदेश' शब्द आमतौर पर सी.बी.आई. की भूमिका और कार्यकरण से सम्बद्ध है। एकल निदेश केन्द्र सरकार द्वारा जारी वह कार्यपालिका निदेश है, जिसमें विभाग के प्रमुख की पूर्व

स्वीकृति के बग़ैर संयुक्त सचिव पद तथा इस पद के ऊपर के अधिकारी सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के ख़िलाफ़ के.अ.ब्यूरो जांच अथवा अन्वेषण नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने हवाला मामले में एकल निदेश को निष्प्रभावी घोषित कर दिया। न्यायालय ने इसे 2 आधारों पर कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया। इसमें पुलिस अभिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दांडिक अपराध में जांच शुरू करने के लिए कार्यपालिका से अनुमति लेगा, जो कानून के विपरीत है। दूसरी बात, यह कानून लागू करने में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। इन तर्कों को न मानते हुए, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2004 द्वारा एकल निदेश को सांविधिक स्वीकृति मिल गई है।

अन्य पुलिस संगठनों का योगदान

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

देश में पुलिस की ज़रुरतों और समस्याओं का पता लगाने, समुचित अनुसंधान परियोजना एवं अध्ययन करने तथा उभरती हुई चुनौतियों के समाधन हेतु नीतिगत विकल्पों का सुझाव देने के लिए दिनांक 28.08.1970 को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना की गई थी। इसे भारत और विदेश, दोनों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के अद्यतन घटनाक्रमों की जानकारी रखने का कार्य भी सौंपा गया था। इस समय इसके 6 प्रभाग हैं, जिनके नाम हैं अनुसंधान और सुधारात्मक प्रशासन, प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी विकास, राष्ट्रीय पुलिस मिशन, विशेष पुलिस प्रभाग और प्रशासन।

1. अपराध विज्ञान, पुलिस विज्ञान और सुधारात्मक प्रशासन में डॉक्टोरल कार्य के लिए प्रत्येक वर्ष भारतीय

विश्वविद्यालयों के विद्वानों को सभी फ़ैलोशिप प्रदान करने के लिए भारत सरकार की फ़ैलोशिप योजना कार्यान्वित करना।

2. भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ परस्पर व्यावसायिक हित के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देना।

3. पुलिस और कारागार संबंधी आंकड़ों और सामान्य प्रशासन की समस्याओं का विश्लेषण और अध्ययन करना।

4. पुलिस और सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूचना एकत्र करना और उसका प्रसार करना।

5. कारागार प्रमुखों का अखिल भारतीय कारागार ड्यूटी शिखर सम्मेलन और अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करना।

6. क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थानों (आर.आई.सी.ए) और सुधारात्मक प्रशासन के अन्य शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों द्वारा संचालित अनुसंधान अध्ययनों का समन्वय करना।

7. बदलती सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कारागार स्टाफ के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों (बुनियादी और सेवाकालीन, दोनों) की समीक्षा करना और प्रायोजित करना, नई वैज्ञानिक तकनीकें और अन्य संबंधित पहलू शुरू करना।

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

सर्वप्रथम 15 सितम्बर, 1948 को राजस्थान के माउण्ट आबू में इसकी स्थापना की गई। इसकी शुरुआत सेना के भवन में की गई थी। परन्तु, सेना द्वारा इस भवन की माँग करने पर इसे किराए के राजपूताना होटल एवं आबू लॉरेंस स्कूल के प्रांगण में शुरू किया गया। वर्ष 1971 में प्रो. एम.एस. गोरे की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सिफ़ारिश की कि देश में एक उपयुक्त स्थान पर एक ऐसा प्रशिक्षण संस्थान हो, जो संपूर्ण देश के प्रशिक्षण आयाम पूर्ण करे। इस प्रकार यह अकादमी 1975 में हैदराबाद स्थानांतरित कर दी गई। सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इसमें विश्वस्तरीय पुलिस प्रशिक्षण सुविधाएँ हैं। इसको भारतीय पुलिस सेवा में नए भर्ती किए गए अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर भारतीय पुलिस के लिए नेतृत्व प्रदान करने वाले अधिकारी तैयार करने और पुलिस संबंधी विषयों पर अध्ययन के लिए अनुसंधान केन्द्र के तौर पर कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। अकादमी के पाठ्यक्रम उस्मानिया विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं।

अकादमी ने विभिन्न संगठनों के सहयोग से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं –

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के सहयोग से सतर्कता अधिकारियों के लिए दो उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- 'साइबर अपराध, साइबर कानून और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य' पर न्यायिक अधिकारियों के लिए 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है और 4 कार्यक्रम पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से 'जेंडर बजटीकरण' और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के सहयोग से 'जेंडर सुग्राहीकरण' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- भारतीय राजस्व सेवा (आई.आर.एस.), भारतीय विदेश सेवा (आई.एफ.एस.), भारतीय रेल ट्रैफिक सेवा (आई.आर.टी.एस.) और पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (एन.ई.पी.ए.) के प्रशिक्षुओं के अनुरोध के अनुसार उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बैच के अधिकारी आई.पी.एस. अधिकारियों के पुनर्मिलन सेमिनारों में शामिल होते हैं।

- आर्थिक अपराध अनुसंधान पर अकादमी में समय-समय पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर पुलिस अधिकारियों को समकालीन दौर के इस अपराध के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक किया गया है।

राज्य पुलिस ऐजेंसियों का योगदान

भारत के संविधान के अर्न्तगत, 'पुलिस' एवं 'सार्वजनिक आदेश' राज्यों के विषय हैं। प्रत्येक राज्य/संघशासित प्रदेश की अपनी स्वयं की पुलिस फोर्स होती है, जो केवल सामान्य पुलिसिंग का कार्य ही नहीं करती बल्कि आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए उसके पास एक विशिष्ट इकाई है। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, जो राज्य के प्रशासनिक यंत्र में कार्य कर रही है, को उन गंभीर आर्थिक अपराधों और उन अपराधों का जिनका अन्तर्राज्यीय प्रभाव होता है, की जांच करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इन वित्तीय अपराधों, निवारक व खोजी उपायो से संबंधित मामलों पर जिला पुलिस से बातचित करने, उन्हें सहयोग करने व उनका मार्गदर्शन करने का भी आदेश दिया गया है।

राज्यों के आर्थिक अपराध विंग द्वारा की जा रही जाँच एवं अनुसंधान के क्षेत्र

- ग़ैर धोखाधड़ी एवं बेईमानी धारा – जिसमें कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी, ग़ैर बैकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी, ब्रिकी कर धोखाधड़ी एवं आयकर एवं जीएसटी संबंधित धोखाधड़ी

- ग़ैर भूमि एवं निर्माण रैकेट धारा – कॉपरेटिव ग्रुप हाउसिंग धोखा, भूमि माफिया के विरुद्ध मामले, बिल्डरों द्वारा धोखे, भूमि आधारित बैंक धोखे, जिनमें दोहरा मोर्टगे़ज दस्तावेज़ आदि शामिल हैं, प्रारम्भ पूर्व योजनाओं संबंधित धोखे, सरकारी भूमि की अवैध बिक्री आदि।

- ग़ैर जालसाजी धारा – दस्तावेज़ों की जालसाज़ी, विल्स एडमिशन संबंधित धोखे, वीजा संबंधित धोखे, नौकरी रैकेट, व्यक्तियों के निर्यात संबंधी रैकेट।

- एंटी क्रिमिनल ब्रीच आफॅ ट्रस्ट धारा – बहुतलीय मार्केटिंग धोखे, निर्यात/आयात संबंधित धोखे, चिट फंड धोखे, कर अपवंचन धोखे, शेयर व्यापार धोखे, निगमित धोखे, जिनमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट शामिल है।

- बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) और ट्रेडमार्क धारा – कॉपीराइट का उल्लंघन, ऑडियो–वीडियो पाईरेसी, सॉफ़्टवेयर पाईरेसी, मिलावटी औषधियाँ तथा फ़ास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफ.एम.पी.जी.) उत्पाद बुक पाइरेसी, ट्रेडमार्क अपराध, विनिर्माण सैक्टर में ट्रेडमार्क का उल्लंघन।

- एंटी साइबर अपराध धारा – डाटा चोरी, पहचान चोरी,

क्रेडिट कार्ड धोखे, ऑनलाइन ऑब्सिनिटी और पोर्नोग्राफ़ी, फ़िशिंग, हैकिंग, सोशल नेटवर्किंग से संबंधित शिकायतें।

- केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के ये विभिन्न संगठन, आर्थिक गतिविधियों और अन्य आपराधिक गतिविधियों के साथ उनके संबंध में नियमित करने वाले कानूनों के उल्लंघन को ध्यानपूर्वक मॉनीटर करते हैं और ऐसा करते हुए काले धन के प्रजनन के विरुद्ध जांच और संतुलन का एक व्यापक नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं।

भारत में आर्थिक अपराध

दुनिया के 24 देशों में हैं भारत के 121 आर्थिक अपराधी

पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मांगी है। नीरव से पहले ब्रिटेन में भारत के कई भगोड़े पनाह ले चुके हैं। इनमें ललित मोदी, विजय माल्या, म्यूजिक डायरेक्टर नदीम शैफ़ी, टाइगर हनीफ, संजीव चावला, रवि शंकरन लॉर्ड सुधीर चौधरी, राजकुमार पटेल, राजेश कपूर और अब्दुल शाकूर जैसे नाम शामिल हैं।

वर्ष 2013 से अब तक भारत से गए 5,500 से ज़्यादा लोगों ने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण के लिए अर्ज़ी दी। हालांकि ये सभी अपराधी नहीं हैं। भारत के 121 मोस्ट वांटेड भगोड़े, जिन्होंने भारत में आर्थिक अपराध किया है वो दुनिया के 24 देशों में रह रहे हैं। इनके प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार विभिन्न देशों से अपील भी कर चुकी है। भारतीय भगोड़ों का सबसे पसंदीदा देश ब्रिटेन, अमेरिका, यू.ए.ई. एवं कनाडा है।

इन चार देशों में 70 प्रतिशत भगोड़े

70 प्रतिशत यानी 83 भगोड़े इन्हीं 4 देशों में रह रहे हैं। विदेश मंत्रालय में एक आर.टी.आई. के जवाब यह जानकारी दी है। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसे, जतिन मेहता, ललित मोदी समेत 31 भारतीय भगोड़े देश से 40 हजार करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम लेकर भागे हैं। यह रकम बैंकों और सार्वजनिक संस्थानों की है। ये 31 नाम फ्रॉड और वित्तीय अपराध में शामिल हैं। इन पर ई.डी. और सी.बी.आई. 15 अलग-अलग मामलों में केस दर्ज कर चुकी है।

विदेश मंत्रालय ने अप्रैल में लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में इन नामों का जिक्र किया था।

देश एवं भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संख्या को अग्रांकित तालिका संख्या 3.1 के माध्यम से इस प्रकार दर्शाया जा सकता है-

तालिका सं. 3.1
देश एवं भगोड़े आर्थिक अपराधी

क्र. सं.	देश का नाम	भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संख्या
1	अमेरिका	38
2	यू.ए.ई.	20
3	कनाडा	13
4	ब्रिटेन	12
5	जर्मनी	05
6	सिगापुर	05
7	बांग्लादेश	03

क्र. सं.	देश का नाम	भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संख्या
8	इटली	03
9	नेपाल	03
10	अन्य	19

जिन 24 देशों में भगोड़े हैं, उनमें 19 के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है। ब्रिटेन, मोदी एवं माल्या को अवैध अप्रवासियों की लिस्ट में डालकर भारत को प्रत्यर्पित कर सकता है। हाल में भारत ने अवैध अप्रवासियों के प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन से 2 एम.ओ.यू. साइन किए है। 75 हजार भारतीयों को प्रत्यर्पण की सुविधा मिलेगी।

इसके अमल में आने के बाद मोदी, माल्या के साथ करीब 75 हजार भारतीयों के प्रत्यर्पण की सुविधा मिलेगी। जो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपों का सामना कर रहे हैं। इनमें 60 बड़े नाम हैं, जिनका भारत प्रत्यर्पण चाहता है। सरकार ने हाल में ब्रिटेन को 14 लोगों की सूची भी सौंपीं है।

दुनिया के 48 देशो के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, यू.ए.ई., हांगकांग, बेल्ज़ियम, बुल्गेरिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन स्विट्जरलैंड आदि देश शामिल हैं। ब्रिटेन के साथ यह संधि वर्ष 1992 में हुई थी।

विदेशों से 65 व्यक्तियों का प्रत्यर्पण कराया गया

भारत सरकार के मुताबिक वर्ष 2002 से मार्च 2018 तक विदेशों से 65 व्यक्तियों का प्रत्यर्पण कराया गया है। इनमें मोनिका बेदी, अबू सलेम, अब्दुल सत्तार, छोटा राजन, अनूप चेतिया, अब्दुल

राऊ मर्चेंट जैसे नाम शामिल हैं। सबसे ज़्यादा 17 प्रत्यर्पण यू.ए.ई. से हुए हैं।

यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स पर ब्रिटेन ने दस्तखत किए हैं। इसके तहत यदि ब्रिटेन की अदालतों को ऐसा लगता हैं कि किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है, मौत की सज़ा दी जा सकती है या फिर राजनीतिक कारणों से ऐसा कुछ हो रहा है तो वह प्रत्यर्पण के अनुरोध को ख़ारिज़ कर सकता है।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018

चर्चा में क्यों

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 के लिए मंजूरी दे दी है। यह आर्थिक अपराध कर विदेश भागने वाले लोगों की सम्पत्तियों को ज़ब्त करने के लिए लाया गया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे मामलों में न्यायालयों पर कार्य का ज़्यादा भार न पड़े, केवल उन्हीं मामलों को इस विधेयक की परिसीमा में लाया गया है, जिनकी राशि रुपये 100 करोड़ या उससे अधिक हो।

उद्देश्य

- वर्तमान कानूनों में व्याप्त कमियों को दूर करने व भारतीय न्यायालयों के कार्यक्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनों की प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधों की प्रवृत्ति के विरोध में यह विधेयक प्रस्तावित किया जा रहा है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

1. किसी व्यक्ति के भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने पर विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन करना।

2. अपराध के ज़रिये भगोड़ा, आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित व्यक्ति की सम्पत्ति को ज़ब्त करना।

3. भगोड़ा आर्थिक अपराधी होने के आरोपित व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करना।

4. अपराध के फलस्वरूप व्युत्पन्न संपत्ति के चलते भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति की संपत्ति को ज़ब्त करना।

5. ऐसे अपराधी की बेनामी संपत्ति सहित भारत और विदेशों में अन्य संपत्तियों को ज़ब्त करना।

6. भगोड़े आर्थिक अपराधी को किसी सिविल दावे का बचाव करने से अपात्र बनाना।

7. अधिनियम के अंतर्गत ज़ब्त की गई संपति के प्रबंधन व निपटान के लिए एक प्रशासन की नियुक्ति की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

1. ऐसे मामले में, जहां किसी व्यक्ति के भगोड़ा घोषित होने के पूर्व किसी भी समय कार्रवाई की प्रक्रिया के समानांतर भगोड़ा आर्थिक अपराधी भारत लौट आता है और सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश होता है तो उस स्थिति में प्रस्तावित अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई रोक दी जाएगी।

2. इस विधेयक में सभी आवश्यक संवैधानिक रक्षा उपाय, जैसे अधिवक्ता के माध्यम से व्यक्ति को सुनवाई का अवसर, उत्तर दाख़िल करने के लिए समय प्रदान करना, उसे भारत अथवा विदेश में सम्मन भिजवाना तथा उच्च न्यायालय में अपील करने जैसे प्रावधान किए गए हैं।

3. इसके अलावा, कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में संपत्ति के प्रबंधन व निपटान के लिए प्रशासन की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है।

4. ध्यातव्य है, सरकार द्वारा बजट 2017-18 में यह घोषणा की गई थी कि सरकार विधायी संशोधन लाने अथवा जब तक ऐसे अपराधी समुचित विधि न्यायालय मंच के समक्ष समर्पण नहीं करते, ऐसे अपराधियों को संपत्ति को ज़ब्त करने के लिए नया कानून लाया जाएगा।

5. साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार से संबधित मामलों में ग़ैर-दोष सिद्ध आधारित संपत्ति को ज़ब्त करने की प्रवृत्ति अपराध के प्रति युनाईटेड नेशन्स कन्वेंशन (भारत द्वारा 2011 में मान्य) से अनुसमर्थित है। विधेयक में इसी सिद्धांत को अंगीकार किया गया है।

6. अभी तक इस समस्या की गंभीरता से निपटने के लिए कानून के वर्तमान सिविल और आपराधिक प्रावधान पूर्णतः पर्याप्त नहीं हैं। अतएव ऐसी कार्रवाइयों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी, तीव्रतम और संवैधानिक दृष्टि में मान्य प्रावधान किया जाना आवश्यक समझा गया है।

प्रभाव

1. इस विधेयक से भगोड़े आर्थिक अपराधियों के सम्बम्ध में कानून के राज की पुनर्स्थापना होने की सम्भावना है क्योंकि इससे उन्हें भारत वापस आने के लिए बाध्य किया जाएगा और वे सूचीबद्ध अपराधों का कानूनी सामना करने के लिए बाध्य होंगे।

2. इससे ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों द्वारा की गई वित्तीय चूकों में अंतर्विष्ट रकम की उच्चतर वसूली करने में बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी मदद मिलेगी और ऐसी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

3. यह आशा की जाती है कि भगोड़े अपराधियों द्वारा भारत और विदेशों में उनकी संपत्तियों को तेज़ी से ज़ब्त करने के लिए उन्हें भारत लौटने और सूचीबद्ध अपराधों के सम्बंध में कानून का सामना करने हेतु भारतीय न्यायालयों के समक्ष पक्ष रखने के लिए एक विशेष तंत्र का सृजन हो सकेगा।

भारत में घटित आर्थिक अपराध - प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स (पीडब्लयू.सी) का वैश्विक आर्थिक अपराध सर्वेक्षण 2016 : वैश्विक एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य के निष्कर्ष, जिसे अग्रांकित तालिका संख्या 3.2 के माध्यम से निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है -

तालिका सं. 3.2

आर्थिक अपराध-भारत एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य

क्र.सं.	आर्थिक अपराधों के प्रकार	प्रतिशत	
		भारत	वैश्विक
1	आस्ति दुरुपयोग	71	64
2	साइबर अपराध	16	32
3	घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार	41	24
4	ख़रीद धोखाधड़ी	44	23
5	लेखांकन धोखाधड़ी	24	18
6	मानव संसाधन धोखाधड़ी	21	12
7	कालेधन को वैध बनाना	3	11
8	इनसाइडर ट्रेडिंग	2	7
9	बौद्धिक संपदा उल्लंघन	8	7
10	बंधक धोखाधड़ी	5	6
11	कर धोखाधड़ी	3	6
12	प्रतियोगिता/विरोधी विश्वास कानून का उल्लंघन	0	4
13	जासूसी	6	2
14	अन्य	8	11

स्रोत: प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स (पी.डब्ल्यू.सी.)का वैश्विक एवं भारतीय संदर्भ में आर्थिक अपराध सर्वेक्षण 2016

भारत में घटित आर्थिक अपराध – गृह मंत्रालय के अनुसार

आर्थिक अपराध की घटनाएँ : अग्रांकित तालिका संख्या 3.3 से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2016 में आर्थिक अपराधों में 4.6 प्रतिशत की कमी पाई गई। वर्ष 2015 में 1,50,170 मामले सूचित किए गए थे जो वर्ष 2016 में घटकर 1,43,524 हो गए। साथ ही, वर्ष 2016 में आर्थिक अपराध की दर प्रति एक लाख आबादी पर 11.3 प्रतिशत पाई गई।

तालिका संख्या 3.3

वर्ष 2014–2016 में आर्थिक अपराध की घटनाएँ

अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2016 में दोषसिद्धि की दर
	2014	2015	2016	वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में प्रतिशत अन्तर	वर्ष 2016 में आरोप – पत्र दायर करने की दर	
आपराधिक विश्वास भंग	19982	19218	18708	–2.7	66.5	22.4
धोखाधड़ी	109354	115405	109611	–5.0	53.3	20.0
जालसाज़ी	11245	13846	13729	–0.8	49.7	31.8
कूटकरण	1979	1701	1476	–13.2	57.7	31.3
कुल	142560	150170	143524	–4.4	54.8	21.4

स्रोत : गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017–18

मादक पदार्थों की ज़ब्ती

अपराध की घटनाएँ : वर्ष 2015 में 96,794 किग्रा. की तुलना में कुल 3,50,862 किग्रा. मादक पदार्थ ज़ब्त किए गए, जिसमें वर्ष 2015 की तुलना में 2016 के दौरान 262.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इनमें से अधिकांश मामले गांजा (29,437 किगा.), मेथाक्वॉलोन (24,107 किगा.), एफेड्रिन/सूडो एफेड्रिन (21,273 किगा.), हशीश (2,805 किगा.), तथा एसिटिक एनीड्राइड की ज़ब्ती से संबंधित थे।

ज़ब्त किए गए जाली भारतीय करेंसी नोट

अपराध की घटनाएँ : वर्ष 2016 के दौरान 15,92,50,181 रुपये मूल्य के कुल 2,81,839 नोट जाली भारतीय करेंसी नोट के रूप में ज़ब्त किए गए।

आयुध अधिनियम के अंतर्गत ज़ब्ती

अपराध की घटनाएँ : आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत कुल 53,929 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 56,516 शस्त्र ज़ब्त किए गए और उसमें से 36,064 आग्नेयास्त्र लाइसेंस रहित/ कामचलाऊ/अपरिष्कृत/ देशी थे तथा 1,052 आग्नेयास्त्र लाइसेंस युक्त/फैक्ट्री निर्मित थे। वर्ष 2016 के दौरान कुल 1,06,900 गोला-बारूद ज़ब्त किए गए।

साइबर अपराध एवं पुलिस

साइबर अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है क्योंकि दिन-प्रतिदिन कंप्यूटर और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। साइबर अपराध 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक या 21वीं शताब्दी

की प्रारंभिक दशक की उपजी हुई एक नकारात्मक अवधारणा है, जिसका जन्म तकनीकी विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के गर्भ से हुआ है। वस्तुतः साइबर अपराध से आशय किसी-न-किसी ऐसे अपराध से है, जिसमें किसी-न-किसी रूप में इलेक्ट्रानिक उपकरणों और सूचना प्रोद्यौगिकी का प्रयोग किया जाता है। यू.एन. ओ. के अनुसार, साइबर अपराध वर्तमान में सभी अपराधों में सबसे अधिक जघन्य अपराध है, जो विश्व समुदाय और मानवता के लिए एक ख़तरा है।

पिछले कुछ वर्षों में साइबर आक्रमणों में रैनसमवेयर आक्रमण सबसे अधिक देखा गया है। रैनसमवेयर एक सॉफ़्टवेयर है जो व्यक्तिगत आँकड़ों को ब्लॉक कर देता है या फिर तब उसे आम जनता के समक्ष ला देता है जब तक कि उसे रोकने के लिए पैसे न दिए जाएं। साइबर अपराधों की विवेचना जटिल होती है, इन अपराधों से सम्बन्धित साक्ष्य अमूर्त होते हैं, इन अपराधों की विवेचना परम्परागत विवेचनाओं से अलग होने के साथ-साथ कंप्यूटर नेटवर्क होने के कारण अत्यधिक जटिल भी होती है। इसके बढ़ते चलन से अपराधियों द्वारा नित्य नई तकनीक का उपयोग कर हमारे समक्ष इन पर अंकुश लगाने के संबंध में अनेक प्रकार की चुनौतियां समय-समय पर प्रस्तुत की जाती रही है। तकनीकी रूप से यह सम्भव है कि अन्य किसी देश में बैठा व्यक्ति किसी अन्य देश के नेटवर्क/इंटरनेट का प्रयोग कर भारत या किसी अन्य देशों में अपराध कर सकता है। इस प्रकार के साइबर अपराध का भिन्न-भिन्न देशों में घटित होने के कारण इन अपराधों का अनावरण न केवल तकनीकी रूप से कठिन होता है वरन् विभिन्न देशों में होने के कारण विवेचना में वैधानिक कठिनाइयां भी आती हैं। विवेचकों का साइबर अपराधियों के सापेक्ष इस क्षेत्र में अल्प तकनीकी ज्ञान होने के कारण इस प्रकार के

अपराधों के अन्वेषण में आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। अधिकांश विवेचको को साइबर से संबंधित अपराधों के कारित होने के पश्चात् घटना स्थल से क्या-क्या साक्ष्य एकत्रित किए जाने हैं तथा वस्तुओं को कब्ज़े में लिए जाने संबंधी सही विधि का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण इन विवेचनाओं को सम्पादित करना सम्भव नहीं हो पाता है तथा अन्वेषक सही दिशा व लक्ष्य के अभाव में विवेचना को लम्बित रखता है। जिससे इंटरनेट, कंप्यूटर, फ़ोन कॉल आदि साक्ष्य को एक अवधि के पश्चात प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो पाता है, परिणामस्वरूप, विवेचक द्वारा इन मूलभूत साक्ष्यों के अभाव में विवेचना बिना अनावरण किए अंतिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त कर दी जाती है।

नेट बैंकिंग एवं ए.टी.एम. धोखाधड़ी के विभिन्न रूप

सिम स्वैप

इसमें धोखेबाज़, मोबाइल सेवा प्रदाता से पूर्व में जारी सिम के बदले नई सिम प्राप्त करने का प्रबंध करते हैं। इस नई सिम की सहायता से वे बैंक खाते में लेन-देन के संबंध में वनटाईम पासवर्ड एवं अलर्ट प्राप्त कर लेन-देन करते है।

धोखेबाज़ कैसे काम करते हैं?

प्रथम चरण

धोखाधड़ी करने वाले 'फिशिंग', 'विशिंग स्मिशिंग' या किसी अन्य नाम के माध्यम से ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करते हैं।

दूसरा चरण

धोखेबाज़ मोबाइल ऑपरेटर से संपर्क करते हैं और सिम

अवरुद्ध करवाते हैं। इसके बाद, वे एक नकली ग्राहक के रूप में नकली परिचय पत्र के साथ मोबाइल खुदरा आउटलेट पर जाकर ऑपरेटर से संपर्क करते हैं।

तीसरा चरण

मोबाइल ऑपरेटर वास्तविक सिम कार्ड को निष्क्रिय करता है और धोखेबाज़ को एक नई सिम जारी करता है।

चौथा चरण

धोखेबाज़ चोरी की गई बैंकिंग जानकारी का उपयोग कर बैंकिंग लेन-देन की सुविधा के लिए एक वनटाइम पासवर्ड का निर्माण करता है। धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त सिम पर यह ओ.टी.पी. प्राप्त होता है।

धोखाधड़ी से खुद को कैसे बचाएँ :

यदि आपका मोबाइल नम्बर सामान्य समय से अधिक समय तक काम करना बंद कर दे तो आप आपके ऑपरेटर से यह सुनिश्चित करने के लिए संपर्क करें कि कहीं आप किसी स्कैम से पीड़ित तो नहीं हुए हैं?

अपने बैंक खाते में लेन-देन गतिविधियों के बारे में सूचित रहने के लिए एस.एम.एस., ई-मेल अलर्ट के लिए पंजीकरण करें।

नियमित रूप से किसी भी अनियमितताओं से बचाव के लिए अपने बैंक विवरण और लेन-देन इतिहास की जाँच करें।

विशिंग (vishing)

विशिंग एक वह प्रयास है, जहाँ धोखेबाज़ टेलीफ़ोन कॉल या मोबाइल के माध्यम से आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे ग्राहक

की आई.डी.., नेट बैंकिंग पासवर्ड, ए.टी.एम. पिन, कार्ड एक्सपायरी दिनांक, सी.वी.वी. इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर लेता हैं।

धोखेबाज़ कैसे काम करते हैं?

पहला चरण

धोखेबाज़ अपने आपको बैंक या सरकार या वित्तीय संस्थान के कर्मचारी के रूप में पेश कर ग्राहक से उनकी व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं।

दूसरा चरण

वे इस जानकारी को प्राप्त करने के पीछे विभिन्न कारणों का हवाला देते हैं कि उन्हे इस जानकारी की आवश्यकता क्यों है? जैसे, खाते को पुनः चालू करना, नकद इनाम, नया ए.टी.एम. कार्ड भेजना, आधार इत्यादि के साथ खाते को जोड़ना आदि।

तीसरा चरण

इस प्रकार प्राप्त किए गए इस विवरण का उपयोग ग्राहक के खाते पर उनकी जानकारी के बिना धोखाधड़ी की गतिविधियों/ लेन-देन करने के लिए किया जाता है।

धोखाधड़ी से खुद को कैसे बचाएँ :

किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को, जैसे ग्राहक की आई.डी., नेट बैंकिंग पासवर्ड, ए.टी.एम. पिन, कार्ड एक्सपायरी दिनांक, सी. वी.वी. को मोबाइल फ़ोन एस.एम.एस. एवं ई-मेल पर साझा नहीं करना चाहिए।

स्मिशिंग

स्मिशिंग एक प्रकार की धोखाधड़ी है, जो मोबाइल फोन से संदेश भेजकर या वापस फोन करने एवं धोखाधड़ी की वेबसाइटों दुर्भावनापूर्ण सामग्री डाउनलोड करने के लिए मोबाइल फोन संदेशों का उपयोग करती है

धोखेबाज़ कैसे काम करते हैं ?

पहला चरण

धोखेबाज़ इस आशय के ग्राहकों को आमंत्रित करने के लिए एस.एम.एस.भेजते है कि आपकी लॉटरी खुल गई है, रोज़गार की पेशकश करते है, एवं वे ए.टी.एम. कार्ड एवं खाते की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।

दूसरा चरण

असावधानीवश ग्राहक उन निर्देशों का अनुसरण करता है जो उस वेबसाइट्स पर दिए होते हैं जिसके तहत फोन करना या मालिशियस सामग्री को डाउनलोड करना शामिल है।

तीसरा चरण

इस प्रकार शेयर की गई जानकारी के आधार पर धोखेबाज़ ग्राहक खाते से लेन-देन करना शुरू करते हैं।

धोखाधड़ी से खुद को कैसे बचाएँ :

कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय जानकारी एस.एम.एस. ई-मेल या फोन द्वारा किसी को नहीं देनी चाहिए

साइबर क्राइम करने पर लगती है आई.पी.सी. की ये धाराएं

जुर्म की दुनिया में अपराधी हमेशा कानून को गुमराह करने के लिए नए-नए तरीके ईज़ाद करते हैं, ऐसा ही एक जुर्म है, साइबर क्राइम इस अपराध से जुड़े मामलों में आई.पी.सी. की धाराएं इतनी सख़्त है कि दोषी को मामूली जुर्माने से लेकर उम्रक़ैद तक हो सकती है।

साइबर क्राइम को लेकर सख़्त कानून

भारत में साइबर क्राइम मामलों में तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है। सरकार ऐसे मामलों को लेकर बहुत गंभीर है। भारत में साइबर क्राइम के मामलों में सूचना तकनीक कानून 2000 और सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2008 लागू होते हैं, मगर इसी श्रेणी के कई मामलों में भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.), कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून और यहां तक कि आतंकवाद निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।

कई मामलों में लागू होता है आई.टी. कानून

साइबर क्राइम के कुछ मामलों में आई.टी. डिपार्टमेंट की तरफ़ से जारी किए गए आई.टी. नियम 2011 के तहत भी कार्रवाई की जाती है। इस कानून में निर्दोष लोगों को साज़िशों से बचाने के इंतजाम भी हैं, लेकिन कम्प्यूटर, इंटरनेट और दूरसंचार इस्तेमाल करने वालों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि उनसे जाने-अनजाने में कोई साइबर क्राइम तो नहीं हो रहा है?

हैकिंग : धाराएं और सज़ा

किसी कम्प्यूटर, डिवाइस, इन्फ़ॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डेटा से छेड़छाड़ करना 'हैकिंग' कहलाता है। यह 'हैकिंग' उस सिस्टम की फिज़िकल एक्सेस और रिमोट एक्सेस के जरिए भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ऐसी 'हैकिंग' के दौरान उस सिस्टम को नुकसान पहुंचा ही हो। अगर कोई नुकसान नहीं भी हुआ है, तो भी घुसपैठ करना साइबर क्राइम के तहत आता है, जिसके लिए सज़ा का प्रावधान है। आई.टी. (संशोधन) एक्ट 2008 की धारा 43 (ए), धारा 66-आई.पी.सी. की धारा 379 और 406 के तहत अपराध साबित होने पर 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

जानकारी या डेटा चोरी

किसी व्यक्ति, संस्थान या संगठन आदि के किसी सिस्टम से निजी या गोपनीय डेटा या सूचनाओं की चोरी करना भी साइबर क्राइम है। अगर किसी संस्थान या संगठन के अंदरूनी डेटा तक आपकी पहुंच है, लेकिन आप अपनी उस जायज़ पहुंच का इस्तेमाल संगठन की इजाजत के बिना, उसके नाजायज़ दुरुपयोग की मंशा से करते हैं, तो वह भी इसी अपराध के दायरे में आएगा। कॉल सेंटर्स या लोगों की जानकारी रखने वाले संगठनों में इस तरह की चोरी के मामले आते रहे हैं। ऐसे मामलों में आई.टी. (संशोधन) कानून 2008 की धारा 43 (बी), धारा 66 (ई), 67 (सी), आई.पी.सी. की धारा 379, 405, 420 और कॉपीराइट कानून के तहत दोष साबित होने पर अपराध की गंभीरता के हिसाब से 3 साल तक की जेल या 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

वायरस, स्पाईवेयर फैलाना

अक्सर कम्प्यूटर में आए वायरस और स्पाईवेयर को हटाने पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनके सिस्टम से होते हुए ये वायरस दूसरों तक पहुंच जाते हैं। हैकिंग, डाउनलोड, कंपनियों के अंदरूनी नेटवर्क, वाई-फाई कनेक्शनों और असुरक्षित फ़्लैश ड्राइव, सीडी के जरिए भी वायरस फैल जाते है। वायरस बनाने वाले अपराधियों की पूरी एक इंडस्ट्री है, जिनके ख़िलाफ़ वक़्त-बेवक़्त कड़ी कार्रवाई होती रहती है। लेकिन आम लोग भी कानून के दायरे में आ सकते हैं अगर उनकी लापरवाही से किसी के सिस्टम में कोई ख़तरनाक वायरस पहुंच जाए और बड़ा नुकसान कर दे। इस तरह के केस में आई.टी. (संशोधन) कानून 2008 की धारा 43 (सी), धारा 66, आई.पी.सी. की धारा 268 और देश की सुरक्षा को ख़तरा पहुँचाने के लिए फैलाए गए वायरस पर साइबर आतंकवाद से जुड़ी धारा 66(एफ) भी लगाई जाती है। दोष सिद्ध होने पर साइबर-वॉर और साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्रकैद का प्रावधान है जबकि अन्य मामलों में 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।

पहचान की चोरी

किसी दूसरे शख़्स की पहचान से जुड़े डेटा, गुप्त सूचनाओं वग़ैरह का इस्तेमाल करना भी साइबर अपराध है। यदि कोई इंसान दूसरों के क्रेडिट कार्ड नम्बर, पासपोर्ट नम्बर, आधार नम्बर, डिजिटल आईडी कार्ड, ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वग़ैरह का इस्तेमाल करके शॉपिंग या धन की निकासी करता है तो वह इस अपराध में शामिल हो जाता है। जब आप किसी दूसरे शख़्स के नाम पर या उसकी पहचान का आभास देते हुए कोई जुर्म करते हैं, या उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो यह जुर्म आइडेंटिटी थेफ़्ट के दायरे में आता है। ऐसा करने वाले

पर आई.टी. (संशोधन) कानून 2008 की धारा 43, 66 (सी), आई.पी.सी. की धारा 419 लगाए जाने का प्रावधान है, जिसमें दोष साबित होने पर 3 साल तक की जेल या 1 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

ई-मेल स्पूफिंग और फ्रॉड

अक्सर आपके इनबॉक्स या स्पैम बॉक्स में कई तरह के इनाम देने वाले या बिजनेस पार्टनर बनाने वाले या फिर लॉटरी निकलने वाले मेल आते हैं। ये सभी मेल किसी दूसरे शख़्स के ई-मेल या फर्जी ई-मेल आई.डी. के ज़रिए किए जाते हैं। किसी दूसरे के ई-मेल पते का इस्तेमाल करते हुए ग़लत मक़सद से दूसरों को ई-मेल भेजना इसी अपराध की श्रेणी में आता है। हैकिंग, फिशिंग, स्पैम और वायरस, स्पाइवेयर फैलाने के लिए इस तरह के फ़र्ज़ी ई-मेल का इस्तेमाल अधिक होता है। ऐसी जानकारियों में बैंक खाता नम्बर, क्रेडिट कार्ड नम्बर, ई-कॉमर्स साइट का पासवर्ड वग़ैरह आ सकते हैं। इस तरह के मामलों में आई.टी. कानून 2000 की धारा 77बी आई.टी. (संशोधन) कानून 2008 की धारा 66 डी, आई.पी.सी. की धारा 417, 419, 420 और 465 लगाए जाने का प्रावधान है। दोष साबित होने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।

पोर्नोग्राफ़ी

इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता का व्यापार भी ख़ूब फल-फूल रहा है। ऐसे में पोर्नोग्राफ़ी एक बड़ा कारोबार बन गई है, जिसके दायरे में ऐसे फ़ोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री आती है, जो यौन, यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित हो। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी

को भेजने या किसी और के ज़रिए प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफ़ी निरोधक कानून लागू होता है। दूसरों के नग्न या अश्लील वीडियों तैयार करने वाले या ऐसा एम.एम.एस. बनाने वाले या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इन्हें दूसरों तक पहुंचाने वाले और किसी को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अश्लील संदेश भेजने वाले लोग इसी कानून के दायरे में आते हैं। पोर्नोग्राफ़ी प्रकाशित करना और इलेक्ट्रॉनिक ज़रियों से दूसरों तक पहुंचाना अवैध है, लेकिन उसे देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं माना जाता, जबकि चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी देखना भी अवैध माना जाता है। इसके तहत आने वाले मामलों में आई.टी. (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67ए, आई. पी.सी. की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सज़ा का प्रावधान है। जुर्म की गंभीरता के लिहाज़ से पहली ग़लती पर 5 साल तक की जेल या 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है, लेकिन दूसरी बार ग़लती करने पर जेल की सज़ा 7 साल तक बढ़ सकती है।

चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी

बच्चों के साथ पेश आने वाले मामलों पर कानून और भी ज़्यादा सख़्त है। बच्चों को सेक्सुअल एक्ट में शामिल करना या नग्न दिखाना या इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्मेट में कोई सामग्री प्रकाशित करना या दूसरों को भेजना भी इसी कानून के तहत आता है, बल्कि भारतीय कानून के मुताबिक, जो लोग बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तैयार करते है, इकट्ठी करते हैं, ढूंढ़ते हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, विज्ञापन देते हैं, प्रमोट करते हैं, दूसरों के साथ लेन-देन करते हैं या बांटते हैं तो वह भी ग़ैरकानूनी माना जाता है। बच्चों को बहला-फुसलाकर ऑनलाइन सम्बन्धों के लिए तैयार करना, फिर उनके साथ यौन सम्बन्ध बनाना या बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रेकॉर्ड करना, एम.एम.एस. बनाना, दूसरों को

भेजना आदि भी इसी के तहत आते हैं। इस कानून में 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चों की श्रेणी में माना जाता है। ऐसे मामलों में आई.टी. (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67बी आई. पी.सी. की धाराएं 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सज़ा का प्रावधान है। पहले अपराध पर 5 साल की जेल या 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है, लेकिन दूसरे अपराध पर 7 साल तक की जेल या 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

बच्चों और महिलाओं को तंग करना

आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स ख़ूब चलन में हैं। ऐसे में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों, ई-मेल, चैट वग़ैरह के ज़रिए बच्चों या महिलाओं को तंग करने के मामले अक्सर सामने आते हैं। इन आधुनिक तरीकों से किसी को अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजना या किसी भी रूप में परेशान करना साइबर अपराध के दायरे में ही आता है। किसी के ख़िलाफ़ दुर्भावना से अफवाहें फ़ैलाना, नफ़रत फैलाना या बदनाम करना भी इसी श्रेणी का अपराध है। इस तरह के मामले में आई.टी. (संशोधन) कानून 2008 की धारा 66ए के तहत सज़ा का प्रावधान है। दोष साबित होने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। धारा 66 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में निरस्त कर दिया गया है। अब पुलिस इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई नहीं कर सकती है।

आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा में जांच/विवेचना एवं उनके पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश आर्थिक अपराध के प्रकरणों की गुणवत्ता परक विवेचना हेतु।

(SOP)

अनुसंधान अधिकारी के कर्त्तव्य

- केस डायरी अनुसंधान कार्रवाई का एक महत्त्वपूर्ण अभिलेख है। प्रत्येक अनुसंधान द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई का अंकन धारा 172 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत केस डायरी में किया जाता है। विवेचना का कार्य पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा किया जाता है। किसी भी न्यायालय द्वारा केस डायरी का उपयोग साक्ष्य हेतु नहीं अपितु वाद विचारण हेतु अपने सहयोग के लिए किया जा सकता है। अतः इसको अर्थपूर्ण तरीके से पठनीय हस्तलेख में लिखा जाना अनिवार्य है।

- केस डायरी में प्रत्येक दिवस की विवेचनात्मक कार्रवाई का विवरण जो अभियोग के सफल अनावरण एवं विवेचना में प्रगति हेतु उठाए गए हों तथा सभी साक्षियों के वर्तमान एवं स्थायी पते एवं मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से केस डायरी में अंकित किए जाने चाहिए।

- पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जांच/विवेचना के दौरान दिए गए पर्यवेक्षण सम्बन्धी निर्देशों एवं अभियोजन अधिकारियों द्वारा पत्रावली पर दिए गए विधिक अभिमत का उल्लेख केस डायरी में उल्लिखित नहीं किया जाना चाहिए, अपितु इन निर्देशों के क्रम में की गई कार्रवाई केस डायरी में समाहित की जानी चाहिए।

- केस डायरी में अंकन पूर्व मुद्रित (छपे हुए) प्रारूप में ही होना चाहिए। यह प्रारूप क्रमांकित (Numbered) है और इसी क्रम में ही केस डायरी में अंकित किया जाना चाहिए।

- विवेचना/जांच आवंटित किए जाने के पश्चात् विवेचक को Investigation Plan/जांच की योजना अपने पर्यवेक्षण अधिकारी व अभियोजन अधिकारी से वार्ता के उपरांत तैयार करना चाहिए। इस जांच/विवेचना की योजना पर पुलिस अधीक्षक, अभियोजन अधिकारी व जांचकर्ता/विवेचक के

हस्ताक्षर होंगे। इस योजना के अनुमोदनोपरान्त ही विवेचनात्मक/जांच की कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

- केस डायरी की कार्बन प्रति विवेचनाधिकारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी। इसी प्रकार जांच प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक को भेजी जाने वाली आख्या की कार्बन प्रति जांचकर्ता अपने पास रखेंगे। यदि किसी विशेष कारणवश उच्चाधिकारियों के आदेश से विवेचना/जांच किसी अन्य विवेचनाधिकारी/जांचकर्ता को सौंपी जाती है, तो पूर्व विवेचक/जांचकर्ता द्वारा यह कार्बन प्रति नए विवेचक/जांचकर्ता को प्रदान की जाएगी व इसकी प्राप्ति ली जाएगी। विवेचना पूर्णरुप से समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक दशा में उक्त कार्बन प्रति भी विवेचनाधिकारी द्वारा अभिलेखागार में दाख़िल कर दी जाएगी।

- यदि किसी विवेचना में सक्षम अधिकारी द्वारा मुख्य विवेचक के साथ सह विवेचक भी नियुक्त किए गए हों तो प्रत्येक सह विवेचक द्वारा भी केस डायरी संधारित की जाएगी। यह केस डायरी सप्लीमेंट्री केस डायरी (एस.सी.डी.) कहलाएगी। सभी सप्लीमेंट्री केस डायरियाँ मुख्य विवेचक द्वारा रिकार्ड पर ली जाएगी व उनका सार अपनी मुख्य केस डायरी में अंकित किया जाएगा। सह विवेचक द्वारा सप्लीमेंट्री केस डायरी बिना किसी विलम्ब के मुख्य विवेचक को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। मुख्य विवेचक द्वारा अपने पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जाने वाली मुख्य केस डायरी के साथ सभी सप्लीमेंट्री केस डायरियों भी संलग्न किया जाना आवश्यक है।

- केस डायरी की दोनों प्रतियों में सभी संलग्नक 'जैसे कि गवाहों के', बयान की प्रतियां, Seizure Memo इत्यादि समाहित होने चाहिए, परन्तु विवेचनाधिकारी द्वारा विभिन्न

संगठनों/संस्थानों/व्यक्तियों से किया जा रहा दैनिक पत्राचार समाहित होना आवश्यक नहीं है।

अभियोजन अधिकारी के कर्त्तव्य

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रत्येक जांच/विवेचना की योजना (Investigation Plan) तैयार कराने में विवेचक/जांचकर्ता को सहयोग दिया जाएगा तथा इस योजना पर उनके द्वारा हस्ताक्षर भी किए जाएंगे।

- अभियोजन अधिकारियों द्वारा विधिक बिन्दुओं पर जांचकर्ता/विवेचनाधिकारी/पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर आवश्यकतानुसार अपना मत दिया जाएगा, परन्तु जांच/विवेचना के पर्यवेक्षण में कोई सीधी भूमिका नहीं होगी।

- जांच/विवेचना प्रकरण की समस्त जांच/विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत पुलिस अधीक्षक को एल.पी.आर. तैयार कराने में सहयोग हेतु जांच/विवेचना के सम्बन्ध में अपनी आख्या तैयार कराकर, पत्रावली प्राप्त होने के 10 दिवस के अन्दर पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जाएगी।

- **गृह मंत्रालय के अनुसार, भारत में वर्ष 2014- 2016 के दौरान साइबर अपराध की घटनाएँ- भारत में वर्ष 2014- 2016 के दौरान साइबर अपराध की घटनाओं को अग्र तालिका संख्या 3.4 में निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है-**

तालिका 3.4
वर्ष 2014- 2016 के दौरान साइबर अपराध की घटनाएँ

अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2016 में दोषसिद्धि की दर
	2014	2015	2016	वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में प्रतिशत अन्तर	वर्ष 2016 में आरोप - पत्र दायर करने की दर	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सूचना प्रौद्योगिकी- कंप्यूटर आधारित दस्तावेज़ों से छेड़छाड़	89	88	78	-11.14	39.5	0.0
सूचना प्रौद्योगिकी- कंप्यूटर संबंधी अपराध (धारा 66 तथा66ख से 66ड़)	5548	6567	6818	3.8	37.1	11.3
सूचना प्रौद्योगिकी - साइबर आतंकवाद (धारा 66च)	5	13	12	-7.7	75.0	-
सूचना प्रौद्योगिकी - अश्लील/यौन की दृष्टि से स्पष्ट सामग्री का प्रकाशन/प्रसारण (धारा 67 तथा धारा 67क से 67 ग)	758	816	957	17.3	59.0	60.0

सूचना प्रौद्योगिकी – गोपनीयता/निजता का उल्लंघन	16	20	35	0.0	50.0	–
सूचना प्रौद्योगिकी – अन्य	758	541	713	37.0	31.2	75.0
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत कुल अपराध (क)	7201	8045	8613	7.1	38.8	17.1
आई.पी.सी. – साक्ष्य हेतु इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों को गढ़ना/नष्ट करना	1	4	6	50.0	80.0	–
आई.पी.सी. – धोखाधड़ी	1115	2255	2329	3.3	27.6	0.0
आई.पी.सी. – जालसाजी	63	45	81	80.0	43.2	–
आई.पी.सी. –डाटाचोरी	55	84	86	2.4	36.1	–
आई.पी.सी. – आपराधिक विश्वास भंग/धोखेबाज़ी	54	42	56	33.3	46.2	–
आई.पी.सी. – कूटकरण	10	12	10	–16.7	100.0	–
आई.पी.सी. – अन्य	974	980	950	–31.3	69.1	40.0

आई.पी.सी. के तहत कुल अपराध (ख)	2272	3422	3518	2.8	41.7	33.3
कॉपीराइट अधिनियम, 1957	118	113	181	60.2	84.0	0.0
ट्रेड मार्क्स अधिनियम,1999	1	0	2	-	0.0	-
अन्य एस.एल.एल. अपराध	30	12	3	-75.0	87.5	-
कुल एस.एल.एल. अपराध (ग)	149	125	186	48.8	83.6	0.0
कुल योग (क.ख.ग)	9622	11592	12317	6.3	40.3	18.9

स्रोत : गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

विदेश में अन्वेषण - इंटरपोल : एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन - एक संक्षिप्त परिचय

इंटरपोल एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है, जिसका मुख्यालय, इंटरपोल सामान्य सचिवालय, लियोन, फ्रांस में स्थित है। इस संगठन की स्थापना विभिन्न देशों के पुलिस बलों के बीच कूटनीतिक माध्यमों से हटकर सीधा सम्पर्क, आपसी तालमेल और समन्वय स्थापित करने के लिए की गई। साथ ही, इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य दुनिया की पुलिस को इतना सक्षम बनाना है कि आमजन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मेंग होंगवेई है। वर्तमान में 192 देश इसके सदस्य हैं।

गठन - ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

इंटरपोल का गठन करने के लिए सर्वप्रथम सन् 1893 में जर्मनी की राजधानी, बर्लिन में कई देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका था। इसके बाद मोनाको में 14 अप्रैल से 18 अप्रैल, 1914 तक 14 देशों के वकीलों और पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन हुआ। इस बार इन प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधी रिकार्ड कार्यालय और अन्य व्यवहारिकताओं संबंधी प्रारंभिक रूपरेखा तैयार कर ली थी, पर इन्हे कार्यान्वित करने से पूर्व ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध के कारण संगठन की विधिवत् गठन की घोषणा न हो सकी।

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप में अपराधों में वृद्धि होने लगी। भौगोलिक स्थिति के कारण ऑस्ट्रिया की सीमा छह देशों से मिलती थी और अपराधी ऑस्ट्रिया में अपराध करने के पश्चात् अन्य पड़ोसी देशों में भाग जाते थे। इस विषम स्थिति के निराकरण हेतु ऑस्ट्रिया ने अपराधियों को पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए इंटरपोल के गठन में पहल की। सन् 1923 में ऑस्ट्रिया की राजधानी, वियना में आयोजित इस सम्मेलन में 20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन्होंने इंटरपोल का विधिवत् गठन कर लिया। संगठन का मुख्य कार्यालय वियना में स्थापित किया गया और यहाँ के पुलिस महानिरीक्षक जोहान्न स्कोबर को इंटरपोल का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

इंटरपोल के कार्य

1 वैश्विक अपराध नियंत्रण

इंटरपोल मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, नकली मुद्रा एवं दस्तावेज़, बच्चों के विरुद्ध अपराध, सांस्कृतिक विरासत अपराध, साइबर

अपराध, नशीली दवाओं की तस्करी, पर्यावरण अपराध, वित्तीय अपराध, आग्नेयास्त्र की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध माल, समुद्री अपराध, संगठित अपराध, आंतकवाद, वाहनों से संबंधित अपराध एवं युद्ध अपराधों के संबंध में विभिन्न सदस्य राष्ट्रों की पुलिस को विशेषज्ञतायुक्त सहायता उपलब्ध करता है।

2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं क्षेत्रीय पुलिस संगठनों के साथ समन्वय बनाए रखना

यूरोपियन यूनियन, अर्फिकन यूनियन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके सहभागी हैं। इसके अलावा इंटरपोल क्षेत्रीय पुलिस संगठन, जैसे एशियनपोल (ASEANAPOL), अफ्रिपोल (AFRIPOL), यूरोपोल (EUROPOL), अमेरिपोल (AMERIPOL), जीसीसीपोल (GCCPOL), एवं ए.आइ.एम. सी. (AIMC) के साथ निकट घनिष्ठता से पुलिसिंग के संबंध में काम करता है। इसके अलावा इंटरपोल द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं।

3 वैश्विक अपराधियों के विरुद्ध नोटिस जारी करना

इंटरपोल नोटिस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या चेतावनी के लिए अनुरोध है, जो सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। सदस्य देशों के अनुरोध पर, इंटरपोल जनरल सचिवालय संगठन की चार आधिकारिक भाषाओं (अरबी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच और स्पेनिश) में नोटिस जारी करता है। यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि इंटरपोल कुल मिलाकर 8 तरह के नोटिस जारी करता है। जिनमें से सात नोटिस विभिन्न सरकारों के आग्रह पर जबकि आठवां विशेष नोटिस संयुक्त राष्ट्र के आग्रह पर जारी किया जाता है। हालांकि इसमें 'रेड कॉर्नर नोटिस' सबसे महत्त्वपूर्ण है।

1 रेड कॉर्नर नोटिस (Red Corner Notice)

क्या है रेड कॉर्नर नोटिस

यह नोटिस एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ़ने और अस्थायी रूप से गिरफ़्तार करने का अनुरोध है जिसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। लेकिन सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने से वह व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता। इसे अदालत से भी दोषी ठहराया जाना चाहिए। इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने पर यह जरूरी नहीं कि सदस्य देश उस व्यक्ति की गिरफ़्तारी के लिए मजबूर हों। प्रत्येक सदस्य देश को यह अधिकार है कि वह अपने देश की सीमा के अंदर रेड कॉर्नर नोटिस का कानूनी मूल्यों के अनुसार फ़ैसला करे। इस नोटिस में यह प्रावधान है कि किसी भी सदस्य देश की संप्रभुता के लिए किसी प्रकार का ख़तरा पैदा न हो।

नोटिस में गिरफ़्तारी वारंट शामिल नहीं

इंटरपोल गिरफ़्तारी वारंट जारी नहीं करता। गिरफ़्तारी वारंट उस देश की पुलिस या अदालत जारी कर सकती है, जहाँ वो अपराध किया गया हो। देश के कोर्ट के अलावा कोई इंटरनेशनल कोर्ट भी किसी वांछित व्यक्ति के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी कर सकता है।

नोटिस के लिए करनी होती हैं ये शर्तें पूरी

यह नोटिस तभी जारी हो सकता है जब उसका संविधान इस बात की इजाज़त देता हो। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी देश अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसा न करे। ऐसे में, इन सबसे बचने के लिए इंटरपोल के पास अधिकार है कि यदि धार्मिक, राजनीतिक

एवं किसी अन्य आधार से प्रेरित अगर कोई रेड कॉर्नर नोटिस की रिक्वेस्ट आती है तो वह उसके लिए नोटिस जारी करने से मना कर सकता है।

क्यों जारी किया जाता है यह नोटिस

अपने देश से किसी आरोपी के भागने पर उसकी गिरफ़्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस जारी होने पर आरोपी इंटरपोल के सभी सदस्य देशों की पुलिस की नज़र में रहता है और व्यक्ति को पकड़ने पर उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि अपराधी किसी देश में अपराध करने के बाद उस देश को छोड़कर किसी अन्य देश में चला जाता है तो ऐसे हालात में उस व्यक्ति के लोकेशन को जानने और वांछित देश की पुलिस के द्वारा गिरफ़्तार करने के लिए सभी देशों के सहयोग की कोशिश होती है। दूसरे देशों की मदद लेने के लिए यह नोटिस जारी किया जाता है।

2 येलो कॉर्नर नोटिस (Yellow Corner Notice)

यह नोटिस अकसर गुमशुदा लोगों के लिए जारी किया जाता है। इसमें बच्चे या ऐसे लोग, जो अपनी पहचान नहीं बता सकते, उनकी शारीरिक बनावट, रंग-रूप, शारीरिक चिह्न आदि का विवरण इस नोटिस में दिया जाता है।

3 ब्लू कॉर्नर नोटिस (Black Corner Notice)

यह अज्ञात व्यक्तियों की जानकारी के लिए जारी किया जाता है। हर वर्ष करीब 150 ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किए जाते है। यहां अज्ञात व्यक्ति का अर्थ एक ऐसे मृत व्यक्ति की लाश से है जिसकी पुलिस व चिकित्सा परीक्षकों द्वारा पहचान नहीं हो सकी है।

4 ब्लैक कॉर्नर नोटिस (Black Corner Notice)

यह नोटिस उस देश को जारी किया जाता है जहां से अपराधी या वांछित व्यक्ति का संबंध होता है। इस नोटिस के माध्यम से वांछित व्यक्ति के बारे में विभिन्न क्रियाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। यह एक जाँच का नोटिस है, जिसे किसी व्यक्ति के बारे में पत्ता लगाने, पहचानने या प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है।

5 पर्पल नोटिस (Purple Corner Notice)

यह नोटिस पर्यावरण से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए जारी किया जाता है। साथ ही, जंगली जानवरों का शिकार करने वाले ऐसे अपराधी, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उनके शरीर के अंग बेचते हैं, उनके विरुद्ध जारी किया जाता है। भारत में एक सींग वाले गैंडे का शिकार और बंगाल का टाईगर का शिकार करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ इंटरपोल से इस प्रकार का नोटिस जारी करने का आग्रह किया जाता है।

6 ग्रीन कॉर्नर नोटिस (Green Corner Notice)

यह नोटिस एक तरह की चेतावनी होता है। यह उनके ख़िलाफ़ जारी किया जाता है जिन्होंने पहले कभी अपराध किया है। साथ ही 'जिन' पर शक होता है कि वे उस अपराध को दोहरा सकते हैं। इस प्रकार यह नोटिस बार-बार यौन अपराध करने वाले व मानव तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध जारी किया जाता है।

7 ऑरेंज कॉर्नर नोटिस (Orange Corner Notice)

इस प्रकार का नोटिस एक ऐसे व्यक्ति, वस्तु, पार्सल, बम संदिग्ध हथियार और अन्य ख़तरनाक और विस्फोटक सामग्री के बारे में सतर्क रहने के लिए जारी किया जाता है, जिससे कि

सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर ख़तरा हो। हाल ही में इस प्रकार का नोटिस फ्रांस सरकार के अनुरोध पर एक वज़न कम करने वाली गोली' (Tablet- Miracle Diet Pill) के ख़िलाफ़ जारी किया गया था।

8 इंटरपोल - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् विशेष सूचना नोटिस (Interpol - United Nations Security Council Special Notice)

यह एक ख़ास तरह का नोटिस होता है। इसे ऐसी किसी संस्था, व्यक्ति या समूह के विरुद्ध जारी किया जा सकता है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की प्रतिबंध समिति के निशाने पर होता है। इंटरपोल अब तक ऐसे 500 से भी ज़्यादा नोटिस जारी कर चुका है।

भारतवर्ष में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को इस कार्य के लिए मनोनीत किया गया है। इंटरपोल की भाषा में भारत के राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो को आई.पी., नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक देश के राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो को आई.पी. - स्थान के नाम से जाना जाता है, उदाहरणतया अमेरिका और पाकिस्तान के राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो को क्रमशः आई.पी वॉशिंगटन तथा आई.पी. इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता है।

सभी सदस्य देशों के राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो के मुख्यालय विभिन्न संचार माध्यमों जैसे दूरभाष,फैक्स, ई-मेल तथा आई-24/7 नेटवर्क नामक एक सम्पूर्ण सुरक्षित एवं समर्पित प्रणाली के माध्यम से लियोन, फ्रांस स्थित इंटरपोल मुख्यालय तथा अन्य सदस्य देशों के एन.सी.बी. मुख्यालयों से परस्पर जुड़े हुए हैं। इंटरपोल के सभी सदस्य देश इनमें से किसी भी माध्यम द्वारा सूचना को साझा करने, भगोड़ों को ढूँढ़ने आदि के लिए पुलिस स्तर पर परस्पर सहयोग व समन्वय बनाए रख सकते हैं। परन्तु ये सेवाएं केवल इंटरपोल

के अधिकार-पत्र तक ही सीमित हैं। अर्थात् इंटरपोल अपने अधिकार-पत्र से हटकर कोई अन्य सेवा जैसे राजनीतिक अथवा सैन्य सम्बन्धी सेवाएं प्रदान नहीं करता।

भारत में स्थित विभिन्न पुलिस बल और अन्वेषण एजेंसियां भारत के राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो अर्थात् सी.बी.आई. की इंटरपोल विंग के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। वांछित जानकारियों में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान,उनका वर्तमान पता, दूरभाष नम्बर आदि का सत्यापन, विभिन्न प्राधिकारियों की सम्पर्क सूचना, अन्वेषण दलों की यात्रा कार्यक्रमों सम्बन्धी तालमेल, साईबर अपराध, बच्चों के यौन शोषण तथा प्रतिबन्धित वस्तुओं, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी आदि सम्बन्धी जानकारी शामिल है।

राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो, नई दिल्ली से सूचना के आदान-प्रदान हेतु प्रत्येक राज्य में एक इंटरपोल संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य में पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) को इंटरपोल संपर्क अधिकारी मनोनीत किया गया है। जब भी किसी अन्वेषण अधिकारी को विदेशी अन्वेषण एजेंसियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने अथवा साक्ष्य एकत्रित करने की आवश्यकता हो तो उसे अपने राज्य के इंटरपोल संपर्क अधिकारी के माध्यम से अनुरोध भेजना होगा। इस ज्ञापन में वांछित जानकारी का विवरण दिया जाना चाहिए। तदोपरान्त राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो, नई दिल्ली वांछित जानकारी प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित देश के राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो को अनुरोध अग्रेषित करेगा। आवेदक अन्वेषण एजेंसी को चाहिए कि वह ज्ञापन के साथ एक आई.24/7 संदेश का प्रारूप भी राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो, नई दिल्ली को भेजे। आपातकालीन मामलों में अनुरोध-पत्र की एक प्रति सभी संलग्नकों सहित राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो, नई दिल्ली के पते पर सीधे भी भेजी जा सकती है।

• • •

अध्याय–4
भारत में आर्थिक अपराध एवं अन्य प्रवर्तन प्राधिकरण

आर्थिक अपराध निपटान की दिशा में पुलिस के अलावा अन्य कई नियामक प्राधिकरण हैं जो निरीक्षण एवं पुलिसिंग का कार्य करते हैं। इस अध्याय में हम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, वित्तीय आसूचना इकाई, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एवं राजस्व निदेशालय, गंभीर अपराध जाँच कार्यालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एवं इसके अलावा बहुत सी समन्वयकारी एजेंसियाँ हैं जैसे केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राष्ट्रीय आसूचना ब्यूरो, जो आर्थिक अपराध के ख़तरों से निपटने के लिए अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह अध्याय इन संस्थानों की भूमिका और उनके दायित्वों और उनके प्रशासनिक ढाँचे का विवरण प्रस्तुत करता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, जबकि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और उसकी योजना के लिए आवश्यक निविष्ठियां उपलब्ध कराता है। यह आय–कर विभाग के ज़रिए प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय राजस्व अधिनियम बोर्ड, 1963 के अंतर्गत कार्य कर रहा एक सांविधिक प्राधिकरण है। बोर्ड के अधिकारी अपनी पदेन क्षमता में प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और वसूली से संबंधित मामलों से डील करने वाले मंत्रालय को एक डिविज़न के रूप में कार्य करते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का प्रमुख एक अध्यक्ष होता है और उसमें छह और सदस्य होते हैं।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विभिन्न कार्य एवं दायित्व अध्यक्ष एवं छह सदस्यों के बीच बँटे होते हैं, जिनमें से केवल मूलभूत मुद्दे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सामूहिक निर्णय हेतु आरक्षित होते हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का प्रत्येक सदस्य देशभर में फैले आय-कर विभाग जिन्हें 'ज़ोन' के नाम से जाना जाता है, के क्षेत्रीय कार्यालयों के विशेष क्षेत्रों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी हैं और जिसे 18 काडर नियंत्रण मुख्य आयुक्तों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सलंग्न कार्यालयों के रूप में 8 निदेशालय हैं जिनमें 13 के अध्यक्ष आयकर महानिदेशक हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बीच एक सकारात्मक संपर्क बनाने का महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं। जाँच विंग के अध्यक्ष आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के पास सीमा पार संव्यवहारों और मूल्य अंतरण में उठने वाले कराधन मुद्दों का प्रभार है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कराधान से संबंधित नीति-निर्माण का काम करता है जिनमें कानून के नए संशोधन शामिल हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के डिविज़न अन्य जाँच, विधायी संशोधन, मुकदमेबाज़ी, लेखा परीक्षा और प्रशासनिक मामलों से संबंधित नीतिगत मामलों पर कार्रवाई करते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) के उपबंधों को लागू करने के लिए 1 मई, 1956 में प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई थी। तथापि, आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया चलते हुए 31 मई, 2000 को फेरा को निरस्त कर दिया गया था और उसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेरा) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो पहली जून, 2000 से प्रवर्तित हुआ। प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन अपराधों की जाँच

करने और उस पर अभियोजन चलाने और धन शोधन निवारक अधिनियम, 2000 (पी.एम.एल.ए) के अंतर्गत अपराध की प्राप्तियों की कुर्की /जब्ती का कार्य सौंपा गया है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी सूचना एकत्र करने, उसके प्रतितुलन और उसे तैयार करने, धन शोधन के संदिग्ध मामलों में जाँच, अनुसूचित अपराधों को करने के माध्यम से प्राप्त परिसंपत्तियों की कुर्की /ज़ब्ती और न्यायालयों में अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने जैसे बहुत से, बहुआयामी कार्य करते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय भारत की विदेशी मुद्रा बाज़ार के विकास के संवर्द्धन और उसके रखरखाव के उद्देश्य से 'फेमा' के उपबंधों को लागू करता है और अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेन-देनों में शामिल व्यक्तियों/सत्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करता है।

प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में फैले हुए हैं। एक अलग विधायी विंग है, जिसका अध्यक्ष अभियोजक होता है। उसके 2 उप विधायी सलाहकार, 10 सहायक विधायी सलाहकार होते हैं। निदेशालय को मार्च, 2011 को पुनर्गठित किया गया था और उसके कार्यालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 कर दी गई थी। पुनर्गठन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नई दिल्ली में इसके एक निदेशालय की स्थापना की गई है। निदेशालय आसूचना /सूचना के आधार पर अप्राधिकृत होल्डिंग्स के साथ-साथ विदेशों में बैंक खाते रखने सहित सामान्यतया निवासी भारतीयों द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा लेन-देन के संबंध में फ़ेमा के उल्लंघनों की जाँच - पड़ताल प्रारम्भ करता है और फ़ेमा के उपबंधों के अनुसार उचित कार्रवाई करता है।

प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन अधिनियम, 2002 को लागू करता है। पी.एम.एल.ए. धन शोधन के मामलों में जाँच से संबंधित है और इसमें तलाशी, ज़ब्ती, साक्ष्य एकत्र करने, अभियोजन आदि की शक्तियों से संबंधित प्रावधान हैं, जिसके लिए प्रवर्तन निदेशालय एक सक्षम प्राधिकरण है।

प्रवर्तन निदेशालय : वर्ष 2012 से 2015 का कार्य निष्पादन

प्रवर्तन निदेशालय के कार्य निष्पादन को निम्न तालिकाओं के माध्यम से इस प्रकार दर्शाया जा सकता है।

तालिका संख्या 4.1
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत

कार्रवाई	1.7.2005 से 31.03.2012 तक	2012-2013	2013-2014	2014-2015	31.03.2015 को रही स्थिति के अनुसार कुल मामले
दर्ज हुए मामलों की संख्या	1,437 (लंबित)	221	209	178	1,326 (लंबित)
निपटाए गए मामलों की संख्या	- -	100	277	342	- -
जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या	131	65	130	166	492

कुर्क की गई परिसंपत्तियों का मूल्य (करोड़ों में)	1,214.66	2,358.1	1,773.4	3,657.1	9,003.26
पुष्ट अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या	108	52	57	138	355
न्याय निर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनंतिम कुर्की आदेशों के तहत कुर्क की गई परिसंपत्तियों का मूल्य (करोड़ों में)	960.77	325.98	1,395.4	2,150.08	4,832.91
गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	22	3	7	19	51
दर्ज की गई अभियोजन शिकायतों की संख्या	38	11	55	69	173

स्रोत: प्रवर्तन निदेशालय

तालिका संख्या 4.2
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फ़ेरा), 1999 के अंतर्गत

कार्रवाई	31.03.2012 को रही स्थिति के अनुसार लंबित मामले	2012-2013	2013-2014	2014-2015	31.03.2015 को रही स्थिति के अनुसार लंबित मामले
आरंभ की गई जाँचों की संख्या	5,823	1,722	1,041	915	4,776 (लंबित)
पूरी की गई जाँचों की संख्या	- -	1,471	1,678	1,576	- -
जारी किए गए 'कारण बताओं' नोटिस	1560 (लंबित न्याय निर्णयन)	647	573	654	1,304 (लंबित)
न्याय निर्णित 'कारण बताओं' नोटिस	- -	532	780	818	- -

स्रोत: प्रवर्तन निदेशालय

वित्तीय आसूचना इकाई

धन शोधन और आतंकवादियों को वित्त पोषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आसूचना के लिए जाँच और प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा प्रयासों को समन्वित और सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 18 नवम्बर, 2004 को कार्यालय ज्ञापन के तहत भारत सरकार, वित्तीय आसूचना इकाई का गठन किया गया था। वित्तीय

आसूचना इकाई संदिग्ध वित्तीय संव्यवहारों से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने संसाधित करने, मूल्यांकन करने और वितरित करने के लिए उत्तरदायी केन्द्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है। यह एक स्वतंत्र इकाई है, जो वित्तमंत्री की अध्यक्षता में, आर्थिक आसूचना परिषद्, को रिपोर्ट करती है। प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए वित्तीय आसूचना इकाई राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। पी.एम. एल.ए. के अंतर्गत जारी नियमों के अंतर्गत, वित्तीय आसूचना इकाई को नकद संव्यवहार रिपोर्ट, संदिग्ध संव्यवहार रिपोर्ट, नकली करेंसी रिपोर्ट एवं गैर-लाभ संव्यवहार रिपोर्ट के संबध में रिपोर्ट निर्धारित की गई है। वित्तीय आसूचना इकाई को पी.एम.एल.ए. के अंतर्गत पारिभाषित किया गया है। निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई को पी.एम.एल.ए. की धारा 12, 13, और 66 के अंतर्गत सूचना एकत्र करने और उसे वितरित करने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकार प्राप्त हैं। तलाशी और अधिग्रहण से संबंधित शक्तियों का प्रयोग प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किया जाता है। दिनांक 1 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या 5/2005 निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई को पी.एम.एल.ए. के अंतर्गत विभिन्न शक्तियाँ प्रदान करती है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एवं राजस्व निदेशालय

यह भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और उसकी वसूली से संबंधित नीति तैयार करने, तस्करी की रोकथाम करने और सी.बी.ई.सी. के सीमा क्षेत्र में आनेवाली सीमा तक सीमा शुल्क और नार्कोटिक्स से संबंधित मामलों के प्रशासन का कार्य करता है। बोर्ड, अपने अधीनस्थ संगठनों, जिनमें सीमा शुल्क गृह, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और केन्द्रीय

राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला शामिल हैं, के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, सी.बी.ई.सी. के अंतर्गत कार्य कर रहा एक प्रमुख आसूचना संगठन है। इसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के अपवंचन के मामलों का पता लगाने का दायित्व सौंपा गया है। निदेशालय विशेष रूप से देशभर में आसूचना नेटवर्क के ज़रिये कर उपवंचन के नए क्षेत्रों में आसूचना तैयार करता है और इस संबंध में शुल्क अपवंचन में नवीनतम प्रवृत्ति के बारे में क्षेत्रीय कार्यालयों को अवगत कराने के लिए कार्यप्रणाली परिपत्रों और सतर्क परिपत्रों को जारी करते हुए सूचना संवितरित करता है। जहाँ भी आवश्यक पाया गया है, डी.जी.सी.ई.आई. स्वयं अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय करके केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए कार्रवाई का आयोजन करता है।

राजस्व आसूचना निदेशालय भी सी.बी.ई.सी. के अंतर्गत कार्य करता है। उसे सीमा शुल्क कानूनों और उससे कम सीमा में, स्वापक रोधी कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर डाटा और सूचना एकत्र करने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने और उसके संवितरण का दायित्व सौंपा गया है। यह विश्व सीमा शुल्क संगठन, ब्रूसल्स, टोक्यो में क्षेत्रीय आसूचना संपर्क कार्यालय, इंटरपोल और विदेशी सीमा शुल्क प्रशासन के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाकर रखता है। नई दिल्ली में इसकी अध्यक्षता महानिदेशक द्वारा की जाती है। और देशभर में उसे 7 ज़ोनों में विभाजित किया गया है।

संदिग्ध संव्यवहार रिपोर्टों की पूरी संविक्षा और जाँच जिसे एफ.आई. यू. द्वारा अग्रेषित किया गया है, को राजस्व आसूचना निदेशालय और इसकी जोनल इकाइयों द्वारा आयोजित किया जाता

है जो देशभर के भीतर और बाहर बेहिसाबी धन के मामलों की पहचान करने में सहायता करता है।

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो को वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसी के बीच राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय, आसूचना बाँटने और जाँच-पड़ताल करने के लिए उत्तरदायी है। यह राजस्व विभाग के भीतर विभिन्न जाँच ऐजेंसियों और आसूचना ब्यूरो, अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध (रॉ), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इत्यादि सहित अन्य आसूचना और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आर्थिक आसूचना के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में मौजूदा समन्वय प्रणाली में क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद् और आर्थिक आसूचना दल शामिल हैं और केन्द्र में राजस्व विभाग के अंतर्गत जाँच एजेन्सियों के प्रमुखों की बैठकें शामिल हैं जबकि आर्थिक आसूचना दल आसूचना को बाँटने से संबंधित मामलों पर ध्यान केन्द्रित करता है और केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो और एजेंसी बैठक के प्रमुख आसूचना जाँच-पड़ताल, दोनों का कार्य करते है।

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के चार्टर के अनुसार (यथा संशोधित) इसे डाटा एकत्र करने और परितुलन नीतियों और कर अपवंचकों, आर्थिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों, व्हाइट कॉलर संचालकों आदि के डोज़ियर तैयार करने और उनका अनुरक्षण करने सहित आर्थिक अपराधों से संबंधित मुद्दों पर 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करने का दायित्य सौंपा गया है। यह आर्थिक अपराधों में उभरती प्रवृत्तियों और बदलते आयामों की भी

जाँच करता है। यह इन कार्य-कलापों को विभिन्न सट्टाधारकों के बीच साँठ-गाँठ और राष्ट्रविरोधी तत्त्वों, धन शोधन करने वालों, स्वापक औषधि के व्यापारियों आदि की कार्य-प्रणाली सहित नई कार्य-प्रणाली को नोट करते हैं और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उपायों का सुझाव भी देते हैं।

ब्यूरो के अध्यक्ष विशेष सचिव एवं महानिदेशक हैं, जिनकी सहायता के लिए 3 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जिनमें से एक संयुक्त सचिव विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (कोफ़ेपोसा) अधिनियम के रूप में और अन्य 2 उप महानिदेशक (प्रशासन और समन्वय) और उप महानिदेशक (आर्थिक आसूचना) के रूप में पदनामित होते हैं। वर्तमान में ब्यूरो के तीन स्कंध हैं जो क्रमशः प्रशासन और समन्वय स्कंध, आर्थिक आसूचना स्कंध एवं काफेपोसा स्कंध है:-

संक्षेप में प्रत्येक स्कंध का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :

1. प्रशासन और समन्वय स्कंध

यह स्कंध वित्तमंत्री की अध्यक्षता में, 'आर्थिक आसूचना परिषद्' के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह 'आर्थिक आसूचना परिषद्' और कार्य समूह से संबंधित कार्य को देखता है और देशभर में 21 क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों के कार्यचलन की निगरानी भी करता है। इसके अलावा, यह स्कंध ब्यूरो के सामान्य प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी होता है।

2. आर्थिक आसूचना स्कंध

यह स्कंध आर्थिक अपराधों, जैसे कि नशीले पदार्थों का ग़ैर

कानूनी धंधा, तस्करी, विदेशी मुद्रा का उल्लंघन, जाली मुद्रा की आपूर्ति, हवाले का लेन-देन, स्टॉक बाज़ार में वित्तीय जालसाज़ी, धन शोधन, कर अपवंचन इत्यादि से संबंधित सूचना और आसूचना के केन्द्रीय स्तर पर आदान-प्रदान का समन्वय करता है।

3. कोफ़ेपोसा स्कंध

यह स्कंध विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (कोफ़ेपोसा) अधिनियम से संबंधित कार्य देखता है। तस्करों और विदेशी मुद्रा के धोखेबाजों को कोफ़ेपोसा अधिनियम, 1974 के तहत 1 वर्ष की अवधि के लिए नज़रबंद रखा जाता है ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की प्रतिकूल गतिविधियों में संलिप्त होने से रोका जा सके। डी.आर.आई., प्रवर्तन निदेशालय या सीमा शुल्क केन्द्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सदस्य (सीमा शुल्क) के अधीन जाँच समिति नज़रबंदी पर विचार करती है और सिफ़ारिश करती है। नज़रबंदी आदेश संयुक्त सचिव (कोफ़ेपोसा) द्वारा जारी किया जाता है, जिसे उच्च न्यायालय के तीन आसीन जजों के बने सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाता है और फिर इसकी पुष्टि माननीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती हैं। नज़रबंदी आदेश राज्य सरकारों द्वारा भी जारी किए जाते है। नज़रबंद व्यक्ति अपनी नज़रबंदी के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है। ऐसे अभ्यावेदनों पर नज़रबंद करने वाला प्राधिकारी और सरकार द्वारा अतिशीघ्र ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। केन्द्र सरकार की ओर से अभ्यावेदन पर विचार करने की शक्तियाँ एस.एस.एंड. डी.जी, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो को प्रत्यायोजित की गई हैं।

कोफ़ेपोसा अधिनियम, 1974 के तहत जारी किए गए नज़रबंदी आदेशों को अग्रांकित तालिका संख्या 4.3 में दर्शाया गया हैं -

तालिका संख्या 4.3
कोफ़ेपोसा अधिनियम, 1974 के तहत जारी किए गए नज़रबंदी आदेश

वर्ष	केन्द्र सरकार के विशेष रूप से शक्ति प्राप्त अधिकारी द्वारा जारी किए गए नज़रबंदी आदेशों की कुल संख्या	राज्य सरकारों/राज्य सरकार के विशेष रूप से शक्ति प्राप्त अधिकारी द्वारा जारी किए गए नज़रबंदी आदेशों की कुल संख्या	कुल (2+3)
1.	2.	3.	4.
1995	140	176	316
1996	121	175	296
1997	88	221	309
1998	42	131	173
1999	71	135	206
2000	69	192	261
2001	52	182	234
2002	60	136	196
2003	35	107	142
2004	16	98	114
2005	15	94	109
2006	06	88	94

स्रोत: केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

स्वापक ब्यूरो

स्वापक ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, की

स्थापना 17 मार्च, 1986 को की गई थी और इसके कार्यों में एन. डी. पी. एस. अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रवर्तन उपबंधों से संबंधित, उस समय लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा कार्यों का समन्वयन शामिल है। इसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और प्रोटोकॉलों के अंतर्गत अवैध औषधि व्यापार के विरुद्ध उपाय करने का कार्य सौंपा गया है और इसकी रोकथाम और उसकें उत्क्रमण से डील करने विदेशों से संबंधित प्राधिकारियों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सहयोग भी देता है।

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, भारत में अफीम पोस्त की खेती का पर्यवेक्षण करता है और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी द्रव्यों के विनिर्माण, निर्यात और आयात के लिए आवश्यक लाइसेंस जारी करता है। यह भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र औषधि नियंत्रण अभिसमयों को लागू करने की मॉनीटरिंग करता है।

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय

भारत सरकार ने कॉर्पोरेट शासन के अधीन श्री नरेश चन्द्र, पूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने 'गम्भीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय' की स्थापना की सिफ़ारिश की थी। 'गम्भीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय' की स्थापना दिनांक 02.07.2003 को एक संकल्प द्वारा की गई थी। यह एक बहुविषयक जाँच एजेंसी है, जिसमें बैंकिग पूंजी, बाज़ार, कॉर्पोरेट विधि फ़ॉरेंसिक जाँच, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ मिलकर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का पता लगाते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत, संगठन को अब सांविधिक दर्जा दे दिया गया है। इसका अध्यक्ष निदेशक है, जो

भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का है। निदेशक की सहायता के लिए अन्य निदेशक, उप निदेशक, वरिष्ठ सहायक निदेशक, अभियोजक और अन्य सचिवीय स्टाफ है। एस.एफ.आई.ओ. का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एस.एफ.आई.ओ. के लिए नए भर्ती नियम अधिसूचित किए जा रहे हैं, जिससे समय के साथ एक स्थायी संवर्ग का सृजन हो सकेगा।

आर्थिक आसूचना परिषद्

'आर्थिक आसूचना परिषद' वर्ष 2003 में अस्तित्व में आई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और इसमें विभिन्न मंत्रालयों व आसूचना ऐजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जिसमें आर.बी.आई. के गवर्नर व सेबी के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं, परिषद् आर्थिक अपराधों में प्रवृत्तियों तथा आसूचना आवंटन पर नीतियों, समन्वयन आदि पर विचार विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए वर्ष में कम-से-कम एक बार बैठक करती है। परिषद् द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को आसूचना एपरेटस पर कार्यकारी दल द्वारा मॉनीटर किया जाता है।

• • •

अध्याय–5
भारत में आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए पुलिस सेवाओं को सक्षम बनाना

आर्थिक अपराधों से लड़ना किसी भी राज्य के लिए एक बहुत ही जटिल कार्य है। साथ ही, इस अपराध से निपटने के लिए पुलिस को बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाने की महत्ती आवश्यकता है। आज नागरिकों की पुलिस से कई अपेक्षाएं हैं। नागरिक चाहते हैं कि पुलिस आम जनता से मेल–जोल के लचीले तरीके अपनाए और अपराध से संबंधित मामलों से निपटने के लिए पुलिस सेवाओं को सूचना एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्मार्ट पुलिसिंग का मॉडल भी पुलिस से संवेदनशील, जवाबदेह एवं नागरिकोन्मुखी टेक्नोसेवी पुलिसिंग की माँग करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में पुलिस सेवाओं को सक्षम बनाने के विभिन्न पहलुओं का विवेचन किया गया है।

पुलिस सेवाओं को सक्षम बनाने के विभिन्न पहलुओं का विवेचन

पुलिस बलों का पुनर्गठन

भारत में आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए पुलिस बलों को मज़बूत करने की ज़रूरत है। भारत में समय–समय पर पुलिस बलों का पुनर्गठन होता रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश भारत में भी पुलिस बलों का पुनर्गठन सर्वप्रथम् 1902 में 'द्वितीय पुलिस सुधार आयोग' की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। स्वतंत्रता के बाद पुलिस सुधार के लिए कई आयोग एवं राज्य पुनर्गठन समितियों की स्फारिशों के आधार पर पुलिस बलों का पुनर्गठन किया गया।

सर्वप्रथम आर्थिक उदारीकरण के दौर में बड़े आर्थिक अपराधों की जाँच हेतु सन् 1994 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में आर्थिक अपराध संभाग की स्थापना हुई। आज प्रत्येक राज्य में आर्थिक अपराध सेल का गठन किया जा रहा है। विधि आयोग ने भी अपनी 47 वीं रिपोर्ट में आर्थिक अपराधों से निपटने हेतु अपने सुझाव दिए हैं। आज सरकार साइबर अपराध रोकथाम की दिशा में भी काम कर रही है।

पुलिस सेवाओं में मानव संसाधनो का प्रबंधन

पुलिस अधिकारी आधुनिक समाज में एक अद्वितीय और महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन नेतृत्व की एक मुख्य ज़िम्मेदारी है। आज पुलिस आर्थिक अपराधों से लड़ने की दिशा में अग्रसर है, परन्तु आज पुलिस की कई शाखाएं मानव संसाधनों की कमी का सामना कर रही हैं। कई राज्यों में अपराध अन्वेषण हेतु प्रशिक्षित स्टाफ की कमी महसूस की जा रही है। आर्थिक अपराधों से निपटना अपने आप में एक बहुसंस्थागत एवं बहुआयामी कार्य है। पुलिस, आसूचना विश्लेषण विभाग, अभियोजन, लेखा एवं आर्थिक अपराध विशेषज्ञ आपस में मिल-बैठकर काम नहीं करते हैं। इनको टीमवर्क से काम करने की ज़रूरत है। आज भारतीय पुलिस युवा पेशेवर अधिकारियों की कमी से जूझ रही है। साथ ही, पेशेवर साइबर विशेषज्ञों की कमी है। कार्मिक, वित्त तथा मौलिक संरचना संबंधी प्रबंधन में पुलिस प्रमुख की शक्तियों में वृद्धि की जानी चाहिए। मानव संसाधनों का पुलिस संगठन में बहुत अधिक महत्त्व है। मानव संसाधन का महत्त्व बताते हुए '41 वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस' के समापन सत्र में दिनांक 23 जून, 2011 को मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती मार्गेट अल्वा ने कहा कि 'किसी भी संस्था में संख्या की अपेक्षा मानव संसाधन की गुणवत्ता

ही उनकी वास्तविक प्रभावशीलता/उपयोगिता सिद्ध करती है।' तीव्र गति से परिवर्तनशील लोकतांत्रिक देश में पुलिस की भूमिका पर राज्यपाल ने कहा कि कानून–व्यवस्था बनाए रखने व अपराध नियंत्रण के कारगर उपायों के साथ–साथ पुलिस को जन समुदाय के प्रति और अधिक संवेदनशील होना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को व्यावसायिक रूप से दक्ष व जनोपयोगी बनाने के लिए उनके कौशल में वृद्धि तथा जनता के प्रति उसके व्यवहार व दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर उसमें जनसेवा का भाव लाना होगा। राज्यपाल ने पुलिस बल को सभी आवश्यक संसाधनों से युक्त बनाए जाने पर विशेष बल दिया। राज्यपाल ने पुलिस–जनसंख्या अनुपात की उच्च दर व देश के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में असमान पुलिस विभाजन पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या व क्षमता को द्विगुणित करने के साथ ही रिक्त पद भरे जाने भी ज़रूरी हैं। राज्यपाल ने पुलिस बलों के लिए मूल अर्हता को उच्चीकृत कर उनके उचित प्रशिक्षण, वेतन, आवास तथा प्रोन्नति के अवसर प्रदान किए जाने की भी बात कही।

पुलिस कार्यों में स्वायत्तता

पुलिस संगठन समुदाय को सुरक्षा और सहायता देने के लिए बनाया गया है। पुलिस अधिकारी लोक सेवक होते हैं तथा उन्हें सम्पूर्ण समुदाय के कल्याण के लिए अपने कार्य निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक करने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि विधि संरचना और उत्तरदायित्व तंत्रों के अंतर्गत पुलिस को कार्यात्मक स्वतंत्रता की आवश्यकता है तथा अधिकारियों को अपनी दैनिक परिचालानात्मक कार्रवाई और निर्णयों पर नियंत्रण होना चाहिए। कार्यात्मक स्वायत्तता का अर्थ पुलिस को ग़ैर कानूनी राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने और यह सुनिश्चित करने कि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें, के बीच संतुलन बनाना है। आज के

भारत में पुलिस परिचालन में ग़ैर कानूनी हस्तक्षेप एक आम बात है। इस असंतुलन को दूर किया जाना चाहिए। कार्यात्मक स्वायत्तता को उत्तरदायित्व के साथ संतुलन बनाना चाहिए। पुलिस को एक संगठन के रूप में उत्तरदायी होना चाहिए तथा अधिकारियों को अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। निष्पादन मूल्यांकन, पुलिस कानून में शामिल किया जाना चाहिए ताकि संगठनात्मक उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो।

प्रौद्योगिकी और अवसंरचना संसाधन

यद्यपि जनशक्ति पुलिस सेवाओं का सबसे उपयुक्त पहलू है, संरचनात्मक क्षमता आधारभूत संरचना इसका एक अभिन्न अंग है। आज आर्थिक अपराधों की जाँच में कार्यरत पुलिस इकाइयों के पास तकनीकी एवं विशेष उपकरणों की कमी है। ज़रूरतों की सूची के शीर्ष पर विश्लेषणात्मक तकनीकी उपकरण (हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर), आई.सी.टी., फ़ॉरेंसिक क्षमताओं की निगरानी उपकरण, भारी ड्यूटी स्कैनर जो सॉफ़्टवेयर के रूप में जोड़े गए हैं, की ज़रूरत है। सबूत संग्रहित करने के लिए अपर्याप्त सुविधा वर्तमान की एक बड़ी समस्या है। आज जब्त संवेदनशील दस्तावेज़ों के संरक्षण/सुरक्षा की एक समस्या है। **पुलिस मालख़ाने में कभी-कभी इनको फ़र्श पर संग्रहित किया जाता है।** कानून प्रवर्तन अधिकारी यह विश्वास करते हैं कि संगठित अपराधियों को दंड दिलाने के लिए मज़बूत साक्ष्यों की ज़रूरत है। संगठित अपराधियों से अपराध का पता लगाने के लिए कई उपकरण महत्त्वपूर्ण साबित होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं आसूचना का सहारा लिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में टेलीफोन टैप, ट्रांसमीटर, टेलीफ़ोन ट्रांसमीटर, लेज़र इंटरसेप्टर, सेटेलाइट रिलेज एवं फ़ाइबर ऑप्टिक्स शामिल हैं। चिन्हित पुलिस सस्थानों की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए। ये

चिन्हित पुलिस सस्थान हैं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (प्रशिक्षण), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (जांच), इंटेलिजेंस ब्यूरो (निगरानी) तथा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (साइबर टेक्नोलॉजी और विधि विज्ञान) विशेष अपराध, जिसके अंतरराज्यीय, राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय पहलू हैं, को संघीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए और इसकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष अपराध प्रभाग द्वारा की जानी चाहिए, जिसे गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करना चाहिए।

रणनीतिक योजना एवं विकास

आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए सभी जाँच और खुफिया प्राधिकरणों के मध्य नियंत्रित एवं विनियंत्रित सहयोग एक अनिवार्य कार्य है। यदि वे अपना कार्य समझौता ज्ञापन या कुछ बाध्यकारी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत करते हैं तो अपना कार्य बेहतर ढंग से निपटा सकते है। परिचालन सहयोग और आपसी द्विपक्षीय समर्थन के अलावा प्रासंगिक मुद्दे पर व्यापक बहुपक्षीय दृष्टिकोण पर काम करने की ज़रूरत है। इस संबंध में भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीति के अनुसार, एक संयुक्त राष्ट्रीय योजना विकसित करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष और न्यायपालिका के प्रतिनिधियों की भागीदारी की आवश्यकता है। बहुपक्षीय सहयोग के तंत्र को विकसित करने के अलावा राष्ट्रीय योजना को उनके सहयोग के लिए सहयोग के तरीकों और साधनों के उद्देश्य की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें अगले 3 वर्षों में आर्थिक अपराध के प्रतिशत में सफलतम कमी लाना है। साथ ही, इसमें विधायी पहल भी शामिल करने की ज़रूरत है और यह प्रयास नागरिक समाज एवं शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञों से स्वतंत्र परामर्श लेकर शुरू किया जाता है तो प्रवर्तन प्राधिकरणों को लाभ

होगा। और यदि यह कार्य अनियमित पहल है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि इसे स्थाई सहयोग मंच होना चाहिए। यह एक संचालन समिति का रूप में ले सकता है जो सभी एजेंसियों एवं इनके प्रमुखों को वर्ष में 4 से 6 बार एकत्र कर सकती है जबकि इनके प्रतिनिधि व सहायक विशिष्ट विषयों पर चर्चा करने के लिए वर्ष में कई बार आपस में मेलजोल कर सकते हैं। इसमें राजनीतिक क्षेत्र से सहयोग व भागीदारी का मज़बूत समर्थन होना अपने आप में जरूरी पक्ष है, ख़ासकर वित्त मंत्री का, ताकि वित्तीय रूप से आर्थिक अपराधों के ख़िलाफ़ लड़ना आसान हो सके।

समग्र पुलिस सुधारों के संदर्भ में आर्थिक अपराध अनुसंधान क्षमता बढ़ाना

हालांकि भारत में पुलिस सुधार के लिए स्वतंत्रता के बाद 'गोरे कमेटी' (1971-73), 'राष्ट्रीय पुलिस आयोग' (1977-81), 'रिबेरो कमेटी' का समय-समय पर गठन किया गया है। परन्तु इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य आर्थिक अपराध की निपटान की दिशा में सिफ़ारिशें/सुझाव देना है, जिसमें आपराधिक न्याय संबंधी व्यापक मुद्दों से संबंधित एवं दंड न्याय प्रणाली में सुधार संबंधी 'मलिमथ समिति' 2001-2003, संगठित अपराधों-राजनेताओं के बीच गठज़ोड के संबंध में वोहरा कमेटी एवं बैंकों में धोखाधड़ी की रोकथाम के संबंध में मित्रा कमेटी रिपोर्ट 2001 की मुख्य सिफ़ारिशों का समावेश किया जाना तर्कसंगत है।

आर्थिक अपराध के सम्बंध में 'मलिमथ कमेटी'

भारतीय दंड संहिता के अलावा 70 से अधिक कानूनों के बावजूद आर्थिक अपराध के परिणाम और विविधता में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। विनियमन और जाँच के लिए एजेंसियों की संख्या

में भी तेज़ी से वृद्धि हुई है। फिर भी, कठोर कानूनों और मज़बूत नियामक प्रवर्तन और जाँच एजेंसियों की आवश्यकता अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती। इस मामले में कानून बनाने के लिए पिछले कुछ दशकों के प्रयास काफी सफल नहीं हुए हैं। न्यायिक प्रक्रिया सहायक नहीं हो रही है। यह आवश्यक है कि इन अपराधों पर त्वरित नियंत्रण के लिए विधायी एवं अन्य उपायों के लिए कमेटी ने निम्नलिखित सिफ़ारिशें कीं –

1. 'मलिमथ समिति' ने यू.के. की तर्ज़ पर गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय की स्थापना की सिफ़ारिश की और कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना इसके अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही, कमेटी ने आर्थिक आसूचना यूनिट को वित्त मंत्रालय के अधीन गठन करवाने की सिफ़ारिश की एवं उन्हें विशेषज्ञ उपलब्ध करवाने की सिफ़ारिश की। साथ ही, वे विशेषज्ञ विशेष तकनीकी ज्ञान से, ओतप्रोत होना चाहिए। देश के कानूनों को अन्य देशों के कानूनों के तुलनात्मक बनाना चाहिए जिससे आपसी विधिक सहायता, संधि, सम्मेलन, प्रोटोकॉल के माध्यम से और संयुक्त राज्य को ऐसी सूचनाओं का आदान–प्रदान कराने के लिए सशक्त किया जाए व सिफ़ारिश की कि जजों के कार्य में कमी की जाए।

2. 'मलिमथ समिति' ने अपनी इस रिपोर्ट में पुलिस अनुसंधान को लेकर यह प्रतिपादित किया कि पुलिस की प्रारम्भिक ज़िम्मेदारी लोगों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा करना है। इन अधिकारों के संरक्षण के लिए पुलिस की महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है। पुलिस कई ड्यूटियों का निर्वहन करती है,

जिसमें कानून एवं व्यवस्था एवं अनुसंधान प्रमुख हैं। पुलिस लोगों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अनुसंधान आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव है। समिति ने 'राष्ट्रीय पुलिस आयोग' की तीसरी रिपोर्ट का उद्धरण देते हुए कहा कि आयोग ने गिरफ़्तारी के संबंध में पुलिस शक्ति को भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत माना है। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 60 प्रतिशत गिरफ़्तारी अनावश्यक या अनिर्णित होती है। ऐसी औचित्यहीन पुलिस कार्रवाई जेल विभाग के 43.2 प्रतिशत खर्च के बराबर है।

वोहरा कमेटी

भारत सरकार ने वर्ष 1993 में संघीय गृह सचिव के अधीन इस कमेटी की नियुक्ति की, जिसने संगठित अपराधों, राजनेताओं के बीच गठजोड़ पर एक रिपोर्ट पेश की और बताया कि आर्थिक अपराधियों एवं सरकार के कार्मिकों, जैसे पुलिस, सीमा शुल्क एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर लेने वालों के बीच मज़बूत गठजोड़ पाया जाता है।

मित्रा कमेटी रिपोर्ट 2001

यह रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को यह स्वीकार करते हुए दी गई कि देश में आपराधिक न्यायशास्त्र संदेह से परे एवं बैंको में धोखाधड़ी की रोकथाम में कमज़ोर साबित होता है। कमेटी ने बैंकों में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक दिशा–निर्देश जारी किया एवं इन अपराधों से निपटने के लिए अलग से अनुसंधान प्राधिकरण के गठन की सिफ़ारिश की ताकि वह गंभीर धोखाधड़ी के मामलों की जाँच कर सके।

आर्थिक अपराध अनुसंधान क्षमता बढ़ाने के लिए प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण

विभिन्न आयोगों एवं संगठनों, जैसे भारत में राष्ट्रीय पुलिस आयोग, विधि आयोग एवं पुलिस साइंस कांग्रेस एवं यूरोप में सुरक्षा और सहयोग के लिए संगठन इत्यादि की रिपोर्टों के निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक अपराध अनुसंधान क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण किया जा सकता है–

1. पुलिस शिक्षा

पुलिस शिक्षा में सुधार पुलिस सेवा के भविष्य की संस्कृति को बदलने के लिए आधारभूत कार्य करेगा। आज राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं राज्यों की पुलिस अकादमियों एवं कॉलेजों ने प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपने पाठ्यक्रम में कई नए अध्याय जोड़े हैं। भारत में आर्थिक अपराध अन्वेषण पाठ्यक्रम का विकास किया जा रहा हैं। जाँच के दौरान नैतिक दृष्टिकोण के विकास को मज़बूती प्रदान करनी है। राजस्थान के जोधपुर शहर में, पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें शिक्षा से लेकर विद्यार्थी साइबर एवं फ़ॉरेंसिक विशेषज्ञता क्षेत्र में प्रवेश कर रहे है। गुजरात में 'रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय' की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा साइबर हमलों को रोकने, इंटरनेट अपराध की छानबीन करने के लिए राज्य में 80 करोड़ की लागत से 'साइबर विश्वविद्यालय' की स्थापना की जा रही है।

2. पुलिस आचार

आर्थिक अपराध जाँचकर्ता की क्षमताओं के उन्नयन के रूप में एक नए पुलिसिंग आचार के शुरुआत की ज़रूरत है। इसके लिए आर्थिक अपराधों की जाँच में सबसे महत्त्वपूर्ण काम पुलिस उत्तरदायित्व का उपयोग किया जाना है। आज पुलिस सेवा में संरचनात्मक एकता के लिए विश्वसनीय नियमों से युक्त एक तंत्र के निर्माण की ज़रूरत है। विश्वसनीय मामलों का तंत्र यह सुनिश्चित करे कि पुलिस सेवा भ्रष्टाचार से मुक्त हो एवं यह सेवा करने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य एवं उत्तरदायी हो। यह आवश्यक है कि संसद, न्यायपालिका, मीडिया और नागरिक समाज द्वारा आंतरिक पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित हो। इसके लिए 2 स्वतंत्र निरीक्षण संस्थानों का सर्वोत्तम प्रतिस्थापन संस्थान लोकपाल और सुप्रीम ऑडिटिंग बॉडी जाँच की जवाबदेही के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकती है। पुलिस जिला विशेष शाखाओं का आसूचना तंत्र भी मज़बूत करना इसमें शामिल है।

3. संगठित अपराध

आर्थिक अपराध भी संगठित अपराध का ही एक रूप है। इससे लड़ने के लिए राष्ट्रीय पुलिस बलों एवं अन्य कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों को अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों से मिलकर काम करने की ज़रूरत है। संगठित अपराध हमेशा अपने लाभ के लिए किए जाते हैं, जिनमे कई तरीकों को अपनाया जाता है, विशेष रूप से धन शोधन, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। उनका देश के आर्थिक राजनीतिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। संगठित अपराधों का मुकाबला करने के लिए पुलिस बलों को राष्ट्रीय व्यूह रचना अपनाने की महत्ती ज़रूरत है, जिसमें आसूचना तंत्र की मज़बूती के साथ-साथ आर्थिक अपराध अन्वेषण में

प्रशिक्षित एवं शिक्षित पुलिस स्टाफ की ज़रूरत है। संगठित अपराधों में सरकारी ठेके में शक्ति प्रदर्शन, फिरौती के लिए अपहरण, खाली या विवादित सरकारी भूमि अथवा भवन पर जाली दस्तावेज़ों के ज़रिये या बलपूर्वक कब्जे, बाज़ार और फुटपाथ विक्रेताओं से अवैध वसूली, धमकी या वन्यजीव व्यापार, धन की हेराफेरी, मानव तस्करी, शक्ति का प्रदर्शन कर अवैध खनन, नकली दवाओं या अवैध शराब के कारोबार, मादक द्रव्यों की तस्करी आदि को इसमें शामिल किया गया है।

4. सामुदायिक पुलिसिंग

आज पुलिस को समाज से नजदीकी बढ़ाते हुए अनुसंधान करना है। जिसमें अपराधियों से संबंधित आसूचना एकत्रीकरण एवं उनकी चाल –चलन, वृत्ति पर नज़र रखने की ज़रूरत है। आर्थिक अपराध जाँच क्षमताओं में वृद्धि से समुदाय की सुरक्षा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं होने के बावजूद वे महंगी गाड़ियों में घूमते है ऐसे लोगों की गतिविधियों पर निगरानी रखने की ज़रूरत है। सक्रिय आर्थिक अपराध जाँच भारत में समुदायों की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव को कम करती है। इसमें भविष्य में ऐसे पुलिस अधिकारियों की माँग की गई है जो अपनी नेतृत्व की आदेशात्मक नियंत्रण की शैली छोड़कर सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से समावेशी पेशेवर नेतृत्व शैली अपनाकर संगठित अपराधों को नियंत्रित करे एवं अपने आप को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित रखे।

5. फ़ॉरेंसिक विज्ञान

फ़ॉरेंसिक विज्ञान को एक पुलिस सुधार के रूप में समझा जाना चाहिए जिसका व्यापक अर्थ विश्वसनीय साक्ष्य सुनिश्चित

करना होना चाहिए। आज आर्थिक अपराध में बढ़ते नए–नए तरीकों के साथ, इनका मुकाबला करने के लिए उपयोग की जानेवाली विधियों को पुलिस बलों द्वारा परिष्कृत किए जाने की आवश्यकता है। कभी –कभी आर्थिक मामलों की जाँच का विषय इतना जटिल हो जाता है कि पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों की प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है। गुणवत्ता आधारित सबूत प्राप्त करने के तरीके निष्पक्ष न्यायालय प्रक्रिया की गारंटी दे सकते है। आमतौर पर भारतीय पुलिस बलों को फ़ॉरेंसिक विज्ञान तकनीक एवं इस विषय के विशेषज्ञों की कमी का सामना करना पड़ता है। आज भारतीय पुलिस बलों को आर्थिक अपराधों का मुकाबला करने के लिए परिष्कृत उपकरणों के उपयोग में उचित प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है।

जैसा कि '41 वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस' के समापन सत्र दिनांक 23 जून, 2011 में मुख्य अतिथि कें रूप में उत्तराखंड की **राज्यपाल श्रीमती मार्गेट अल्वा** ने फ़ॉरेंसिक विज्ञान के अधिक से अधिक प्रयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए इसका प्रयोग भ्रष्टाचार व साइबर अपराधों से निपटने के लिए करने का आह्वान भी किया। राज्यपाल ने फ़ॉरेंसिक अन्वेषण, जासूसी कार्य, अभिसूचना एकत्रीकरण व साइबर अपराधों में पुलिस बलों को प्रशिक्षित करने हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

6. बॉर्डर पुलिसिंग

बॉर्डर पुलिसिंग से आर्थिक अपराधों को रोका जा सकता है। यह महत्त्वपूर्ण है कि आज जितने भी आर्थिक अपराध होते हैं, उनके तार अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार जुड़े होते हैं। आर्थिक अपराधों

की रोकथाम हेतु पुलिस बलों को एक 'रणनीतिक योजना विकास क्षमता' विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें पुलिस सेवा संरचना के व्यापक पुनर्गठन की पहल की जा सकती है। हालांकि भारत सरकार ने व्यापक सीमा प्रबंधन सिस्टम के तहत रडार, डे एण्ड नाइट विज़न कैमरा, सेंसर, माइक्रो एयरोस्टेट, कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कर हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। समुद्र तट क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाना एवं समुद्र में किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए 10 तटीय पुलिस स्टेशनों को अपेक्षित इंफास्ट्रक्चर के साथ चालू किया गया है। लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग पर व्यापार तथा यात्रियों के बेहतर आवागमन को सुविधाजनक बनाने के प्रयास किए गए हैं। मानव तस्करी की रोकथाम के लिए द्विपक्षीय सहयोग हेतु भारत तथा बांग्लादेश (जून 2015), भारत तथा यू.ए.ई. (जनवरी, 2017) तथा भारत एवं कम्बोडिया (जनवरी, 2018) के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। आज सीमा पर खुफिया पुलिस चौकियों, सीमा सुरक्षा बल एवं बॉर्डर पुलिस थानों में आपसी समन्वय कर आर्थिक अपराध अन्वेषण की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, पुलिस बलों में विश्वसनीय पेशेवर, अनुसंधान अधिकारियों एवं अभियोजन पक्ष की ज़रूरत है।

7. सी.सी.टी.एन.एस.

इसका अर्थ है Crime and Criminal Tracking Network System–अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली, जोकि ई–गवर्नेंस हेतु एक पहल है एवं राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस मिशन के तहत पुलिस आधुनिकीकरण का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का निरीक्षण एवं प्रबंधन करना है। यह एक सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन है। जिसमें थानों में ई–एफ.आई.आर. की सुविधा की शुरुआत की गई है। पुलिस रोजनामचा आज भी

सी.सी.टी.एन.एस. सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन के माध्यम से लिखा जा रहा है। इससे आम जनता के मानवाधिकारों की रक्षा हुई है। पुलिस समय पर एफ.आई.आर. दर्ज कर रही है या करने को मजबूर हुई है। इससे आम जनता को राहत मिली है। पुलिस घटना-स्थल पर सही समय पर पहुँचने को मजबूर हुई है। केस डायरी भी इस पर अपलोड की जा रही है। यह तकनीक साइबर अपराधों को रोकने में सफल हो रही है। साथ ही, पुलिस आर्थिक अपराधियों की रोकथाम करने में सफल हुई है। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.) की स्थापना से 31 मार्च 2018 तक 99.5 थानों में सीसीटीएनएस सॉफ़्टवेयर लगाए गए हैं। सी.सी.टी.एन.एस. के उपयोग से रजिस्टर की गई प्रथम सूचना रिपोर्टें की संख्या 184 लाख तक पहुँच गई है।

2. स्मार्ट पुलिसिंग एवं पुलिस सुधार

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग, की अवधारणा की हिमायत गुवाहाटी में नवम्बर 2014 को पुलिस महानिरीक्षक/और सभी पुलिस संगठनों के प्रमुखों के 49वें वार्षिक सम्मेलन में की।

माननीय प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी के 'स्मार्ट' शब्द का अर्थ निम्न प्रकार बताया –

1. **एस** का मतलब, स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव (संवेदनशील एवं सख्त)
2. **एम** का मतलब, मॉडर्न एंड मोबाइल (आधुनिक एवं गतिशील)
3. **ए** का मतलब, एलर्ट एंड अकाउंटेबल (सतर्क एवं जवाबदेह)
4. **आर** का मतलब, रिलायबल एंड रेस्पॉन्सिव (भरोसेमंद और जिम्मेदार)
5. **टी** का मतलब, टेक्नोसेवी एंड ट्रेंड (तकनीकी रूप से दक्ष एवं कुशल)

माननीय प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पुलिस बलों को बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए इन मूल्यों को समाहित करना चाहिए, जिससे उन्हें अपनी छवि और कार्य-संस्कृति में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

माननीय प्रधानमंत्री की इसके पीछे यह सोच रही है कि भारतीय पुलिस लम्बे समय तक 1861 के एक्ट के तहत शासित रही है। भारत में लम्बे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा। उनका उद्देश्य अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। उन्होंने हमारी ग्राम पंचायत व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया तथा समुदायों एवं पुलिस के बीच की दूरी को लम्बे समय तक अलगाव के रूप में बनाए रखा। इसका एक उदाहरण हमारे सामने है, जिसमें सन् 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंधा जैसे उपजाऊ क्षेत्र को हड़पने के लिए सर्वप्रथम रॉयल आयरिश कांस्टेबुलरी की तर्ज़ पर वहां व्यवस्थित पुलिस की शुरुआत की। उसका महत्त्वपूर्ण उद्देश्य जनसेवा न होकर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। बाद में भारत में सन् 1861 का पुलिस एक्ट बनाया गया। उसमें भी जन भागीदारी के संबंध में कोई महत्त्वपूर्ण प्रावधान नहीं किया गया। सन् 1861 के एक्ट की धारा 17 के अन्तर्गत केवल विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की बात कही गई है। समाज एवं पुलिस के सुधार के संबंध में कोई महत्त्वपूर्ण प्रावधान नहीं किया गया है। पुलिस की नकारात्मक छवि के संबंध में न केवल स्वतंत्र भारत में गठित आयोगों एवं कमेटियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई परन्तु स्वतंत्रता से पूर्व औपनिवेशिक भारत में गठित आयोग, जैसे द्वितीय पुलिस आयोग (1902) के प्रमुख ए.एच.एल. फ्रेजर ने कहा था कि भारतीय पुलिस अकुशल है। इसका प्रशिक्षण एवं संगठन दोषपूर्ण है तथा इसका पर्यवेक्षण अपर्याप्त है। इसे सामान्यतः भ्रष्ट और दमनकारी माना जाता है और यह लोगों के विश्वास को जीतने और उनके सहयोग प्राप्त करने में लगातार असफल रही है। 'मद्रास टॉर्चर

कमीशन' (1855) ने भी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि भारतीय पुलिस राजस्व वसूली के लिए बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करती है। भारत में लम्बे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा। उनका उद्देश्य अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। पुलिस के प्रति लोगों की नकारात्मक अवधारणा रही है। इस अवधारणा को बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने इस पहल की शुरुआत की। इसमें स्मार्ट मॉडल पुलिस थानों की स्थापना की पहल प्रत्येक राज्य में स्थापना करने एवं स्मार्ट पुलिस स्टेशन में मुख्य आधारभूत सुविधाएँ, जैसे आगन्तुकों के लिए प्रतीक्षालय, शौचालय, पेयजल, कांस्टेबलों के लिए विश्रामालय एवं महिला कांस्टेबलों के लिए अलग से कमरे आदि की व्यवस्था की गई है। अभियोजन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए नई केन्द्रीय फ़ॉरेंसिक साइन्स प्रयोगशालाएँ बनाई गई हैं। सी. ए.पी.एफ. की प्रचालन क्षमताएँ बढ़ाने के लिए उन्हें शस्त्रों, गोला-बारूद, मशीनों, उपकरणों और आई.टी. सिस्टम्स की ख़रीद के लिए प्राधिकृत किया गया है। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए तैयार एक नई 'व्यापक अम्ब्रेला योजना' से मानव तस्करी को नियंत्रित किया जा रहा है। महिला सशक्तीकरण – केन्द्रीय पुलिस बलों एवं दिल्ली पुलिस समेत सभी संघ राज्य क्षेंत्रों के पुलिस बलों में कांस्टेबल से लेकर उपनिरीक्षक तक को अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती में राज्यों को 33 प्रतिशत आरक्षण की सलाह दी गई है। अवैध ड्रग तस्करी को रोकना, मॉटिवेशन एवं प्रशिक्षण स्मार्ट पुलिसिंग एवं नेतृत्व के प्रमुख घटक है।

'स्मार्ट' शब्द की माननीय प्रधानमंत्री ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में व्याख्या की, जिसे निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-

1. 'एस' का मतलब, स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव (सख़्त एवं संवेदनशील)

यह सिद्धान्त उस साझेदारी पर ज़ोर देता है जो पुलिस बलों के लिए दीर्घकालिक लाभ दे सकती है। इसमें कानून लागू करते समय पुलिस बलों को सख़्त होने की ज़रूरत है, परन्तु जनता एवं उनकी सामाजिक भावनाओं के साथ-साथ समाज के कमज़ोर वर्गों, जैसे महिलाओं/बच्चों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रति संवेदनशील होना होगा।

2. 'एम' का मतलब, मॉडर्न एंड मोबाइल (आधुनिक एवं गतिशील)

पुलिस को नई प्रौद्योगिकियों और गतिशीलता के साधन अपना कर अपनी पहुँच एवं दक्षता में वृद्धि करना इसमें शामिल है।

3. 'ए' का मतलब एलर्ट, एंड अकाउंटेबल (सतर्क एवं जवाबदेह)

पुलिस अपने ख़ुफिया नेटवर्क को मज़बूत करके जानकारी एकत्रित कर उनका गहन विश्लेषण कर अपराध में कमी ला सकती है। साथ ही, पुलिस को अपने कार्यों के लिए नागरिकों और सरकार के प्रति उत्तरदायी होना होगा।

4. 'आर' का मतलब, रिलायबल एंड रेस्पॉन्सिव (भरोसेमंद और ज़िम्मेदार)

पुलिस को विश्वसनीय और उत्तरदायी होना है। पुलिस को फोन, कॉल, ई-मेल आदि पर लोगों की सहायता करनी है। इस बेहतर प्रतिक्रिया के साथ-साथ प्रभावी कार्रवाई करने पर पुलिस में आम जनता विश्वास करेगी। इस प्रकार विश्वसनीय पुलिस की छवि का निर्माण होगा। पुलिस के लोगों को कार्यप्रणाली संबंधी एक 'मानक संचालन प्रक्रिया' Standard Operating Procedures (SOP's) को अपनाना है, ताकि लोगों को समय पर सेवाओं की डिलीवरी मिल सकें।

5. 'टी' का मतलब, टेक्नोसेवी एंड ट्रेंड (तकनीकी रूप से दक्ष एवं कुशल)

इसमें पुलिस को आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग करने जैसे कम्प्यूटर के माध्यम से सी.सी.टी.एन.एस एप्लीकेशन में अपना अनुसंधान कर अपने आप को पेशेवर बनाना है। इसमें पुलिस को मेहनत करने की ज़रूरत है। साइबर अपराध से निपटाने में साक्ष्य के रूप में डिजिटल एवं डाटा का विश्लेषण कर पुलिस साक्ष्य एकत्रित कर सकती है नवयुग के अपराधों से लड़ने के लिए पुलिस को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। आज पुलिस को विभिन्न विशेषज्ञों, भाषा विशेषज्ञों एवं फ़ॉरेंसिंक विशेषज्ञों की सेवाएं लेनी चाहिए। पुलिसिंग के सम्बन्ध में ज्ञान क्षेत्रों का निर्माण किए जाने के साथ-साथ पुलिस भर्ती को पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है ताकि अच्छे लोग पुलिस में आएं। पुलिस सुधार की मुहिम एक बहु-अनुशासनात्मक है जो कि अपने आप में विभिन्न हितधारकों को शामिल करती है जिसमें नागरिक, समाज, विश्वविद्यालयों के विद्वान, वकील एवं मीडिया प्रमुख हैं। साथ ही, कार्मिकों की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने की ज़रूरत ताकि वे पुलिस सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता ज़ाहिर कर सकें।

आर्थिक अपराधों की रोकथाम हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव

1. देश में प्रति व्यक्ति कम आमदनी वाले राज्य आर्थिक अपराधों के लिहाज से काफी ऊपर हैं। सरकार को चाहिए कि इन राज्यों के नागरिको के उत्थान के लिए विशेष योजनाएँ चलाकर ग़रीबी का निराकरण करे।

2. आर्थिक अपराधों में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। इसके पीछे का कारण यह है कि आम जनता में वित्तीय विषयों

की कम जागरूकता एवं सिस्टम बेहतर होने के कारण अपराधों की समय पर सूचना देना शामिल है।

3. पुलिस द्वारा आम जनता को आर्थिक अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए जनसहभागिता, 'पुलिस मित्र' जैसे कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।

4. कैशलेस लेन–देन के आधुनिक युग में साईबर अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाइयों का प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गठन किया जाना चाहिए एवं एक न्यायसंगत व पारदर्शी व्यवस्था के तहत साइबर क्राईम के जानकार पुलिस कार्मिकों की तैनाती की जानी चाहिए।

5. पुलिस थानों को सी.सी.टी.एन.एस. से जोड़ा जा चुका है, जिसके संबंध में पुलिस कार्मिकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। थाने के संपूर्ण रिकार्ड को कम्प्यूटरीकृत किया जाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके माध्यम से उच्चाधिकारी थानों में दर्ज अपराधों की ऑनलाइन निगरानी कर सकेंगे ताकि यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो उच्चाधिकारी तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं।

6. पुलिस को चाहिए कि वह आर्थिक अपराध से जुड़े विभिन्न मामलों से निपटने हेतु नालन्दा पुलिस की तर्ज़ पर अंगूठे के निशान से साइबर अपराधियों की गिरफ़्तारी करे। आजकल मार्केट में सिम कार्ड लॉन्च करने वाली तमाम कम्पनियाँ अपने ग्राहकों से आधार कार्ड व थम्ब इम्प्रेशन लेने के बाद ही उनके नाम का सिम कार्ड उपलब्ध करवाती हैं। उसी

वक्त सिम कार्ड लेने वाले व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी मोबाइल कम्पनी के पास जमा हो जाती है। यदि वह व्यक्ति किसी तरह का साइबर अपराध करता है तो वह तत्काल पुलिस के गिरफ़्त में आ जाएगा।

7. राजस्थान पुलिस की तर्ज़ पर प्रत्येक जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में 'अभय कमाण्ड सेंटर' का निर्माण किया जाना चाहिए। यह राजस्थान पुलिस द्वारा स्थापित अत्याधुनिक कंट्रोल रूम है। 'अभय कमांड सेंटर' में विडियो द्वारा निगरानी, सीएडी -डायल 100, इंटेलिजेंट ट्रेफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम, व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम, फ़ॉरेंसिक जाँच लैब, ज्योग्राफ़िकल इंफॉर्मेशन सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की तर्ज़ पर कांस्टेबुलरी को समय-समय पर पदोन्नति दी जानी चाहिए, जैसा हाल ही में राजस्थान पुलिस के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है। इस वर्ष 19 सितम्बर 2018 को राजस्थान की राजधानी, जयपुर में एक 'राज्य स्तरीय भव्य पदोन्नति समारोह' आयोजित किया गया जिसमें 6,000 कांस्टेबलों को एक साथ पदोन्नति दी गई जो राजस्थान पुलिस के इतिहास में पहली बार हुई है और संभवत: भारत के किसी भी राज्य में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। भारत के संपूर्ण राज्यों की पुलिस को इस पहल का अनुसरण करना चाहिए।

8. पुलिस कार्या में प्रबंधकीय स्वतंत्रता के तहत अनुसंधान में स्वतंत्रता का समावेश कर भारतीय पुलिस को किसी भी राजनीतिक प्रभाव से कानूनी रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही, पुलिस को भ्रष्टाचार मुक्त निरोधी तंत्र विकसित कर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी तंत्र के लिए उचित राष्ट्रीय रणनीति का पालन किया जाना चाहिए।

9. अभियोजन, अनुसंधान एवं आसूचना एकत्रित करने वाली सभी ऐजेंसियो को टीम वर्क से कार्य करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्माण कर इस व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए।

10. आर्थिक अपराध अनुसंधान के लिए पुलिस कर्मियों को बेहतर पुलिस शिक्षा एवं उच्चतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पुलिस थाने/चौकियों में पर्याप्त मानव संसाधन की भर्ती की जानी चाहिए। विशेष शिक्षा प्राप्त सूचना एवं प्रोद्यौगिकी के पेशेवर, जो, कानून, राजनीति विज्ञान एवं संबंधित अनुशासनों में उच्च शिक्षा प्राप्त हों, को पुलिस भर्ती नीति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

11. पुलिस को आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों, जैसे कम्प्यूटर, फॉरेंसिक विज्ञान से सुसज्जित किया जाना चाहिए एवं पुलिस आसूचना तंत्र के माध्यम से पुलिस कर्मियो की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए। आज **कृत्रिम बुद्विमत्ता** के विकास से कम्प्यूटर मानव मस्तिष्क को प्रतिस्थापित कर रहा है जिसके समाधान निजी व सरकारी, दोनों क्षेत्रों को मिल कर करने हैं।

निष्कर्ष

जैसा कि पूर्व अध्यायों में स्पष्ट किया जा चुका है कि आर्थिक अपराध कोई एक साधारण समस्या नहीं है। इससे निपटने के लिए कानून तथा पुलिस व्यवस्था में अनेक व्यापक और दूरगामी परिवर्तन किए जाने आवश्यक है। जहाँ तक इन अपराधों के संबंध में पुलिस की भूमिका का प्रश्न है, वह अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

• • •

अध्याय- 6
विकसित समाजों में आर्थिक अपराध एवं व्यवस्था

यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में पिछले दशकों में हाई प्रोफ़ाइल मामलों अर्थात् आर्थिक अपराधों के कारण व्यवसायों एवं संस्थानों की विश्वसनीयता को क्षतिग्रस्त किया है। जैसा कि पूर्व में अध्याय-1 में यह स्पष्ट किया गया है कि विकसित देश भी इस अपराध से अछूते नहीं हैं तथा इस अध्याय में विकसित देश, यू.के., अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में व्याप्त आर्थिक अपराधों एवं उनके निपटान के संबंध में व्यवस्था की विवेचना की गई है।

यू.के. में आर्थिक अपराध - ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

यू.के. को द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया गया, जिसमें नागरिकों की आजीवन ज़िम्मेदारी को राज्य ने निभाना शुरू किया। इस दौर में राज्य ने कुछ नियम बनाने शुरू किए, जिसमें धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु प्रिवेंशन ऑफ़ फ्रॉड (इन्वेस्टमेंट्स) एक्ट 1958 प्रमुख है और बाद में अनुदार दल के सत्ता में आने से वित्तीय क्षेत्र में नियमों एवं विनियमों में कई सुधार किए गए। सरकार ने निजीकरण को शुरू किया। धोखाधड़ी आर्थिक अपराध का महत्त्वपूर्ण घटक रही है। आर्थिक धोखाधड़ी यू.के. के इतिहास में एक नया अपराध नहीं है। इतिहास में वर्ष 1973 का कैरियर्स केस, साउथ सी बबल 1720, शेयर स्कैंडल्स प्रमुख घोटाले हैं। यू.के. में धोखाधड़ी के परीक्षणों के बारे में कार्य निष्पादन न्यायाधीशों, वकील, पुलिस और अभियोजन पक्ष, आयकर एक्सपर्ट के अलावा ज्यूरी के प्रदर्शन पर केन्द्रित है। सरकार ने सर्वप्रथम सन् 1983 में एक स्वतंत्र धोखाधड़ी परीक्षण समिति

(रोस्किल) की स्थापना की, जिसने सन् 1986 में अपनी रिपोर्ट दी। गंभीर धोखाधड़ी के संबंध में इस कमेटी ने बड़ी चतुराई से ध्यान दिया, परन्तु कमेटी ने इसकी कोई परिभाषा नहीं दी, परन्तु इसने गाइडलाइन जारी की। रोस्किन कमेटी ने एक फ्रॉड कमीशन के निर्माण का प्रस्ताव दिया। साथ ही, समिति की जाँच में यू.के. में 43 पुलिस संगठनों द्वारा गंभीर धोखाधड़ी के संबंध में की जा रही जाँच में कमी नज़र आई। कमी इस बात को लेकर थी कि अन्य जाँच अभिकरणों, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री, फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ग्रुप, द आयरलैंड रेवेन्यू कस्टम एण्ड एक्साइज़ के साथ पुलिस संगठनों का आपसी समन्वय नहीं था। 'रोस्किन कमेटी' ने फ्रॉड पुलिसिंग एवं अभियोजन के लिए एक नया एकीकृत फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ग्रुप बनाने का सुझाव दिया।

इस अध्याय में यू.के. में आर्थिक अपराध व्यवस्था की जाँच हेतु महत्त्वपूर्ण एजेंसियों की स्थापना के साथ-साथ आर्थिक अपराधों की रोकथाम में उनके योगदान का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख एजेंसियाँ हैं, सीरियस फ्रॉड ऑफ़िस एवं द फायनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी।

यू.के. में आर्थिक अपराध कानून

परिचय

यूनाइटेड किंगडम में आर्थिक अपराध प्रवर्तन विशिष्ट कानूनों एवं प्रवर्तन संस्थानों पर निर्भर है। अध्याय के प्रारम्भ में वर्तमान आर्थिक अपराध परिदृश्य के ऐतिहासिक संपर्को की व्याख्या की गई है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य आर्थिक अपराध, जिसमें रिश्वत एवं भ्रष्टाचार के संबंध में विशेष विधायन का परिचय देना है, इस विधायन को फ्रॉड एक्ट 2006 एवं ब्राइबेरी एक्ट 2010 नाम दिया गया है।

रिश्वतख़ोरी एवं भ्रष्टाचार

यू.के. में रिश्वत को एक 'रियासत का चोर' माना गया है। यू.के. में सरकारी कार्यालयों में एवं अन्य कंपनियों में रिश्वतख़ोरी एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है।

रिश्वतख़ोरी एवं भ्रष्टाचार की परिभाषाएँ

जैसा कि यू.के. में विधि आयोग ने कहा है कि रिश्वत की कानूनी परिभाषा देना एक कठिन काम है। हालांकि लोगों को 'रिश्वत क्या है' के बारे में सहज ज्ञान है। रसेल के अनुसार, रिश्वत किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालयों में अपने व्यवहार को प्रभावित करने के लिए अनुचित इनाम की प्राप्ति या पेशकश है, जो कि उसे ईमानदारी और ईमानदारी के ज्ञात नियमों के विपरीत कार्य करने के लिए उन्हे प्रेरित करते हैं। इसके अलावा 'पब्लिक बॉडीज करप्शन प्रैक्टिसेज एक्ट, 1889' में इनाम की प्रकृति को कोई भी उपहार, ऋण, शुल्क, इनाम, प्रलोभन या लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है। विश्व बैंक के अनुसार, रिश्वत निजी लाभ के लिए सार्वजनिक कार्यालयों का दुरुपयोग है।''

नियामक निकाय

यू.के. में आर्थिक अपराध प्रबंधन के लिए कई संस्थाएं मौजूद हैं जिन्हें प्राथमिक नियामक, द्वितीयक नियामक, कानून प्रवर्तन एजेंसीज एवं ट्रेड एसोसिएशन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

प्राथमिक नियामक

यू.के. में ये प्राथमिक नियामक सरकारी विभागों द्वारा समर्थित हैं जो विशिष्ट प्रकार के वित्तीय अपराधों से निपटने की दिशा में एकल संस्था के रूप में कार्य करते हैं। प्रासंगिक विभाग निम्न प्रकार हैं –

एच.एम. ट्रेज़री, होम ऑफ़िस एवं बैंक ऑफ़ इंग्लैंड

1. एच.एम. ट्रेज़री

यह सरकार का आर्थिक एवं वित्तीय मंत्रालय है, जो आम जनता कें खर्चों पर नियंत्रण, यू.के. में आर्थिक नीति एवं सत् आर्थिक वृद्धि की प्राप्ति की दिशा में काम करता है। आर्थिक अपराधों के संबंध में यह मनी लॉन्ड्रिंग, आंतकवाद रोधी एवं वित्तीय प्रतिबंधों के मामलों में कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार है। वित्तीय नीति में वित्तीय सेवाओं का नियमन, वित्तीय स्थिरता एवं लंदन सिटी में प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करना है।

2. होम ऑफ़िस

यह कार्यालय 'इमिग्रेशन और पासपोर्ट' के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया का नेतृत्व करता है, जिसमें ड्रग्स पॉलिसी, अपराध नीति, आतंकवाद एवं आर्थिक अपराध के संबंध में जवाबदेह पुलिसिंग का काम करता है। साथ ही, होम ऑफ़िस राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के लिए ज़िम्मेदार है, जो इस संगठन को एक बड़ा राजनीतिक आयाम देता है क्योंकि गृह सचिव व्यापक रूप से एक विभाग के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। **राष्ट्रीय अपराध एजेंसी** आर्थिक अपराध पर निदेशन के लिए उत्तरदायी है जो धोखाधड़ी, रिश्वत और भ्रष्टाचार की रोकथाम की दिशा में काम करती है।

3. बैंक ऑफ़ इंग्लैंड

यू.के. में गठबंधन सरकार ने वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इसे महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी दी है। जिसमें आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना शामिल है। इसके अलावा प्रूडेंशियल रेगुलेशन प्राधि करण, जो बैंक ऑफ़ इंग्लैंड का एक सहायक है व जिसे वित्तीय

अधिनियम, 2012 द्वारा स्थापित किया गया था। इसका दायित्व फ़र्मों की सुरक्षा और सुदृढ़ता को बढ़ावा देना है। साथ ही प्रुडेंशियल रेगुलेशन प्राधिकरण बैंकों बिल्डिंग सोसायटी, क्रेडिट यूनियनों, बीमा कंपनियों और प्रमुख निवेश फर्मों के बुद्धिमतापूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा बैंक ऑफ़ इंग्लैंड ने मार्च 2014 में अपनी एक नई रणनीतिक योजना ''66'' शुरू की जिसमें एक न्यू डिप्टी गवर्नर का पद सृजित किया गया जो कुशल और प्रभावी वित्तीय बाज़ारों के लिए जिम्मेदार है।

द्वितीयक नियामक

1. सिरियस फ्रॉड ऑफ़िस

यू.के. में 1970 के दशक में गंभीर धोखाधड़ी एवं हाई प्रोफाईल मामलों को निपटाने के लिए अन्य संगठनों की विफलता पर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही उस दौर में यू.के. में कई हाई प्रोफाईल मामले प्रकाश में आये जिसमें गिनीज बारलो, क्लॉज एलूऐरो, मैक्सवेल लैविट एवं साँडर्स के मामले प्रमुख है। इन मामलों में अभियोजन संगठन की विफलता के कारण सिरियस फ्रॉड ऑफ़िस के गठन की माँग बलवती होने लगी। जटील धोखाधड़ी, रिश्वत के संबंध में जाँच के लिए 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के फ़ेडरल ब्यूरो ऑफ़ इनवेस्टिगेशन के समकक्ष माना जाता है। इसने सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री में जाँच का काम किया। जिसमें याचिका सौदा को सबसे गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए कार्रवाई की। परन्तु इसकी कार्रवाई को लेकर अटॉर्नी जनरल संतुष्ट नहीं थे जिस पर इन्होंने डी ग्राजिया द्वारा इसकी बाहरी समीक्षा शुरू करवाई गई। डी ग्राजिया ने सिरियस फ्रॉड ऑफ़िस को ''हतोत्साहित और कम प्रदर्शन एजेंसी'' एवं ''अपर्याप्त प्रबंधन एवं नेतृत्व'' के रूप में

वर्णित किया। उसने प्रकाश डाला कि तुलनीय अवधि के लिए मैन हट्न जिला अटार्नी कार्यालय की 92 प्रतिशत सज़ा दर की तुलना में सीरियस फ्रॉड ऑफ़िस की सज़ा दर 61 प्रतिशत थी।

यू.के. में रिश्वत और भ्रष्टाचार व आपराधिक मामलों की जाँच सीरियस फ्रॉड आफिस को सौंपी गई है। वर्तमान में इसके काम को तर्कसंगत बनाने के लिए सीरियस फ्रॉड ऑफ़िस को रिश्वतखोरी अधिनियम, 2010 के प्रवर्तन की महत्त्वपूर्ण भूमिका दी गई है।

नेशनल क्राइम एजेंसी

इसकी स्थापना अपराध और न्यायालय अधिनियम, 2013 द्वारा की गई जो अक्टूबर, 2013 में परिचालित हो गया। यह संगठित और गंभीर अपराधों को कम करने की दिशा में काम करता है। यह यू.के. में अपराध से लड़ने की सबसे सदृश्य एजेंसी है, जो खुफ़िया तंत्र के माध्यम से ख़तरनाक अपराधियों को पकड़ने के प्रति जवाबदेह है। नेशनल क्राइम एजेंसी को गैर-मंत्रालयीय विभाग के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो सीधे ही गृह सचिव के माध्यम से संसद के प्रति उत्तरदायी है। नेशनल क्राइम एजेंसी अपनी गतिविधियों को चार कमांड क्षेत्रों में व्यवस्थित करता है: संगठित अपराध कमांड, बॉर्डर पुलिसिंग कमांड, आर्थिक अपराध कमांड एवं सी.ई.ओ.पी. (चाइल्ड एक्सप्लोइटेशन एंड ऑनलाइन प्रोटेक्शन) कमांड। सरकार ने नेशनल क्राइम एजेंसी की प्राथमिकताओं में गंभीर और संगठित अपराधों की जाँच को शामिल किया है।

आर्थिक अपराध एवं पुलिस - लंदन सिटी पुलिस

लंदन शहर दुनिया का अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं व्यापार का केन्द्र बना हुआ है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों का भी घर है। यह एक ऐसा शहर है,

जहाँ आधुनिक प्रथाओं के साथ-साथ प्राचीन परम्पराओं को अभी तक देखा जाता है। साथ ही, यह शहर पर्यटक नगरी के रूप में विश्वविख्यात है। यहाँ देश एवं विदेश के कोने-कोने से पर्यटक प्रति वर्ष घूमने आते हैं। हालांकि लंदन शहर में अपराध कम हैं, परन्तु वर्तमान सूचना एवं प्रोद्यौगिकी ने यहाँ कई आर्थिक अपराधों को जन्म दिया है जिनमें रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी एवं साइबर अपराध प्रमुख अपराध है। लंदन सिटी पुलिस की ओवरसीज़ एंटी करप्शन यूनिट (विदेशी भ्रष्टाचार विरोधी इकाई) का काम यू.के. में व्यापार में रिश्वत एवं जालसाज़ी की जाँच करना है। साथ ही, लंदन सीटी पुलिस के विभिन्न अंग पुलिस का धोखाधड़ी दल, आर्थिक अपराध अकादमी, बीमा धोखाधड़ी प्रवर्तन विभाग, राष्ट्रीय धोखाधड़ी आसूचना ब्यूरो एवं पुलिस बौद्धिक संपदा अपराध यूनिट आर्थिक अपराध निपटान की दिशा में काम कर रहे हैं। यू.के. में हर मेजेस्टीज़ इंसपेक्टर ऑफ़ कांस्टेबुलरी यहाँ की पुलिस की प्रभावशीलता दक्षता और वैधता की जाँच निरीक्षण के माध्यम से करती है। इन निरीक्षणों के परिणाम प्रकाशित किए जाते हैं। साथ ही, सुधार के लिए सिफ़ारिशों की जाती हैं। पुलिस कमेटी इसके निष्कर्षों एवं सिफ़ारिशों को लागू कराने के लिए जवाबदेह बनाती है। लंदन सिटी पुलिस की पुलिसिंग की योजना 2017-2020 की प्राथमिकताओं में साइबर अपराध एवं धोखाधड़ी को शामिल किया गया है। लंदन सिटी पुलिस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस, मेट्रोपोलिटन पुलिस सर्विस, थैम्स वैली पुलिस, राष्ट्रीय अपराध एजेंसी, बॉर्डर फोर्स के सहयोग से मनी लॉन्डर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। बॉर्डर फोर्स होम ऑफ़िस का एक भाग है।

यू.के. में घटित आर्थिक अपराधों को, जिनका सर्वेक्षण प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स (PWC) द्वारा किया गया है - जिसे 'वैश्विक आर्थिक सर्वेक्षण 2018 : यू.के. निष्कर्ष' नामक इस रिपोर्ट में अग्र तालिका संख्या 6.1 में दर्शाया गया है -

तालिका संख्या 6.1
यू.के. में पिछले दो वर्षों में सूचित शीर्ष पाँच प्रकार के आर्थिक अपराधों का प्रतिशत

क्र.सं.	आर्थिक अपराधों के प्रकार	यू.के. में पिछले दो वर्षों में सूचित शीर्ष पाँच प्रकार के आर्थिक अपराधों का प्रतिशत	
		2016	2018
1	साइबर अपराध	44	49
2	संपत्ति दुरुपयोग	49	32
3	ख़रीद धोखाधड़ी	18	23
4	घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार	6	23
5	व्यापार दुर्व्यवहार	–	21

स्रोत : प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स (PWC)का वैश्विक आर्थिक सर्वेक्षण 2018 : यू.के. निष्कर्ष

संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक अपराध

परिचय

अमेरिकी लोगों के लिए आर्थिक अपराध एक विरोधाभासी विचार है। पिछले बीस वर्षों से इसे एक बड़े संकट के रूप में देखा जा रहा है। वित्तीय बचत, और ऋण घोटाले और अंदरूनी व्यापार की समस्याएँ अपने आप में एक मुद्दा है। ये अपराध अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाते हैं। आर्थिक अपराधों को बढ़ावा देने में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी एक महत्त्वपूर्ण घटक है।

आज आर्थिक अपराध के क्षेत्र में बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, प्रतिभूतियां, बीमा, दूर संचार, बौद्धिक संपदा, स्वास्थ्य देखभाल और कंप्यूटर अपराध और पहचान की चोरी इत्यादि नवीनतम अपराध हैं। साइबर अपराध और आर्थिक अपराध संयुक्त रूप से अमेरिकी पुलिस के लिए एक समस्या है।

नियामक अभिकरण

अमेरिका में, धोखाधड़ी की रोकथाम लिए प्राथमिक नियामक निकाय में डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस है। डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस को अमेरिका में धोखाधड़ी के लिए प्राथमिक नियामक निकाय के रूप में माना जाता है।

1. डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस

यह संयुक्त राज्य अमेरिका का न्याय विभाग है। यह सभी आपराधिक मुकदमों और सिविल वाद पर नियंत्रण रखता है जिसे सन् 1870 में गृह युद्ध के बाद बनाया गया। इसकी अध्यक्षता अटॉर्नी जनरल करता है। इसमें आपराधिक धोखाधड़ी डिविजन है, जो परिष्कृत आर्थिक अपराध से मुकाबला करने में अपनी अद्वितीय और आवश्यक भूमिका निभाता है। डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस करदाताओं और उपभोक्ताओं की वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा करता है।

2. यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रेज़री

यू.एस.डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रेज़री का एक समृद्ध इतिहास है। कांग्रेस ने 1789 में इस विभाग की स्थापना की। यू.एस.डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रेज़री का मिशन अमेरिकी आर्थिक और वित्तीय प्रणालियों के एक प्रबंधक के रूप में विश्व अर्थव्यवस्था में एक प्रतिभाशाली

प्रतिभागी के रूप में अपनी भूमिका निभाना है। यू.एस.डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रेज़री आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के साथ-साथ संयुक्त राज्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ज़िम्मेदार कार्यकारी एजेंसी है। ट्रेज़री विभाग उन प्रणालियों का संचालन और रख-रखाव करता है जो देश के वित्तीय आधारभूत ढाँचे के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह विभाग वैश्विक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, जीवन स्तर के मानकों को बढ़ाने और यथासंभव आर्थिक और वित्तीय संकटों की भविष्यवाणी और रोकथाम के लिए अन्य संघीय एजेंसियों, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ काम करता है। ट्रेज़री विभाग यू.एस. को विदेशी ख़तरों के ख़िलाफ़ आर्थिक प्रतिबंधों को लागू करने एवं सुरक्षा में सुधार करने में अपनी महत्त्वपूर्ण एवं दूरगामी भूमिका निभाता है। यह संघीय वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन करता है। साथ ही, यह कर संग्रहण, सरकारी ख़ातों एवं सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन, राष्ट्रीय बैंकों और संस्थानों का पर्यवेक्षण, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मौद्रिक, आर्थिक व्यापार और कर नीति पर सलाह देना, संघीय वित्त और कर कानून लागू करना, कर चोरी करने वालों, नकली सिक्के बनाने वालों के ख़िलाफ़ अनुसंधान एवं अभियोजन करता है।

3. सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन

सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है, जो 1934 के अधिनियम के अंतर्गत गठित पाँच सदस्यीय आयोग है। आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के अनुमोदन के पश्चात् नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति एक आयुक्त को अध्यक्ष के रूप में नामित करता है। यह सार्वजनिक कंपनियों, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ण्डस, ब्रोकर-डीलर, पर नज़र रखता है। इसके अलावा यह प्रौद्योगिकी प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर ध्यान रखता है। इसका मुख्य लक्ष्य निवेशकों की रक्षा करना,

निष्पक्ष और व्यवस्थित कुशल बाज़ार बनाए रखना और पूँजी निर्माण को बढ़ावा देना है। यह अमेरिकी जनता में सार्वजनिक विश्वास और नैतिक मानकों के उच्चतम पालन को प्रेरित करता है।

4. फ़ेडरल ब्यूरो ऑफ़ इनवेस्टिगेशन

यह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग का एक घटक है और यू.एस. इंटेलिजेंस कम्यूनिटी का सदस्य है। इसका मुख्यालय वॉशिंग्टन डी.सी. में स्थित है। संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख शहरों में इसके 75 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। इसका मिशन अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है। साथ ही, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को कायम रखना है। फ़ेडरल ब्यूरो ऑफ़ इनवेस्टिगेशन देश को ख़तरों से बचाने और आतंकवादी हमलों से रक्षा करता है तथा विदेशी खुफिया संचालन और जासूसी के ख़िलाफ़ अमेरिका को सुरक्षित रखता है। यह सभी स्तरों पर सार्वजनिक भ्रष्टाचार एवं सफ़ेदपोश अपराधों का मुकाबला करने के साथ-साथ सिविल नागरिकों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्यमों की रक्षा करता है।

ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक अपराध

ऑस्ट्रेलिया को वैश्विक वित्तीय संकट से उबारने में इसकी विकसित अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह आर्थिक अपराधों से अप्रभावित रहा है। यहाँ भी आर्थिक अपराधों का बोलबाला रहा है। वैश्विक वित्तीय संकट में यहाँ भी भारी वित्तीय धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार का खुलासा हुआ जो लम्बे समय तक यहाँ के बाज़ार का हिस्सा रहा। ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक सफलता के बावजूद यहाँ कई प्रकार के आर्थिक अपराधों का प्रभुत्व रहा है। ऑस्ट्रेलियाई अपराधों विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक धोखाधड़ी एक व्यापक समस्या रही है, जिसमें बेईमानी का अर्थ दूसरे पर एक अन्यायपूर्ण

लाभ हासिल करने के लिए चेक और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, व्यापार धोखाधड़ी, सामाजिक सुरक्षा धोखाधड़ी, जालसाज़ी और रिश्वत है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आर्थिक अपराधों में से केवल 50 प्रतिशत की सूचना पुलिस या अन्य अधिकारियों को दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया सरकार संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन 2003 की पालना हेतु दृढ़ संकल्प है। साथ ही, आर्थिक अपराधों का मुकाबला करने एवं इसकी निगरानी के लिए मानकों को लागू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कई अंतर्राष्ट्रीय संधि और सम्मेलनों का आयोजन कर अपने आप को आर्थिक अपराध की रोकथाम के उपायों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

नियामक अभिकरण

1. ऑस्ट्रेलियाई आपराधिक खुफ़िया आयोग

यह गंभीर वित्तीय अपराधों के मूल्यांकन के लिए ज़िम्मेदार है। यह आयोग अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध के ख़तरों, जिसमें वित्तीय अपराध के ख़तरे शामिल हैं, का मुकाबला करता है। अधिकतर गंभीर वित्तीय अपराध संगठित आपराधिक समूहों एवं पेशेवर अपराधियों द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा वित्तीय अपराधों की वृद्धि में प्रौद्योगिकी तेजी से एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रौद्योगिकी ने बड़े पैमाने पर फिशिंग, व्यक्तिगत पहचान की चोरी, डाटा हैक करना जैसे अपराधों में वृद्धि की है। ऑस्ट्रेलिया में विशिष्ट वित्तीय अपराध गतिविधियों में, जैसे धन शोधन में वकील, लेखाकार/वित्तीय सलाहकार, आई.सी.टी. पेशेवर, रियल एस्टेट एजेंट एक व्यावसायिक अभियन्ता के रूप में शामिल हैं। यह आयोग निवेश और वित्तीय बाज़ार धोखा, राजस्व और कर धोखाधड़ी एवं ट्रस्ट और कंपनियों का अत्यधिक उपयोग जैसे मुद्दों के निपटान की दिशा में कार्रवाई करता है।

2. ऑस्ट्रेलियन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस सेंटर

ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए ऑस्ट्रेलियन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस सेंटर की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यह मनी लॉन्ड्रिग और आंतकवाद वित्त–पोषण का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त अधिकार रखता है। साथ ही, नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों, कर की चोरी, धोखाधड़ी और लोगों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों का मुकाबला करने वाली गतिविधियों से संबंधित रिपोर्टों को प्रकाशित करता है।

3. कॉमनवेल्थ डायरेक्टर ऑफ़ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन

कॉमनवेल्थ डायरेक्टर ऑफ़ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन एक स्वतंत्र अभियोजन सेवा है, जो राष्ट्रमंडल कानूनों के ख़िलाफ़ कथित अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए एक सेवा है। इसका उद्देश्य प्रभावी, नैतिक उच्चगुणवत्तायुक्त स्वतंत्र अभियोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना हैं। यह शिष्टाचार, गरिमा और सम्मान के साथ अपराध के शिकार लोगों की सहायता करता है।

4. ऑस्ट्रेलियन फ़ेडरल पुलिस

ऑस्ट्रेलियन फ़ेडरल पुलिस एक सरकारी एजेंसी है। यह पुलिस बल ऑस्ट्रेलिया के हितों को राष्ट्रीय रूप से सुरक्षित रखता है। ऑस्ट्रेलियन फ़ेडरल पुलिस ऑस्ट्रेलियन फ़ेडरल पुलिस एक्ट 1979 की धारा 8 के अनुसार काम करती है।

ऑस्ट्रेलियन फ़ेडरल पुलिस की सीरियस फायनेंशियल टास्क फोर्स ऑस्ट्रेलियन पुलिस के फ्राड एवं एंटी करप्शन सेंटर के रूप में काम करता है। यह टास्क फोर्स विभिन्न एजेंसियों से समन्वय बनाकर एक रणनीतिक प्रचलनात्मक प्रक्रिया, आसूचना एवं वित्तीय

अपराधों की पहचान के रूप में काम करता है। टास्क फोर्स द्वारा गंभीर अपराध, धन शोधन, मानव तस्करी एवं अंतर्राष्ट्रीय कर चोरी की रोकथाम की दिशा में काम किया जाता है। यह पुलिस बल साइबर अपराध रोकथाम की दिशा में भी काम करती है।

5. ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक अपराध

प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स के 2016 के वैश्विक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में घटित अपराधों को अग्रांकित तालिका संख्या 6.2 में निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है –

तालिका संख्या 6.2
आर्थिक अपराध ऑस्ट्रेलिया एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य

क्र. सं	आर्थिक अपराधों के प्रकार	प्रतिशत	
		ऑस्ट्रेलिया	वैश्विक
1	आस्ति दुरुपयोग	63	64
2	साइबर अपराध	65	32
3	घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार	28	24
4	ख़रीद धोखाधड़ी	44	23
5	लेखांकन धोखाधड़ी	14	18
6	मानव संसाधन धोखाधड़ी	21	12
7	कालेधन को वैध बनाना	26	12

क्र. सं	आर्थिक अपराधों के प्रकार	प्रतिशत	
		ऑस्ट्रेलिया	वैश्विक
8	इनसाइडर ट्रेडिंग	2	7
9	बौद्धिक संपदा उल्लंघन	8	7
10	बंधक धोखाधड़ी	5	6
11	कर धोखाधड़ी	3	6
12	प्रतियोगिता /विरोधी विश्वास कानून का उल्लंघन	0	4
13	जासूसी	6	2
14	अन्य	8	11

स्रोत : प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स (PWC)का वैश्विक आर्थिक सर्वे 2016 : **ऑस्ट्रेलिया** परिप्रेक्ष्य

रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार नियामक

ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल

ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल अन्य एजेंसियों की एकशृंखला के रूप में खुफ़िया कानून प्रवर्तन और ऑस्ट्रेलिया की सीमा के संरक्षण के लिए ज़िम्मेदार है। इसके अलावा सीमापार लोगों की आवाजाही एवं वस्तुओं के व्यापार को प्रबंधित करना है। विस्तृत रूप में इसकी भूमिका ऑस्ट्रेलिया को एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में सुरक्षित रखना है।

• • •

अध्याय-7

आर्थिक अपराध के संबंध में पुलिस कार्रवाइयाँ एवं विशिष्ट संदर्भित मामले - एक केस अध्ययन

मामले का अध्ययन किसी भी समस्या का अचूक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अध्याय का मुख्य उद्देश्य आर्थिक अपराध की निपटान की दिशा में लोगों को सचेत करना है। पुलिस अनुसंधान अधिकारी एवं आमजन आर्थिक अपराधियों द्वारा प्रौद्योगिकी और संचार और वाणिज्यिक लेन-देन के माध्यम से किए जाने वाले आर्थिक अपराधों के तौर-तरीकों से रू-ब-रू होकर अपना बचाव करने में सफल हो सकेंगे। मामले के अध्ययन से धोखेबाज़ अपराधियों के स्वभाव, उनकी कार्य-प्रणाली और इरादों का पता लगााने में मदद मिल सकती हैं। कार्य-प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन, कुख्यात अपराधियों के चित्रों द्वारा गतिविधियों की छानबीन, आसूचना का प्रसार, अपराधियों के चित्रों के प्रकाशन से बैंको आदि को सचेत करके धोखेबाज़ी के मामलों का पता लगााने में सहायता मिल सकती है।

मामला अध्ययन - 1

ठगी का मकड़जाल (संदीप घोष के पिनकॉन कंपनी समूह) के संबंध में पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एस.ओ. जी. राजस्थान की कार्रवाई - एक केस अध्ययन

पिछले वर्ष सितम्बर महीने की बात है। एक व्यक्ति पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एस.ओ.जी. थाने में पहुँचा। उस व्यक्ति ने बताया कि उसका नाम संदीप घोष है और वह अजमेर का रहने वाला है। वह पश्चिम बंगाल की पिनकॉन स्पिरिट समूह

की कंपनी में काम करता है। पिनकॉन समूह की कंपनियां विभिन्न योजनाओं में लोगों से निवेश करती है। संदीप घोष ने बताया कि कंपनी अब लोगों से जमा के रूप में ली गई रकम वापस नहीं लौटा रही है। इस संबंध में उसने कई बार कंपनी के उच्च प्रबंधन और चेयरमैन तक बात पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन उसे हर तरफ़ से नकारात्मक प्रत्युत्तर मिला।

संदीप घोष ने अपनी बात रखते हुए बताया कि हज़ारों ग़रीबों ने पिनकॉन कंपनी की विभिन्न योजनाओं में अपनी ख़ून पसीने की कमाई निवेश की है। तमाम लोगों ने उसके भरोसे पर कंपनी में पैसा लगाया है। अब वे अपने पैसे वापस माँग रहे हैं तो कंपनी उन निवेशकों का पैसा नहीं लौटा रही है। ऐसी आशंका है कि इस कंपनी ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है।

एस.ओ.जी. के अधिकारियों ने संदीप घोष से पूछा कि धोखाधड़ी कैसे की गई तो उसने बताया कि कंपनी ने लोगों को 4 वर्ष में रकम दोगुनी करने और 14 प्रतिशत तक ब्याज देने का वादा किया था। पिनकॉन ग्रुप की कंपनियां राजस्थान में करीब 7 साल से चल रही हैं। अच्छे मुनाफे के लालच में पूरे राजस्थान के हज़ारों लोगों ने हमारी कंपनियों में पैसा निवेश किया है। यह रकम सैकड़ों करोड़ रुपये बनती है। संदीप घोष ने बताया कि वह भी 14 फीसदी ब्याज के लालच में आ गया और उसने अपने खुद के और अपनी जान-पहचान वालों के 76 लाख रुपये पिनकॉन ग्रुप की कंपनियों में निवेश करवा दिए। पहले तो कुछ लोगों को पैसा वापस मिल गया था, कुछ निवेशकों को ब्याज की राशि भी मिली थी, लेकिन अब कई महीनों से ब्याज तो दूर, लोगों को अपनी मूल रकम भी नहीं मिल रही है। निवेशक कंपनी के ऑफ़िसों के चक्कर लगा रहे हैं।

संदीप घोष से आवश्यक पूछताछ के बाद एस.ओ.जी. ने पिनकॉन स्पिरिट कंपनी समूह के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया। एस.ओ.जी. के एडीशनल डीजीपी उमेश मिश्रा ने आईजी दिनेश एम.एन. ने संजय श्रोत्रिय के नेतृत्व में विशेष जाँच दल यानी एसआई.टी. का गठन किया। संजय श्रोत्रिय के नेतृत्व में एस.ओ.जी. की टीम ने जाँच शुरू की। एस.ओ.जी. के अधिकारियों ने सबसे पहले पिनकॉन ग्रुप की सभी कंपनियों की जानकारी जुटाई। इसके बाद इन कंपनियों के काम करने के तरीकों का पता लगाया। तब जाकर पुलिस अफ़सरों को फ़र्ज़ीवाड़े का यह मामला समझ में आया। हालांकि इस तरह के वित्तीय फर्जीवाड़े के मामलों की जाँच आमतौर पर सी.बी.आई., प्रवर्तन निदेशालय या रिज़र्व बैंक आदि करती हैं, लेकिन यह मामला सीधे निवेशकों से ठगी का था, इसलिए एस.ओ.जी. ने गहराई से मामले की जाँच की।

रोजाना 3 करोड़ रुपये का टैक्स दे रही थी कंपनी

जाँच-पड़ताल में सामने आया कि पिनकॉन कंपनी देश की नामी कंपनी है। पश्चिम बंगाल की इस कंपनी को पी.एस.एल. के नाम से भी जाना जाता है। यह कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज व सेबी में सूचीबद्ध है। सन 1978 में इस कंपनी की स्थापना कोलकाता में हुई थीं।

पिनकॉन समूह की कई अन्य कंपनियां भी हैं। इन कंपनियों में एल.आर.एन. फाइनेंस लिमिटेड, ए.एस.के. फाइनेंशियल सर्विसेज़, यूनिवर्सल मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी, ग्रिनेज फूड प्रोडक्ट लिमिटेड, बंगाल पिनकॉन हाउसिंग इंफ्रा लिमिटेड और एल.आर.एन. यूनिवर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। जाँच में पता चला कि पिनकॉन ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोरंजन रॉय हैं। पिनकॉन स्पिरिट लिमिटेड कंपनी शराब का

उत्पादन करने वाली प्रमुख कंपनी है। इस कंपनी की शराब पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड और ओडिशा सहित कई राज्यों में सप्लाई की जाती है। यह बात भी सामने आई कि पिनकॉन कंपनी सरकार को रोजाना करीब 3 करोड़ रुपये का टैक्स दे रही थी। मार्च 2016 में पिनकॉन ग्रुप ने अपने उत्पाद को बढ़ाने के लिए सिंगापुर की ऑर्बिटोल सॉल्यूशन कंपनी का अधिग्रहण किया था। मई, 2017 में पिनकॉन कंपनी ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 30 मिलियन डॉलर कैपेक्स के फौरन करेंसी कनवर्टिबल बांड्स जारी किए थे।

एस.ओ.जी. के अधिकारियों को जब पिनकॉन ग्रुप की सभी कंपनियों की जानकारी मिल गई तो यह पता लगाया गया कि राजस्थान और देश में पिनकॉन ने अपनी कंपनी की शाखाएं कितनी खोल रखी हैं। इसमें पता चला कि राजस्थान में कंपनी की 11 शाखाएं हैं। इनमें से अजमेर, जयपुर, कोटा, निवाई व चौमूं शाखाएं है अजमेर रीज़नल ऑफ़िस के तहत आती थीं और अलवर, भरतपुर, कामा, धौलपुर, बांदीकुई व हिंडोई की शाखाएं आगरा रीजनल ऑफ़िस के तहत। अज़मेर के रीज़नल ऑफ़िस में सभी 6 कंपनियों का लेखा-जोखा भी एक ही रजिस्टर में रखा जाता था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश आदि राज्यों के प्रमुख शहरों में भी पिनकॉन ग्रुप ने अपनी कंपनी की 105 शाखाएं खोल रखी थीं।

पिनकॉन ग्रुप की कंपनियों की राजस्थान की सभी 11 शाखाओं को सीज कर एस.ओ.जी. के अधिकारियों ने वहां से कंपनी के दस्तावेज़ ज़ब्त किए। इन दस्तावेज़ों की जाँच-पड़ताल के साथ-साथ कंपनी की शाखाओं में काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ की और पता चला कि कंपनी ने एकमुश्त पैसा जमा कराने पर 4 साल में रकम दोगुनी करने का वादा किया था। इसके अलावा अन्य जमा राशियों पर 14 फीसदी तक ब्याज देने

की बात कही थी। लोगों से निवेश के नाम पर प्रतिमाह या 4 साल के लिए एकमुश्त रकम ली जाती थी।

3 लाख लोगों से की ठगी

एस.ओ.जी. की जाँच में यह स्पष्ट हो गया कि पिनकॉन ग्रुप ने मोटे मुनाफ़े का लालच देकर राजस्थान में करीब 25 हजार लोगों से लगभग 56 करोड़ रुपये की ठगी की थी। साथ ही, एक अनुमान के अनुसार पिनकॉन ग्रुप की कंपनियों ने देशभर के करीब 3 लाख लोगों से ठगी की थी। इसके बाद एस.ओ.जी. के अधिकारियों ने पिनकॉन ग्रुप के चेयरमैन मनोरंजन रॉय और उसके साथी निदेशक विनय सिंह को बेंगलुरु से गिरफ़्तार कर लिया। ये दोनों कलकता के रहने वाले थे। दोनों से पूछताछ के बाद कंपनी के अधिकारी बेंगलुरु निवासी एकाउंट्स हैड रघु शेट्टी और आगरा के रहने वाले निदेशक हरि सिंह को भी गिरफ़्तार कर लिया।

चारों आरोपियों को एस.ओ.जी. ट्रांजिट रिमांड पर जयपुर ले आई, उन्हें जयपुर न्यायालय में पेश कर के रिमांड पर लिया गया। इन लोगों से पूछताछ में पता चला कि ये लोग निवेशकों से पिनकॉन ग्रुप की 6 फ़र्ज़ी कंपनियों में प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत डिबेंचर इश्यू कर के निवेश करवाते थे। निवेशकों के डिबेंचर्स का भुगतान कभी नहीं किया गया था। एक कंपनी के डिबेंचर परिपक्व होने पर उसमें वर्चुअल रोकड़ भुगतान दिखा दिया जाता था और दूसरी कंपनी में वर्चुअल रोकड़ प्राप्ति दिखा कर नए डिबेंचर का निर्गमन दिखाकर पुनः निवेश करा दिया जाता था।

पिनकॉन ग्रुप की इन कंपनी एल.आर.एन. फाइनेंस लिमिटेड, ए.एस.के. फाइनेंशियल सर्विसेज़, ग्रिनेज फूड प्रोडक्ट लिमिटेड एवं बंगाल पिनकॉन हाउसिंग इंफ्रा लिमिटेड द्वारा अपने परिपक्व दावों के करीब 39 करोड़ रुपये को अवैध तरीके से वर्चुअल भुगतान

दिखा कर एल.आर.एन. यूनिवर्स प्रोड्यूसर कंपनी में वर्चुअल आधार पर प्राप्ति दिखाकर पुनः निवेश किया।

पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि पिनकॉन ग्रुप ने 8 नवंबर, 2016 को नोटबंदी की घोषणा के बाद भी अपनी कंपनियों के जरिए पुरानी करेंसी का लेन-देन किया। नोटबंदी के दौरान करीब 45 करोड़ रुपये की पुरानी करेंसी ली गई।

एस.ओ.जी. टीम ने कोलकाता, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से कंपनी की प्रॉपर्टी का पता लगाकर आगरा व वाराणसी से निवेशकों का रिकॉर्ड व प्रोपर्टी के काग़ज़ात ज़ब्त किए। वहीं जयपुर में कंपनी की राजस्थान की शाखाओं के मैनेजरों को एस.ओ.जी. कार्यालय बुलाकर पूछताछ की गई। एस.ओ.जी. ने रिमांड की अवधि पूरी होने पर 9 नवंबर, 2017 को चारों आरोपियों को अदालत में पेश करके फिर से 7 दिन का रिमांड माँगा। उस पर पिनकॉन कंपनी के चेयरमैन मनोरंजन रॉय के अधिवक्ता राजेश महर्षि ने तर्क दिया कि यह मामला आपराधिक नहीं है। संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज में पंजीकृत है। शेयर बाज़ार में लिस्टेड होने के कारण सेबी इसकी नियामक संस्था है। ऐसे में आरोपों की जाँच होनी भी है तो कंपनी अधिनियम के तहत होगी। आरोपी बिनय सिंह के अधिवक्ता दीपक चौहान ने फिर से रिमांड माँगने का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि कंपनी के दस्तावेज पब्लिक डोमेन में हैं। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों अरोपियों की रिमांड अवधि 7 दिन के लिए बढ़ा दी। बाद में 16 नवंबर, 2017 को अदालत के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में सभी को जेल भेज दिया गया।

कंपनी का निदेशक भी हुआ गिरफ़्तार

पिनकॉन ग्रुप की एल.आर.एन. यूनिवर्स प्रोड्यूसर कंपनी के

निदेशक दीपक फ़ण्डीर को एस.ओ.जी. ने 11 जनवरी को गिरफ़्तार कर लिया। पुंडीर ने रिमांड के दौरान पूछताछ में बताया कि आगरा की पीएनबी शाखा में खाता खोला गया था। उस खाते को दीपक ही ऑपरेट करता था। इस बैंक खाते में राजस्थान के लोगों से एकत्र राशि जमा की जाती थी। दीपक ने बताया कि बाद में कंपनी के चेयरमैन मनोरंजन राय से लेन-देन को लेकर उसका झगड़ा हो गया था। इसके बाद वह पिनकॉन कंपनी से अलग हो गया था। व्यापक जाँच-पड़ताल के बाद एस.ओ.जी. ने 29 जनवरी, 2018 को पिनकॉन घोटाले के 4 आरोपियों चेयरमैन मनोरंजन रॉय, निदेशक बिनय सिंह, हरि सिंह और अकाउंट्स हैड रघु शेट्टी के ख़िलाफ़ जयपुर की अदालत में आरोप पत्र दाख़िल कर दिया। चारों आरापियों के ख़िलाफ़ भा.दं.सं. की धारा 420, 406, 409, 466, 468, 471, 477ए व 201 और आई.टी. एक्ट की धारा 54 के तहत आरोप पत्र दाख़िल किया गया।

मामला अध्ययन - 2

डॉक्टर अमित द्वारा ग़रीबों को रुपयों का लालच देकर उनकी किडनी ख़रीदकर खाड़ी के अमीर देशों के शेख़ों से लेकर कई देशों के अमीर लोगों को बेचने के काले धंधों के संबंध में उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई - एक केस अध्ययन

14 सितंबर, 2017 को उत्तराखंड की राजधानी, देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में चल रही उस बैठक में कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में 11 सितम्बर को फ़रार हुए देश के सबसे बड़े किडनी सौदागार डॉ. अमित की गिरफ़्तारी को लेकर राय-मशविरा हो रहा था। डॉ. अमित की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति थी और वह हाईप्राफेाइल जीवन जीता था। उसे विश्व की 14 भाषाओं का ज्ञान था। और वह सैकड़ों बार विदेश यात्रा कर चुका

था। उसके व्यावसायिक तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े थे। खाड़ी देशों के अमीर शेख़ों से लेकर कई देशों के लोग उसके ग्राहक रह चुके थे। वह अपने देश के गरीबों को रूपयों का लालच देकर उनकी किडनी खरीदकर अमीरों को बेचता था। डॉ. अमित राउत किडनी सौदागर भी था और किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला डॉक्टर भी। इस काम में वह लाखों के वारे-न्यारे करता था। विचार-विमर्श के बाद बैठक ख़त्म हो गई। डी.जी.पी. अनिल कुमार रतूड़ी के निर्देशन में डी.आई.जी. पुष्पक ज्योति और एस.एस.पी. निवेदिता कुकरेती इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही थीं। सभी की नज़रें डॉ. अमित राउत पर टिकी थीं।

दरअसल, 11 सितंबर, 2017 की सुबह देहरादून की एस.एस.पी. निवेदिता कुकरेती को सूचना मिली थी कि डोईवाला थाना क्षेत्र के लाल तप्पड़ स्थित उत्तराखंड डेंटल कॉलेज में बने गंगोत्री चेरिटेबल हॉस्पिटल में किडनी निकालने और ट्रांसप्लांट करने का अवैध कारोबार किया जा रहा है। यह भी पता चला था कि जो 4 लोग किडनी बेचने के लिए आए थे, वे हरिद्वार के रास्ते दिल्ली जाने वाले हैं। एस.एस.पी. ने अविलंब एक पुलिस टीम का गठन कर दिया, जिसमें थाना डोईवाला के इंस्पेक्टर ओमबीर सिंह रावत, हरिद्वार के इंस्पेक्टर प्रदीप बिष्ट, एसआई सुरेश बलोनी, दिनेश सती, राकेश पंवार, महिला एसआई मंजुल रावत, आदित्या सैनी, कांस्टेबल गब्बर सिंह, भूपेन्द्र सिंह, विनोद, नीरज और राजीव को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने सप्तऋषि चौकी के पास चैकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस ने एक इनोवा कार नंबर यूए 08 टीए 5119 को रोका तो कार की चालक सीट पर एक युवक बैठा था, जबकि कार की पिछली सीट पर 2 महिलाएं व 3 पुरुष बैठे थे।

पुलिस को देखकर पीछे बैठे लोगों में से एक व्यक्ति बुरी तरह घबरा गया और उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में उन लोगों ने जो कुछ बताया, उसे सुनकर पुलिसकर्मियों के रोंगटे खड़े हो गए। कार चालक का नाम दीपक था, जिसे किराए पर बुलाया गया था जबकि अन्य लोगाों में जावेद ख़ान निवासी एस.बी. रोड़ सांताकुरज, मुम्बई, भावजी भाई निवासी खेड़ा, गुजरात, शेख़ताज अली, 42 साल की सुसामा बनर्जी और 32 साल की कृष्णा दास थी, सुसामा बनर्जी और कृष्णा दास दक्षिण परगना, वेस्ट बंगाल की रहने वाली थीं।

इन लोगों ने पुलिस को बताया कि अस्पताल का एजेंट जावेद ख़ान उन्हे 3 लाख रुपये में किडनी ख़रीदने का वादा कर के अस्पताल लाया था। अस्पताल में कृष्णा दास व शेख़ताज अली की किडनी निकाल ली गई थीं। भावजी भाई और सुसामा बनर्जी को किडनी निकालने के लिए ले जाया गया। उनकी किडनी निकालने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी, उसी बीच ठीक होने पर कृष्णा दास व शेख़ताज ने किडनी के बदले रुपये देने की माँग की तो एजेंट व अस्पताल संचालकों ने टाल-मटोल शुरू कर दी। यह देखकर भावजी भाई व सुसामा ने किडनी देने से इन्कार कर दिया। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल वालों ने उन्हें एजेंट के साथ वापस भेज दिया। पैसों से लेकर हुए इस झगड़े की भनक किसी तरह सनीपुर कोतवाली में तैनात कांस्टेबल पंकज कुमार को लग गई थी। झगड़ा किस बात को लेकर था, यह राज भी पता चल गया था। इसके बाद उसने ज़रूरी जानकारियां जुटाकर एस.एस.पी. निवेदिता कुकरेती को इसकी सूचना दे दी थी। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें से ओमान सहित कुछ देशों के एयर टिकट मिले, जिससे पता चलता था कि गिरोह के तार विदेश तक जुड़े हैं।

पुलिस ने जावेद ख़ान से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया कि वह हॉस्पिटल के संचालक डॉ. अमित के लिए काम करता था। वह देश के अलग-अलग हिस्सों से ग़रीब लोगों को रुपयों का लालच देकर देहरादून लाता था। किडनी देने वालों को 3 लाख रुपये मिलते थे, जबकि उसे कमीशन मिलता था। जावेद ने यह भी बताया कि हॉस्पिटल के संचालक किडनी की ख़रीद-फ़रोख्त करने के साथ-साथ किडनी ट्रांसप्लांट भी करते थे। इस काम में उन्हे मोटी कमाई होती थी। यह ख़बर डी.जी.पी. अनिल रतुड़ी, ए.डी.जी. (कानून व्यवस्था) राम सिंह मीना, डी. आई.जी. पुष्पक ज्योति को मिली तो उन्होंने एस.एस.पी. को इस मामले में तत्काल सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने थाना डोईवाल में जावेद के अलावा डॉ. अमित कुमार, डॉ. अक्षय उर्फ़ राउत, डॉ. संजय दास, सुषमा कुमारी, राजीव चौधरी एवं चंदना गुड़िया के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120 बी, 370, 342 और मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 की धारा 18, 19, 20 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज़ कर लिया। अपराध संगीन होने से डॉ. अमित की गिरफ़्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई। पुलिस को शक था कि वह विदेश भाग सकता है, जिस पर सभी हवाई अड्डों पर 'लुक आउट' नोटिस जारी किया। पुलिस ने छान-बीन की तो अमित की अंतिम लोकेशन पंचकुला में मिली।

पुलिस ने वहां एक होटल में दबिश देकर उसे गिरफ़्तार कर लिया।

मामला अध्ययन - 3

ए.टी.एम. कार्ड की क्लोनिंग विदेशी ठगों के मायाजाल के संबंध में जयपुर पुलिस की कार्रवाई -एक केस अध्ययन

25 फरवरी, 2018 की बात है, दोपहर का समय था। जयपुर के महेशनगर पुलिस थाने में ड्यूटी अफ़सर अपनी सीट पर बैठे थे। तभी करीब 22-24 साल का एक युवक थाने पहुंचा। वह

सीधा ड्यूटी अफ़सर के पास पहुंचा और अपना परिचय दे कर बोला, 'सर, मेरा नाम महेशराज मीणा है और मैं महेशनगर में रहता हूं।'

''बताइए, थाने कैसे आना हुआ?'' ड्यूटी अफ़सर ने पूछा। साहब, मेरे बैंक खाते से 15 हज़ार रुपये निकाल लिए गए, जबकि ए.टी.एम. कार्ड मेरे पास है। मेरे मोबाइल पर ट्रांजैक्शन का मैसेज आया, तब पता चला कि मेरे खाते से पैसे निकल गए हैं।

ड्यूटी अफ़सर ने महेशराज को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए पूछा, 'तुम्हारे पास मैसेज कब आया?'

'साहब मैसेज तो आज ही आया है।' महेशराज ने कहा आश्चर्य की बात है कि आज मैं किसी ए.टी.एम. से पैसे निकालने भी नहीं गया, फिर भी मेरे एकाउण्ट से 15 हज़ार रुपये निकल गए। ड्यूटी अफ़सर महेशराज से उसके खाते से पैसे निकलने के बारे में जानकारी ले रहे थे, इसी दौरान 2-3 और लोग थाने पहुंच गए। ड्यूटी अफ़सर महेशराज ने उन लोगों को आने का कारण पूछा तो पता चला महेश की तरह उनके एकाउंट से भी पैसे निकल गए हैं। ड्यूटी अफ़सर उनसे बात कर ही रहे थे कि 2 लोग और आ गए। इस तरह 3-4 घंटे में ही 10-11 लोग इस तरह की शिकायत लेकर थाने पहुंचे ड्यूटी अफ़सर ने इन लोगों से अलग-अलग बात करके मामले की तह में जाने की कोशिश की तो पता चला कि इन लोगों के खाते से रकम दिल्ली में निकाली गई थी। यह भी बात सामने आई कि ये सभी ट्रांजैक्शंस उस दिन दोपहर 1 से 2 बजे के बीच हुए थे। पीड़ित लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कुछ दिनों पहले महेशनगर फाटक और 80 फुटा रोड़ पर लगे 3 ए.टी.एम. से पैसे निकाले थे। इसके बाद ए.टी.एम. से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया था। ड्यूटी अफ़सर को मामला

गंभीर लगा। उन्होंने थाना प्रभारी जयसिंह और अपने उच्चाधिकारियों को इस तरह का मामले होने की सूचना दी। इसी के साथ पुलिस ने सभी पीड़ितों से लिखित में रिपोर्ट ले ली। पुलिस ने जल्द इन लोगों को अपने ए.टी.एम. कार्ड ब्लॉक करवाने की हिदायत दी, ताकि उनके खाते से और रकम न निकाली जा सके।

इस तरह जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच भी सक्रिय हो गई। महेशनगर थाना पुलिस व क्राइम ब्रांच ने पीड़ितों से बातचीत की तो पता चला कि इन वारदातों को ए.टी.एम. कार्ड की क्लोनिंग करके अंजाम दिया गया था। क्योंकि सारे पीड़ित जयपुर के थे। वे दिल्ली गए भी नहीं थे और दिल्ली के ए.टी.एम. से उनके खाते से पैसे निकाल लिए गए थे।

पुलिस ने जाँच-पड़ताल शुरू भी नहीं की थी कि अगले दिन यानी 26 फरवरी को सुबह से ही महेशनगर थाने पर लोगों का जमावड़ा होने लगा। ये लोग भी अपने खाते से रकम निकाले जाने की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे थे। उस दिन शाम तक 28 पीड़ित और सामने आ गए। 2 दिनों में 38 लोगों के बैंक खातों से रकम निकाले जाने से पुलिस हैरान थी। पुलिस ने जाँच शुरू की तो सामने आया कि बदमाशों ने महेशनगर में 80 फुटा रोड़ पर एस.बी.आई., पी.एन.बी., इंडसइंड बैंक के ए.टी.एम. में स्किमर लगाए थे। ये स्किमर 24 फरवरी तक लगे हुए थे, क्योंकि उन्ही ए.टी.एम. कार्ड धारकों के पैसे निकाले गए, जिन्होंने एक सप्ताह के भीतर ए.टी.एम. से लेन-देन किया था। इनसे डाटा चोरी कर 2 दिन में करीब 40 लोगों के खातों से 7 लाख रुपये से अधिक ज़्यादा निकाल लिए गए थे। जाँच में पता चला कि बदमाशों ने क्लोन कार्ड से दिल्ली में जनकपुरी व पालम इलाके में रकम निकाल ली थी।

पुलिस ने उन तीन ए.टी.एम. के सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज बैंक प्रबंधकों से माँगी। इसके अलावा सभी पीड़ितों से उनके ए.टी.एम. कार्ड के पासवर्ड बदलने को कहा। पीड़ितों से संबंधित बैंक खातों का स्टेटमेंट, उन्होंने 2 महीनों में किस-किस ए.टी.एम. से पैसे निकाले थे, की जानकारी एकत्र की। बदमाशों ने दिल्ली के जिस-जिस ए.टी.एम. से रकम निकाली, उनकी वीडियो फुटेज हासिल करने के लिए एक टीम दिल्ली भेजने का निर्णय लिया गया। पीड़ितों के सामने आने से यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। करीब एक सप्ताह में ही जयपुर के महेशनगर, जवाहर सर्किल, बजाजनगर व ज्योतिनगर पुलिस थाने में इस तरह की वारदात के 88 मामले दर्ज हो गए। इनमें पीड़ितों से 27 लाख 32 हजार रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई थी।

जयपुर काफी समय से साइबर ठगों के निशाने पर रहा है। दिल्ली, नोएडा, झारखंड व छत्तीसगढ़ के ठग आए दिन बैंक अधिकारी या बीमा अधिकारी बनकर अथवा अन्य कोई प्रलोभन देकर लोगों के बैंक खातों से ठगी करते रहे हैं। नोटबंदी के बाद कैशलेस का प्रचलन बढ़ने से साइबर ठगों को अपना शिकार ढूंढ़ने में आसानी हो गई है। जयपुर कमिश्नरेट में वर्ष 2011 में साइबर क्राइम के केवल 88 मामले दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2012 में यह संख्या घटकर 74 रह गई। इसके बाद वर्ष 2013 में साइबर क्राइम के 123, वर्ष 2014 में 373, वर्ष 2015 में 574, वर्ष 2016 में 531 और वर्ष 2017 में 643 मामले दर्ज हुए।

अब साइबर क्राइम का नया रूप सामने आ गया था। ए.टी.एम. कार्ड की क्लोनिंग के ज़रिए फ़र्जी ए.टी.एम. कार्ड तैयार करके इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सामने आने पर पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने अपने मातहत अधिकारियों की बैठक बुलाई और बदमाशों का जल्द- से-जल्द पता लगाने को कहा।

कमिश्नर अग्रवाल ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रथम) प्रफुल्ल कुमार के निर्देशन में और पुलिस उपायुक्त (अपराध) डॉ. विकास पाठक के नेतृत्व में एक टीम गठित की। इस टीम में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी, महेशनगर थानाप्रभारी जय सिंह, महेशनगर थाने के सबइंस्पेक्टर सुनील, क्राइम ब्रांच के सबइंस्पेक्टर धार्म सिंह और मनोज कुमार के साथ कई कांस्टेबलों को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने संबंधित बैंकों से रिकॉर्ड हासिल किया। ए.टी.एम. बूथों की सी.सी.टी.वी. फुटेज जाँची। आवश्यक तकनीकी जाँच-पड़ताल के बाद एक टीम दिल्ली भेजी गई। इसके अलावा पुलिस ने देशभर में ऐसे गिरोहों की जानकारी जुटाई, जो ए.टी.एम. कार्ड की क्लोनिंग के अपराध से जुड़े रहे थे।

उधर जयपुर से दिल्ली गई पुलिस टीम ने उन ए.टी.एम. की वीडियो फुटेज हासिल की, जिनसे जयपुर के लोगों के ए.टी.एम. कार्ड की क्लोनिंग करके रकम निकाली गई थी। इन फुटेज के आधार पर पुलिस ने 7 मार्च को दिल्ली से 3 विदेशी साइबर ठगों को पकड़ लिया। इनमें रोमानिया के काटनेस्कू, डुयिका बोगडन निकोलेई और सियोबानू शामिल थे। ये तीनों पर्यटक वीजा पर दिल्ली आए थे और वापस रोमानिया जाने की तैयारी में थे।

दरअसल, पुलिस को जयपुर में ए.टी.एम. की वीडियो फुटेज में हेलमेट पहने लोग स्किमर लगाते नज़र आए थे। इन फुटेज में उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। हां, शरीर का अंदाज़ हो रहा था। दिल्ली में पुलिस ने जो वीडियो फुटेज हासिल किए, उनमें इनके चेहरे साफ दिखाई दिए। चेहरों से पता चला कि ये बदमाश विदेशी हैं। इस पर पुलिस ने वीज़ा खंगाले तो फ़ोटो और वीडियो फुटेज से इनका मिलान हो गया। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया।

पुलिस ने इन तीनों विदेशी साइबर ठगों से करीब 53 लाख 50 हजार रुपये नकदी के अलावा विभिन्न बैंकों के 5 क्लोनशुदा ए.टी.एम. कार्ड, एक स्पाई कैमरा, एक मल्टीपर्पज़ कार्ड रीडर, एक स्पाई कैमरा, एक हॉट स्पॉट एक माईक्रो चिप, एक लैपटॉप, 4 काले रंग के मास्क, एक कैप, 2 पासपोर्ट व आई.डी., 4 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए। इन विदेशी ठगों से पूछताछ में पुलिस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे केवल टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलते थे। सख्ती करने पर 'आई डोंट नों आई डोंट नो' कहकर चुप हो जाते थें।

पुलिस की पूछताछ में जो कहानी उभर कर सामने आई, वह इस प्रकार है-

रोमानिया के रहने वाले काटनेस्कू, डुयिका बोगडन निकोलेई और सियोबानू अलग-अलग समय पर दिल्ली आए थे। सबसे पहले डुयिका बोगडन निकोलेई सितंबर में दिल्ली आया। इसके बाद काटनेस्कू, दिसंबर में और बाद में सियोबानू दिल्ली पहुंचा। इन्होंने दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में 7 हजार रुपये प्रतिमाह के किराए पर एक फ़्लैट लिया। दिल्ली में इनके साथ एक महिला मित्र भी थी। दिल्ली में इन्होंने तुर्की के बदमाशों से स्किमिंग डिवाइस खरीदी थी। दिल्ली से ये लोग कई शहरों में वारदात करने गए। बीच में डुयिका बोगडन निकोलेई करीब एक महीने तक मुंबई और 3 सप्ताह तक आगरा में ठहरा। तीनों साथी दिल्ली में कुछ दिन रुके। फिर महिला मित्र को छोड़कर ये जयपुर आ गए। जयपुर में त्रिवेणीनगर में इन्होंने इंटरनेट पर बुकिंग करा कर 22 हजार रुपये महीने के किराए पर एक अपार्टमेंट में फ़्लैट लिया। मकान मालिक ने सीआईडी के लिए सी फ़ार्म पर इसकी ऑनलाइन जानकारी दी थी। जयपुर में घूमने के लिए इन्होंने एम.आई. रोड़ से 300 रुपये प्रतिदिन किराए पर 2 एक्टिवा स्कूटी लीं।

जयपुर में घूमकर इन्होंने ए.टी.एम. बूथों को चिन्हित किया। चिन्हित किए गए ए.टी.एम. बूथों पर जा कर इन्होंने स्किमर और कैमरे लगा दिए। ए.टी.एम. मशीन पर जहां कार्ड स्वाइप किया जाता है, वहां इन्होंने एक चिप लगाई और जहां पर पिन नंबर लिया जाता है, उस जगह के ऊपर माइक्रो कैमरे फ़िट किए। इन बदमाशें ने ए.टी.एम. बूथ पर स्किमर व कैमरे लगाते समय अपने चेहरों पर हेलमेट लगा रखे थे। इससे इनके चेहरे वीडियो फुटेज में नज़र नहीं आए।

जब कोई उपभोक्ता ए.टी.एम. बूथ में ए.टी.एम. कार्ड को स्वाइप करता तो चिप उसे पढ़ लेती थी और उस कार्ड की सारी जानकारी चिप में चली जाती थी। जब रुपये निकालने के लिए पिन नंबर डाला जाता था तो पासवर्ड वाली जगह के ऊपर लगे माइक्रो कैमरे से ठगों को उस ए.टी.एम. कार्ड का पिन नंबर पता चल जाता था। बाद में वे ए.टी.एम. कार्ड का क्लोन बनाकर दूसरी जगह के किसी ए.टी.एम. से रकम निकाल लेते थे। इन ठगों ने फरवरी के पहले सप्ताह में जयपुर में महेशनगर, जवाहर सर्किल, बजाजनगर और जयातिनगर में 8 ए.टी.एम. बूथों पर स्किमर और माइक्रो कैमरे लगाए थे। 20 फरवरी के आस-पास ये लोग जयपुर में ए.टी.एम. बूथों पर लगाए स्किमर व माइक्रो कैमरे निकाल कर दिल्ली चले गए।

दिल्ली में इन्होंने स्किमर व माइक्रो कैमरे से डाटा निकाल कर ए.टी.एम. कार्ड की क्लोनिंग की। इसके बाद विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग बैंकों के ए.टी.एम. से उन फ़र्ज़ी ए.टी.एम. कार्ड के जरिए लोगों के बैंक खातों से रकम निकाल ली। इन साइबर

ठगों ने पूछताछ में बताया कि वे 12 मार्च को रोमानिया जाने वाले थे। इससे पहले इन्होने बैंक खातों के फ़र्ज़ीवाड़े से निकाली गई 50 लाख रुपये से ज़्यादा की रकम को बिटकौइन में बदलना था, ताकि दिल्ली एयरपोर्ट पर इतनी बड़ी रकम के साथ न पकड़े जाएँ। इन्होंने यूरोप समेत 6 देशों में कार्ड क्लोनिंग कर लोगों के बैंक खातों से रकम निकालने की बात बताई। भारत में इंन्होंने जयपुर के अलावा आगरा व मुंबई में वारदात करने की बात भी कही है। पुलिस इन मामलों की पुष्टि करने में जुटी है। गिरफ़्तार सियोबानू के ख़िलाफ़ रोमानिया में हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जयपुर पुलिस ने रोमानिया के दूतावास को ये सारी जानकारियां देकर तीनो आरोपियों का आपराधिक ब्यौरा भी मंगाया है।

गिरफ़्तारी के बाद रिमांड अवधि के दौरान इन तीनों विदेशी साइबर ठगों से जयपुर के अशोकनगर में पूछताछ की जा रही थी। इस बीच एक दिन आरोपी डुयिका बोगडन निकोलेई ने पुलिस की मौजूदगी में थाने से भागने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया। इस संबंध में अशोकनगर थाने के रोज़नामचे में रपट लिखी गई। इन ठगों से बरामद 53 लाख रुपये में से करीब 28 लाख रुपये की ठगी के मामले जयपुर के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। जयपुर पुलिस ने आगरा व मुंबई पुलिस से इस तरह की ठगी के मामलों की जानकारी मांगी थी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। अगर जल्दी ही किसी राज्य की पुलिस ने दावा नहीं किया तो बाकी के 25 लाख रुपये की राशि अदालत से आदेश लेकर सरकारी ख़ज़ाने में जमा कराई जाएगी।

हालांकि जयपुर पुलिस ने साइबर ठगों को गिरफ़्तार करने में सफलता हासिल कर ली, लेकिन देशभर में ऐसे पचासों गिरोह सक्रिय हैं, जो रोज़ाना किसी-न-किसी तरीके से लोगों के बैंक खातों से पैसे निकाल रहे हैं।

मामला - अध्ययन 4

उत्तराखंड पुलिस द्वारा देश के सबसे बड़े ए.टी.एम. क्लोनिंग का खुलासा - एक केस अध्ययन

उत्तराखंड राज्य में साइबर अपराध से संबंधित ए.टी.एम. क्लोनिंग का बहुत बड़ा प्रकरण माह जुलाई, 2017 को राज्य की राजधानी देहरादून में हुआ, जब देहरादून के साइबर थाना, थाना नेहरू कॉलोनी, थाना पटेलनगर, थाना रायपुर एवं थाना नगर कोतवाली में पीड़ितों द्वारा शिकायत दी गई कि उनका ए.टी.एम. कार्ड उनके पास होने एवं किसी को भी ए.टी.एम. से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी न दिए जाने के बाद भी अज्ञात द्वारा उनके खाते से धनराशि निकाली गई है अथवा लगातार निकाली जा रही है। पुलिस द्वारा पीड़ितों की तहरीर के आधार पर संबंधित थानों में अभियोग पंजीकृत किए गए। लगभग 3-4 दिनों के अन्तराल में ही अलग-अलग थानों में कुल 97 अभियोग पंजीकृत कराए जा चुके थे। इन अभियोगों में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पीड़ितों की लगभग 36 लाख रुपये की धनराशि अवैध रूप से निकाली जा चुकी थी। उक्त घटना भारत की सबसे बड़ी साइबर घटना के रूप में प्रकाश में आई, जिसमें एक ही मामले में सबसे अधिक अभियोग पंजीकृत हुए।

साइबर अपराध से संबंधित इतनी बड़ी घटना को एस.टी.एफ. द्वारा एक चुनौती के रूप में लेते हुए उक्त अभियोग के खुलासे

हेतु फ़ील्ड और तकनीकी कार्य करने हेतु विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा सबसे पहले पीड़ितों एवं बैंक से संपर्क कर उनके खातों के विवरण का अवलोकन किया गया और यह पता लगाया गया कि पीड़ितों की धनराशि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कहां से आहरित की गई है व पीड़ितों द्वारा अंतिम बार किस ए.टी.एम. का उपयोग अपनी धनराशि निकालने में किया गया था। अवलोकन करने पर पाया गया कि पीड़ितों की धनराशि दिल्ली व राजस्थान से निकाली जा रही थी। दूसरी तरफ यह भी ज्ञात हुआ कि थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के मात्र दो ए.टी.एम. ही ऐसे थे, जहां से सभी पीड़ितों द्वारा अंतिम बार निकासी की गई थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अभियुक्तों द्वारा उक्त घटना को ए.टी.एम. क्लोनिंग के माध्यम से अंजाम दिया गया था।

उक्त घटना के अनावरण हेतु एस.टी.एफ. ने जनपद पुलिस के सहयोग से तत्काल कार्रवाई करते हुए टीमों का गठन किया। एक टीम को साक्ष्य जुटाने व दबिश हेतु दिल्ली व राजस्थान भेजा गया। अन्य टीमों द्वारा देहरादून में संदिग्ध ए.टी.एम. की जाँच–पड़ताल प्रारम्भ की। जाँच के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्तो द्वारा ए.टी.एम. में स्कीमर डिवाइस लगाई गई थी तथा पीड़ितो के पासवर्ड जानने के लिए अलग से कैमरा फ़िट किया गया था। कुछ ए.टी.एम. ऐसे पाए गए जिनके की –बोर्ड खराब थे। जाँच में यह पता चला कि अभियुक्तों द्वारा की–बोर्ड में ग्लू लगाकर जान–बूझकर उनको खराब किया गया था, ताकि अधिक से अधिक जनता स्कीमर डिवाइस लगाए गए ए.टी.एम. में धनराशि निकालने आए और उनका डाटा कॉपी किया जा सके।

एस.टी.एफ. व जनपद पुलिस द्वारा अपनी अग्रिम कार्रवाई में बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए संदिग्ध ए.टी.एम. की सी.सी. टी.वी. फुटेज प्राप्त की गई तथा उनको चैक किया। दूसरी ओर

ए.टी.एम. व आस-पास के क्षेत्रों में सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज प्राप्त कर उनका गहनता से विश्लेषण किया गया। सी.सी.टी.वी. फुटेज में कुछ संदिग्ध व्यक्ति स्कीमर डिवाइस लगाते हुए तथा बैंकों के कैमरों को खराब करते हुए दिखाई दिए। साथ ही, बारीकी से अवलोकन करने पर पाया गया कि अभियुक्तों द्वारा दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 08.07.2017 तक दो स्थानों पर सुबह-सुबह स्कीमर व कैमरे लगाये गए और दो दिन बाद स्कीमर व कैमरों को निकाला गया। उक्त प्रकरण में जिससे यह संदेह हुआ कि उक्त अभियुक्त ए.टी.एम. के आस-पास के होटल व धर्मशालाओं में भी रूके होंगे। एस.टी.एफ. व एल.आई.यू. द्वारा होटल व धर्मशालाओं में उक्त अवधि के दौरान ठहरे यात्रियों द्वारा जमा कराई गई आई.डी. व संबंधित सी.सी.टी.वी फुटेज प्राप्त किए और इस प्रकार के अपराध करने वाले गैंग के सदस्यों की पहचान के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश आदि प्रान्तों में भेजा गया। उक्त प्रान्तों में भेजी गई सी.सी.टी.वी. फुटेज व फ़ोटों के आधार पर हरियाणा राज्य से लाभप्रद सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा हरियाणा के रोहतक एवं झज्जर जिले में ए.टी.एम. फ्रॉड संबंधी कार्य कारित किया जाता है। उक्त सूचना की पुष्टि हेतु एक टीम को हरियाणा के रोहतक एवं झज्जर जिले में भेजा गया। टीम द्वारा आस-पास के क्षेत्र/गांवों को चिन्हित करते हुए सुरागरसी-पत्तारसी की गई। जाँच के दौरान एक महिला एवं अन्य अभियुक्तों के नाम व पत्ते प्रकाश में आए। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एस.टी.एफ. द्वारा अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु टीम को तत्काल झज्जर, रोहतक (हरियाणा) भेजा गया तथा एस.टी.एफ. टीम द्वारा सर्विलांस मोबाइल विश्लेषण के आधार पर सर्वप्रथम गिरोह में शामिल एक महिला को साक्ष्यों सहित गिरफ़्तार किया गया, जिसके पास से 17 लाख रुपये नकद व अभियुक्तो द्वारा प्रयोग किए गए क्लोनिंग कार्ड बरामद किए गए। गिरफ़्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में अपने साथी अभियुक्तों के संबंध में

महत्त्वपूर्ण जानकारी व साक्ष्य उपलब्ध कराए। उक्त अभियुक्तों की गिरफ़्तारी से उक्त प्रकरण का खुलासा हुआ तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ़्तारी का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।

एस.टी.एफ. द्वारा अन्य अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एवं महाराष्ट्र आदि राज्यों में सुरागरसी–पत्तारसी की गई तथा साथ ही तकनीकी विश्लेषण भी किया जा रहा था, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि उक्त अपराधी कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में किसी एक ही स्थान पर छिपे बैठे हैं। एस.टी.एफ. द्वारा विलम्ब न करते हुए पहले एक टीम को उक्त सूचना की पुष्टि हेतु तत्काल कोल्हापुर भेजा गया। टीम द्वारा संबंधित रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर जानकारी प्राप्त की गई तथा संबंधित राज्यों में पुलिस तंत्र को सक्रिय किया गया। सटीक सूचना प्राप्त होने पर एस.टी.एफ. की दूसरी टीम ने कोल्हापुर जाकर घटना में शामिल मुख्य व अन्य अभियुक्तों को एक फ़्लैट से गिरफ़्तार किया गया, जिन्हे ट्रांजिट रिमांड में लेकर उत्तराखंड लाया गया।

पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि उक्त अपराध कारित करने के पश्चात् वे हवाई मार्ग से फ़रार हो गए थे और दिल्ली व गोवा आदि स्थानों पर रहे। एस.टी.एफ. द्वारा हवाई यात्रा की जानकारी प्राप्त करने पर उनके पहचान पत्रों से उनके द्वारा हवाई यात्रा करने की जानकारी मिली।

एस.टी.एफ./साइबर थाना द्वारा उक्त अपराध को चुनौती के रूप में लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई। टीम के अधिकारियों द्वारा अपने कुशल अनुभवों एवं अत्याधुनिक तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए मात्र एक माह में गिरोह के समस्त अभियुक्तों को धोखाधड़ी की संपूर्ण धनराशि के साथ गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया।

मामला अध्ययन - 5

ए.टी.एम. कार्ड पर हैकर्स की नज़र, सिर्फ 4,500 रुपये की मशीन से हो रहा करोड़ों का फ्रॉड- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मामला अध्ययन

देश में ए.टी.एम. फ्रॉड तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में आपकी ज़रा सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। यहां दी गई कुछ सावधानियों से आप ए.टी.एम. फ्रॉड से बच सकते हैं।

नई दिल्ली जागरण स्पेशल :- दिल्ली एन.सी.आर. में ए.टी.एम. फ्रॉड जोरों पर है। हैकर कभी ए.टी.एम. बदलकर, कभी ए.टी.एम. क्लोन कर, कभी ए.टी.एम. मशीन हैंग तो कभी सिम कार्ड स्वैप कर धड़ल्ले से लोगों के बैंक खातों में सेंध लगा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के थानों में प्रतिदिन औसतन 100 से ज़्यादा ए.टी.एम. फ्रॉड की शिकायतें आती हैं। एक माह में दिल्ली के शकरपुर थाने में ही ए.टी.एम. फ्रॉड के 300 मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद ए.टी.एम. फ्रॉड के मामलों में लगाम लगने की जगह इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। ए.टी.एम. फ्रॉड के बढ़ते मामलों का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि रविवार को पूर्वी दिल्ली स्थित शकरपुर थाने में देर रात तक ए.टी.एम. फ्रॉड की शिकायत करने वालों की लम्बी लाइन लगी रही। बताया जा रहा है कि सिर्फ 4,500 रुपये की स्कीमर मशीन के ज़रिये हैकर ए.टी.एम. क्लोन करके करोड़ों के वारे-न्यारे कर लेते हैं।

आधी रात को होता है सबसे ज़्यादा फ्रॉड :- ए.टी.एम. क्लोन कर खाते से रुपये निकालने या ट्रांसफर करने की सबसे ज़्यादा घटनाएं आधी रात को होती हैं। हैकर्स रात 11:45 बजे से 12:15 के बीच सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। दरअसल हर ए.टी.एम. की प्रतिदिन की लिमिट निर्धारित होती है। अमूमन

ए.टी.एम. की एक दिन की लिमिट 20 से 50 हजार रुपये होती है। ऐसे में हैकर्स ज़्यादा रुपये निकालने के लिए एक ट्रांजैक्शन रात 12 बजे से पहले और दूसरा ट्रांजैक्शन रात 12 बजे के बाद करते है। ऐसे में उन्हे बहुत कम समय में लेन-देन के लिए दो दिन की समय सीमा मिल जाती है। ज़्यादातर उपभोक्ता उस समय सो रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें ट्रांजैक्शन का पता नहीं चलता। सुबह उठने पर उपभोक्ता को फ्रॉड का पता लगता है।

एफआइआर की टेंशन के बाद भी रुपये मिलने की गारंटी नहीं ए.टी.एम. से फ़र्ज़ी ट्रांजैक्शन होना आपकी समस्याओं की शुरुआत है। फ्रॉड का पता चलते ही पीड़ित पुलिस के पास एफआइआर कराने जाता है। आइटी एक्ट का मामला होने की वजह से पुलिस अमूमन इसकी एफआइआर करने से बचती है। आइटी एक्ट के मामलों की जांच इंस्पेक्टर या उससे सीनियर रैंक के अधिकारी ही कर सकते हैं। ए.टी.एम. फ्रॉड समेत आइटी एक्ट की जानकारी रखने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या न के बराबर है, और शिकायतों की भरमार है। बावजूद अगर आपने किसी तरह एफआइआर दर्ज करा ली तो भी रुपये मिलने या आरोपी के पकड़े जाने की कोई गारंटी नहीं है। इस तरह की 90 फीसदी एफआइआर में पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है।

दो थानों के चक्कर काटने पर भी नहीं हुई एफआइआरः- लक्ष्मीनगर में रहने वाले गिरीश के खाते से रविवार को 15 हजार रुपये निकल गए। ये ट्रांजैक्शन मंडावली के देना बैंक ए.टी.एम. से हुई थी। वह शकरपुर थाने में एफआइआर कराने पहुंचे तो वहां से उन्हें मंडावली थाने भेज दिया गया। मंडावली थाने ने भी एफआइआर करने से इंकार कर दिया। वह दोबारा शकरपुर थाने आए। बावजूद इसके, उनकी एफआइआर नहीं हुई।

बैंक की लापरवाही ज़िम्मेदार, इसके बावजूद नहीं करते सहयोग ए.टी.एम. फ्रॉड या बैंक खाते से सेंध लगने के ज़्यादातर मामलों में बैंको की लापरवाही भी जिम्मेदार होती है। बैंक अपने ए.टी.एम. बूथ पर गार्ड तैनात नहीं करते। ऐसे में हैकर्स को मशीन में कार्ड क्लोन करने के लिए स्कीमर लगाने या बूथ में घुसकर मदद के नाम पर किसी का कार्ड बदलने का भरपूर मौका मिलता है। इस तरह की ठगी का शिकार होने पर अगर पीड़ित बैंक से सम्पर्क करें तो भी उन्हें गुमराह किया जाता है। बैंक एफ.आइ.आर. कराने को कहता है, क्योंकि उसे भी पता है कि आसानी से रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। आपने एफआइआर करा ली तो भी बैंक ये कहकर टाल देते हैं कि उनके पास पुलिस से कोई सूचना नहीं आई है जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर बैंक को सूचना दे या उन्हें अपनी जांच रिपोर्ट दे। ऐसे में पीड़ित बैंक, पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटता रह जाता है।

ए.टी.एम. क्लोन करने वाले 3 गुरुग्राम में गिरफ़्तार ए.टी.एम. कार्ड क्लोन कर खाते से रुपये निकालने वाले एक गिरोह के तीन बदमाशों को गुरुग्राम की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शनिवार को गिरफ़्तार किया है। इस गिरोह में अभी तीन–चार और बदमाश शामिल है, जिनकी गिरफ़्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे है। गिरफ़्तार बदमाशों में एक सेक्टर –4 रेलवे रोड स्थित एक रेस्टोंरेंट में काम करता था। ये रेस्टोंरेंट शिवपुरी निवासी पवन आहूजा का हैं। शुक्रवार को पवन के खाते से 47 हजार रुपये निकल गए। उन्होने साइबर सेल को शिकायत देते हुए बताया कि कुछ दिनों पहले उनके एक ग्राहक के खाते से भी 15 हजार रुपये निकल गए थे। जांच के बाद साइबर सेल ने रेस्टोरेंट में काम करने वाले नारायणपुर अलवर, राजस्थान निवासी आकाश और उसके दो साथियों को गिरफ़्तार कर लिया। आकाश ने ही अपने मालिक और

उनके ग्राहक का कार्ड क्लोन कर उनके खाते से रुपये निकाले थे।

एच.डी.एफ़.सी. के ए.टी.एम. बूथ से 100 ग्राहकों का डाटा हुआ था चोरी :- करीब एक माह पहले गुरुग्राम स्थित एच.डी.एफ़.सी. बैंक के ए.टी.एम. से 100 से ज़्यादा ग्राहकों के ए.टी.एम. कार्ड डाटा चोरी कर उनके बैंक खाते से कई बार में 15 लाख रुपये निकालने का मामला सामने आया था। इन सभी पीड़ितों ने मार्च व अप्रैल महीने में गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित एच.डी.एफ़.सी. एटीएम से रुपये निकाले थे। यहीं से ए.टी.एम. मशीन में स्कीमर लगा 14 दिनों में ग्राहकों के कार्ड का गोपनीय डाटा चोरी हुआ था।

स्कीमर से चोरी होता है कार्ड का डाटा साइबर क्राइम विशेषज्ञ के अनुसार, ए.टी.एम. कार्ड से डाटा चोरी करने के लिए एक छोटी-सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे 'स्कीमर' कहते है। हैकर स्कीमर को मशीन के कार्ड रीडर स्लॉट के उपर लगा देते हैं। मशीन में कार्ड इनसर्ट करते ही डाटा स्कीमर से सुरक्षित हो जाता है। यह स्कीमर आकार, डिजाइन व रंग में बिल्कुल मशीन के कार्ड रीडर स्लॉट से मिलता-जुलता होता हैं। इसलिए सामान्य तौर पर यूजर कार्ड स्लॉट पर लगे स्कीमर की पहचान नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल पम्प, रेस्टोरेंट, होटल, दुकान-जहां कहीं भी क्रेडिट व डेबिट कार्ड का इस्तेमाल होता है, वहां स्कीमर के ज़रिये गोपनीय डाटा चोरी कर आपके खाते में सेंध लगाई जा सकती है। ये डिवाइस इतना छोटा होता है कि हैकर इसे जेब में रखकर आराम से घूम सकता है। इसलिए कार्ड से भुगतान करते समय काफी अलर्ट रहें।

सी.सी.टी.वी. से चोरी करते हैं पिन स्कीमर से डाटा चोरी करने के साथ ही हैकर को उपभोक्ता के डेबिट कार्ड या क्रेडिट

कार्ड का चार अंकों का पिन नम्बर भी पता होना चाहिए। तभी वह कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसके लिए हैकर बूथ के अंदर एक गुप्त कैमरा लगाते है जो मशीन के कीपैड पर फोकस करता है। यूजर द्वारा की–पैड पर पिन डालते ही वह गुप्त कैमरे में रिकार्ड हो जाता है।

प्रतिबंध के बावजूद बिकता है स्कीमर कार्ड क्लोन के लिए इस्तेमाल होने वाला स्कीमर प्रतिबंधित है। बावजूद इसके, यह दिल्ली एन.सी.आर. के कुछ प्रमुख आई.टी. मार्केट में चोरी छिपे बिकता है। इसके अलावा बहुत सी ई–कॉमर्स वेबसाइट्स पर ऑनलाइन भी स्कीमर की बिक्री हो रही है। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है।

ऐसे तैयार होता है क्लोन कार्ड स्कीमर से डाटा चोरी करने के बाद हैकर्स अपने लैपटॉप अथवा कंम्प्यूटर से डिवाइस को कनेक्ट कर डाटा सेव कर लेते हैं। इसके बाद अगर हैकर को कार्ड स्वैप कर शॉपिंग या कोई और खर्च करना है तो वह मार्केट से डेबिट कार्ड के आकार के ही खाली प्लास्टिक कार्ड खरीदेगा। इसके बाद उस कार्ड पर एक विशेष मशीन के जरिए चोरी किए गए डाटा की मैग्नेटिक स्ट्रीप बनाकर पेस्ट कर देगा। अगर हैकर को ऑनलाइन शॉपिंग या ट्रांजैक्शन करना है तो उसे कार्ड क्लोन करने की भी ज़रूरत नहीं है। हैकर चोरी किए गए डाटा व पिन के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है।

सावधानी ही बचाव है

1. ए.टी.एम. मशीन में कार्ड इनसर्ट करने से पहले उसके होल्डर को हिलाकर देख लें कि अगर स्कीमर लगा होगा तो वह निकल आएगा।

2. ए.टी.एम. मशीन का इस्तेमाल करने से पहले कैंसल बटन को दबाकर देख ले, वह दब रहा है या नहीं।

3. ए.टी.एम. से रुपये निकालते वक्त अगर कोई आपके पीछे आकर खड़ा हो जाए तो उसे बाहर जाने को बोलें।

4. ए.टी.एम. से अगर रुपये न निकल रहे हों तो किसी अनजान से मदद न लें। ए.टी.एम. पर तैनात गार्ड की मदद ली जा सकती है।

5. बिना गार्ड वाले या सुनसान जगहों पर मौजूद ए.टी.एम. का इस्तेमाल करने से बचें।

6. ए.टी.एम. से रुपये निकालते वक़्त या कार्ड से ख़रीददारी करते वक़्त अपना पासवर्ड छिपाकर डालें।

7. पेट्रोल पम्प, होटल, दुकान, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर भी कार्ड अपने सामने ही स्वैप कराएं।

8. अगर आपका ए.टी.एम. या क्रेडिट कार्ड काले रंग की मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला है तो उसे बैंक से बदलवाकर चिप वाले नए कार्ड ले।

9. महीने में कम-से-कम एक बार अपनी ऑनलाइन बैंकिग, डेबिट व क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड या पिन जरूर बदले।

10. अपने इंटरनेट बैंकिग, डैबिट-क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड, ओ.टी.पी. या पिन किसी को न बताएं।

11. फोन पर खाते या कार्ड से संबंधित कोई बैंक जानकारी कभी नहीं मांगता है।

12. भरोसेमंद वेबसाइट्स पर ऑनलाइन भुगतान करें। जिन वेबसाइट्स के शुरू में http लिखा होता है वो अमूमन सुरक्षित होती हैं।

13. डैबिट कार्ड के साथ उसका पिन नम्बर लिखकर न रखे।

14. अगर ज़रूरत न हो तो कार्ड में इंटरनेशनल भुगतान की सुविधा एक्टिवेट न कराएं।

15. कार्ड और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की प्रतिदिन की लिमिट उतनी ही रखें जितनी ज़रूरत हो।

16. कार्ड या इंटरनेट बैंकिग हैक होने पर तत्काल उसे ब्लॉक कराएं और जितनी जल्दी हो सके, साइबर सेल व बैंक को सूचित करें।

17. फ़र्ज़ी ऑनलाइन भुगतान की तुरंत शिकायत करने पर रकम वापस आने की संभावना 80 फीसदी तक होती है।

मामला अध्ययन - 6

जुहू पुलिस द्वारा 5 नाइजीरियन की गिरफ़्तारी

मुम्बई : जुहू पुलिस ने अंतरराज्यीय जॉब रेकैट में शामिल 5 नाइजीरियन को गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार किए गए लोगों की पहचान विन्सेंट मेजेक (26), ओगोबोल टोनो (25), कोवहनी ओकोसव (35), चार्ल्स नियोजो (21) एवं ऑडिरोम बाबाट्यूड (26) है। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति का नाम टेरी है, जो कि इस मामले में वांछित आरोपी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी भारत के बाहर होटल में रिक्तियों के बारे में लोगों को मेल भेजते थे। अगर किसी ने जवाब दिया तो वे मुम्बई में खातों में पैसे जमा

करने के लिए कहते थे। एक बार जब वे पैसे प्राप्त कर लेते तो वे फिर कभी भी पैसे जमा करने वाले से संपर्क नहीं करते। इस मामले में एक आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने केवल एक व्यक्ति से 1.2 लाख रुपये ही नहीं ठगे बल्कि मुम्बई के अलावा अन्य शहरों में भी धोखाधड़ी की। ओडिशा निवासी प्रभात सिंह द्वारा जुहू पुलिस में मामला दर्ज करवाने के बाद पूरा मामला प्रकाश में आया। उन्होंने यू.के. में नौकरी के लिए एक अज्ञात व्यक्ति को 1.2 लाख का भुगतान किया था। उसके बाद कभी संपर्क नहीं किया गया था। हमारी जाँच के दौरान हमने वह खाता संख्या ट्रैक की जहाँ धन जमा किया गया था। जूहू पुलिस थाने में एक वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर पी.डी. शिंदे ने बताया कि हमने ई–मेल आई.डी. एवं मोबाइल नम्बर ट्रैक किए, जिनसे मेल एवं संदेश भेजे गए थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची एवं वेब लिंक्स

- यादव रामलाल सिंह (2016) *आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था,* विजन बुक प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली, प्रथम संस्करण।
- श्रीवास्तव आर.एस. (1990) *विकासशील समाज में पुलिस की भूमिका* पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- ललितेश्वर (1994) *समग्र न्याय व्यवस्था में पुलिस का स्थान एवं भूमिका* पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण।
- नवल हरीश (1992) *मादक पदार्थ : पुलिस की भूमिका* पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरों गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- आदिल महेन्द्र सिंह (2005) *संगठित अपराध* पुलिस अनुसंधान

एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण।

- कटारिया राजपाल (2009) *भ्रष्टाचार निवारण विधि* ओरिएंट पब्लिशिंग कंपनी नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण।
- रतन लाल तथा धीरज लाल, (2015) *भारतीय दंड संहिता* लेक्सिस, नेक्सिस, गुड़गाँव, हरियाणा 34 वाँ संस्करण हिन्दी रूपांतरण।
- बजाज चमन लाल, गुप्ता कैलाश नाथ (2010) *क्रिमिनल माइनर एक्ट्स* सेंट्रल डॉमीनियन लॉ डिपो जयपुर।
- कपूर शत्रुजीत (आरक्षित द्वितीय संस्करण, 2012) *आर्थिक अपराधों का अन्वेषण,* राज्य अपराध शाखा हरियाणा।
- कुमार अमन एवं सिंह उदयभान (2018) *भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन* प्रभात पेपरबैक्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण।
- *पुलिस विज्ञान* जनवरी–मार्च 1987, अंक 18, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय नई दिल्ली।
- *पुलिस विज्ञान* अप्रैल–जून 1987, अंक 19, पुलिस *अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,* गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
- *सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल* जून 2013
- शर्मा अनुपम (2012) महिला पुलिस से अपेक्षाएं, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। प्रथम संस्करण।
- *राजस्थान पत्रिका,* बाड़मेर संस्करण 1 जुलाई 2018
- *दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे* जुलाई 2018

- *महत्त्वपूर्ण अपराधों का अन्वेषण* (1999) राजस्थान पुलिस अकादमी, प्रथम संस्करण।
- मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2015–2016।
- *राजस्थान पत्रिका* बाड़मेर, बुधवार, 15 अगस्त, 2018 पृ.स. 08।
- *दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे* सितम्बर 2018
- *मनोहर कहानियाँ* मई, 2018
- *मनोहर कहानियाँ* अक्टूबर, 2018
- प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 प्रश्नोत्तरी
- *इंडिया टुडे* 21 मार्च, 2018 सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मार्च, 2018
- मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2015–2016
- मुख्य अपराधों की विवेचना हेतु हस्त–पुस्तिका ओ.पी. सिंह पुलिस महानिदेशक,उ.प्र.।
- *जागरण* हिन्दी न्यूज पेपर देहरादून संस्करण, दिनांक 12 सितम्बर 2017
- *पंजाब केसरी,* फरीदाबाद संस्करण, दिनांक 31 जनवरी 2018
- *जागरण,* हिन्दी न्यूज पेपर मेरठ संस्करण दिनांक 28 फरवरी 2018
- *राजस्थान पत्रिका,* जयपुर संस्करण दिनांक 3 नवम्बर 2017
- *नवोदय टाइम्स,* नई दिल्ली संस्करण, दिनांक 7 फरवरी, 2018

- *वित्त मंत्रालय,* की काले धन पर रिपोर्ट (2011)
- *दिव्य हिमाचल,* दिल्ली संस्करण, दिनांक 14 मई 2018
- *जागरण* हिन्दी न्यूज पेपर दिल्ली संस्करण दिनांक 30 जून, 2018
- *यथावत* पत्रिका 2 सितम्बर 2015 *पुलिस सुधार की इच्छा शक्ति नहीं माननीय* पूर्व महानिदेशक पुलिस प्रकाश सिंह का आलेख
- *इंडिया टुडे* 21 मार्च, 2018
- *सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल* मार्च, 2018
- *योजना,* नवंबर 2016
- **गृह मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17**
- **गृह मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट 2017-18**
- **रिधिम अग्रवाल (आई.पी.एस.)** का **उत्तराखंड पुलिस पत्रिका** (वार्षिक अंक नवंबर, 2017) में प्रकाशित आलेख **'देश की सबसे बड़ी ए.टी.एम. क्लोनिंग का अनावरण'**
- 'पुलिस–जनता अन्तर्संबंध अपराध नियंत्रण, दायित्व निर्वहन, जन–सहयोग का रायपुर नगर के विशेष संदर्भ में एक सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययन' समाजशास्त्र विषय में पीएच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध–प्रबंध, शोधार्थी योगमाया, समाजशास्त्र अध्ययन शाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (Nx) 2012
- अपराध के नए आयाम तथा पुलिस की समस्याएँ (सुलतानपुर जनपद: उत्तर प्रदेश पुलिस: समाजशास्त्रीय अध्ययन) वीर बहादुरसिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की पी.एच.डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत शोधा–प्रबंधा जाह्नवी प्रसाद 1999

- Pratap Kumar, K.S. (June, 2005), A Systamatic Study On Criminal Justice Administration In India A Thesis Submitted To The Bundelkhand University, Jhasi For The Award Of Doctor Of Philosophy In Forensic Science (Faculty Of Sciences)
- Godara,Samiksha,(2013), "Prevention and Control of Cyber Crimes in India: Problems, Issues and Strategies", A Thesis submitted to Maharishi Dayanand University.
- RITU (2017) CYBER CRIMES: NATIONAL AND INTERNATIONAL PERSPECTIVE A THESIS SUBMITTED TO DEPARTMENT OF LAW, KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUKSHETRA FOR THE AWARD OF THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN LAW
- ANUPAMA JACOB, Economic Theories of Crime and Delinquency, Journal of Human Behavior in the Social Environment, 21:270–283, 2011 Taylor & Francis Group, LLC
- Economic Crime Law and Legal Practice in the context of Nepal Inaugural dissertation for getting a doctoral degree (doctor juris) from the Faculty of Economics and Business Administration of Chemnitz University of Technology, Germany Presented by Dharma Raj Bhusal Kathmandu (Nepal) 2009
- Dr. Justice V.S. MalimathCommittee Report (March 2003) on Reforms of Criminal Justice System Government of India, Ministry of Home Affairs Retrieved From https://mha.gov.in/sites/default/files/criminal_justice_system.pdf
- REPORT OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY department of treasury ANNUAL REPORT 2017 Retrieved from https://www.occ.gov/annual-report/download-the-full-report/2017-annual-report.pdf

- CONTROLLING CROSS-BORDER ECONOMIC CRIME Dr Russell G Smith Australian Institute of Criminology Paper presented at the 4th National Outlook Symposium on Crime in Australia, New Crimes or New Responses convened by the Australian Institute of Criminology and held in Canberra 21-22 June 2001 retrieved fromhttp://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.502.5799&rep=rep1&type=pdf
- Economic Regulation In the United States: Current Mechanisms for Enforcement Dr. Nandini Ramanujam Assisted by: Mara Verna and Julia Betts McGill Faculty of Law Montreal, Quebec July 2011 retrieved fromhttps://www.mcgill.ca/roled/files/roled/roled_economic_regulation_en.pdf
- Money laundering in usa RETRIEVED FROM
- https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2000/959.htm
- PwC's Global Economic Crime Survey 2018: UK findings RETRIEVED FROM https://www.pwc.co.uk/forensic-services/assets/pwc-global-economic-crime-survey-2018-uk.pdf
- Speech Fighting economic crime in the modern world Solicitor General makes the opening speech of the 31st Cambridge International Symposium on Economic Crime Published 3 September 2013
- From:Attorney General's Office and The Rt Hon Sir Oliver Heald QC MP retrieved from https://www.gov.uk/government/speeches/fighting-economic-crime-in-the-modern-world
- https://www.justice.gov/usao-ndga/criminal-division
- https://oig.justice.gov/reports/2017/a1807.pdf
- Global Economic Crime Survey 2016: US Results retrieved from

- https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/assets/gecs-us-report-2016.pdf
- Global Economic Crime Survey 2016 / Australian Report retrieved from https://www.pwc.com.au/consulting/assets/global-economic-crime/global-economic-crime-survey-2016-australian-report.pdf
- https://www.businessinsider.com.au/australia-is-emerging-as-a-global-cybercrime-and-money-laundering-hot-spot-2016-5
- https://www.cdpp.gov.au/about-us/2016-17-annual-report#chapter-1
- SERIOUS FINANCIAL CRIME IN AUSTRALIA 2017 I AUSTRALIAN CRIMINAL INTELLIGENCE COMMISSION retrieved from https://acic.govcms.gov.au/sites/g/files/net3726/f/sfca_2017.pdf?v=1513829536
- https://www.acic.gov.au/
- Economic Crime Annual Review 2016/17 city of London police retrieved from https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/fraud-and-economic-crime/Pages/Annual-Review.aspx
- City of London Police Policing Plan 2017 – 2020 retrieved from https://www.cityoflondon.police.uk/about-us/your-right-to-information/Documents/policing-plan-2017-2020.pdf
- http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/204493/4/09_chapter%203.pdf.pdf
- HOUSE OF COMMONS LIABRARY BRIEFING PAPER NUMBER 7359, 22 MARCH 2017 Corporate Economic crime : Bribery and Corruption By Timothy Edmonds retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/CBP-7359%20(2).pdf
- National Money Laundering Risk

Assessment 2015 Department of TreasuryWashington,D.C.RetrievedFromfile:///C:/Users/User/Downloads/National%20Money%20Laundering%20Risk%20Assessment%20%E2%80%93%2006-12-2015.pdf

- A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act By the Criminal Division of the U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S. Securities andExchangeCommission.retrievedfromhttp://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guidance/guide.pdf
- Australian Federal Police annual report for the period 1 July 2016 to 30June2017Retrievedfromhttps://www.afp.gov.au/sites/default/files/PDF/Reports/amended14122017-afp-annual-report-2016-2017.pdf
- https://home.treasury.gov/
- U.S. Securities and Exchange Commission STRATEGIC PLAN FISCAL YEARS 2018–2022 DRAFT FOR COMMENT Retrieved from https://www.sec.gov/files/sec-office-investor-advocate-report-on-objectives-fy2019_0.pdf
- Serious Economic Crime: a boardroom guide to prevention and compliance, 2011, Published in associationwith the Serious Fraud Office retrieved fromhttps://www.pdpjournals.com/docs/87984.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2017 (ISBN: 978-92-1-148291-1, eISBN: 978-92-1-060623-3, United Nations publication, Sales No. E.17.XI.6)Retrievedfrom https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf
- The Growing Global Threat of Economic and Cyber Crime, December 2000 National Fraud Center, Inc. – a LEXIS-NEXIS Company retrievedfromhttps://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/media/

global_threat_crime.pdf

- US law enforcement in the fight against organised crime Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130506/LDM_BRI(2013)130506_REV2_EN.pdf
- https://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/Cybercrime
- https://www.itmr.ac.in//wpcontent/uploads/2016/05/economic_offences.pdf
- Crime and Policing By Mark H. Moore, Robert C. Trojanowicz, and George L. KellingA publication of the National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, and the Program in Criminal Justice Policy and Management, John F. Kennedy School of Government, Harvard University
- https://www.interpol.int/News-and-media/Publications2/Fact-sheets2
- Effective Policing and Crime Prevention A Problem-Oriented Guide for Mayors, City Managers, and County Executives Joel B. Plant and Michael S. centre for problem oriented policing. retrieved Scotthttp://www.popcenter.org/library/reading/pdfs/mayorsguide.pdf
- Review Paper MONEY LAUNDERING AS A FORM OF ECONOMIC CRIME IN THE ROLE OF FINANCING TERRORISM FACTA UNIVERSITATIS Series: Law and Politics Vol. 14, No 4, 2016, pp. 549 - 560 DOI: 10.22190/FULP1604549M retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/2423-16313-1-PB.pdf
- ECONOMIC CRIME IN MALAYSIA : AN ANALYSIS INTO THE CHANGING ROLE OF THE POLICE.A thesis submitted to the University of Stirling for a degree of Doctoral of Philosophy by YIJSOFF BIN NOOK The School of Management, University of Stirling. July 1993

Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/Nook-thesis%20(1).pdf

- BUILDING SMART POLICE IN INDIA: BACKGROUND INTO THE NEEDED POLICE FORCE REFORMS By: Suparna Jain/Aparajita Gupta Retrieved From http://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/Strengthening-Police-Force.pdf
- https://unacademy.com/lesson/police-reforms-in-india-part-2-in-hindi/U36LOFG4
- http://eow.mp.gov.in/upload/files/770761415567.pdf
- http://www.mppolice.gov.in/sites/default/files/documents/index.pdf
- http://www.cybercelldelhi.in/netbanking.html
- https://m.dailyhunt.in/news/india/hindi/newstrack+journalism+hindi-epaper-nwstkhin/duniya+ke+24+desho+me+hai+bharat+ke+121+aarthik+aparadhi-newsid-90277216
- https://m.dailyhunt.in/news/india/hindi/avn+post-epaper-avnpost/aarthik+aparadh+kar+bhag+jane+valo+ke+khilaph+modi+sarakar+ka+kada+kanun-newsid-82884578
- http://www.prsindia.org/uploads/media/Analytical%20Reports%20Hindi/Police%20Reforms%20in%20India%20Hindi.pdf
- http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/12194/17/17_chapter%2012.pdf
- http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/188293/1/01_title.pdf
- https://www.india.gov.in/hi/india-glance/profile
- https://www.lawctopus.com/academike/economic-scams-india/

- http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p228301/pdf/ch091.pdf
- http://lib.unipune.ac.in:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/5331/14_chapter%204.pdf?sequence=
- http://www.icsi.edu/Webmodules/Publications/Economic%20and%20Labour%20Laws.pdf
- http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/45012/12/12_chapter%207.pdf
- https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/fraud-and-economic-crime/Doc
- http://etheses.bham.ac.uk/584/
- https://is.muni.cz/th/380528/fss_m/Master_s_Thesis_-_Dijana_Dedic_-_F
- https://www.outlookindia.com/magazine/story/when-fraud-goes-online/298233
- http://ipu.ac.in/univsyllabus/syllabusmedical/syllmacrim270912.pdf
- http://www.pdpjournals.com/docs/87984.pdf
- https://dea.gov.in/hi/citizen-charter
- http://14.139.60.114:8080/jspui/bitstream/123456789/4251/1/30%20Socio-Economic%20Offences.pdf
- http://humanrightsinitiative.org/publications/police/common_standards_for_policing_in_east_africa.pdf
- http://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI-101-Hindi-2016.pdf
- file:///C:/Users/User/Downloads/Bethune2015%20(1).pdf
- http://opus.bath.ac.uk/31668/1/UnivBath_

PhD_2012_N_Kingston.pdf

- https://orca.cf.ac.uk/26844/1/Nicholas%20Lord_PhD%20Thesis_May%202012%20-%20N
- http://ficci.in/sector/24/add_Docs/Copyright-Enforcement-Police-Handbook.pdf
- https://www.google.co.in/search?source=hp&ei=baqfWv76KIfyvATHyZmAA
- https://researchrepository.standrews.ac.uk/bitstream/handle/10023/1320A
- http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/SelectedSocio-EconomicSt
- https://finmin.nic.in/sites/default/files/fslrc_report_vol1H.pdf
- https://mha.gov.in/hindi/sites/upload_files/mhahindi/files/AnnualReport_Hin
- http://sfio.nic.in/archives.aspx
- http://www.bjp.org/en/media-resources/press-releases/speech-sh-arun-jaitley-minister-at-the-annual-lecture-of-
- http://scci.csu.edu.au/salusjournal/wpcontent/uploads/sites/29/2013/03/Robinson_Salus_Jo
- https://www.humanrightsinitiative.org/publications/police/police_organisation
- https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/259394
- https://www.regjeringen.no/globalassets/upload
- http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.502.5799&rep=rep1&type=pdf
- http://www.uibm.gov.it/attachments/UNICRI.pdf
- http://gurgaon.haryanapolice.gov.in/writereaddata/Images/pdf/Investgation_of_Economics_GA.pdf

- http://www.researchjournal.in/download/current/Dec%202014/Hindi2.pf
- http://www.ijsrp.org/research-paper-1215/ijsrp-p4830.pdf
- http://lawcommissionofindia.nic.in/Hindi_Reports/H188.pdf
- http://lawcommissionofindia.nic.in/Hindi_Reports/H268.pdf
- Santhanam Committee Report, 1964
- httphttp://www.crimesymposium.org/PDFfiles/2016%20Programme.pdf
- s://www.weforum.org/agenda/2018/01/we-need-to-talk-about-financial-crime/
- http://www.mppolice.gov.in/sites/default/files/documents/index.pdf
- http://www.crim.cam.ac.uk/events/conferences/ebp/2012/
- https://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/Ekorådet/Econo
- Economic Crime Report Swedish National Economic Crimes Bureau Reference no. 900 2003/0426 ISSN: 1404-3521 Graphic production: Ord&Form AB, Uppsala Printers: Elanders Gotab, 2004 Translation: Stockholms Tolkförmedling AB Government Swedish Ministry of Justice 103 33 Stockhol Report no. 2004:1
- https://uppolice.gov.in/site/writereaddata/siteContent/DGP%20CIRCULAR
- http://rtinagpur.cag.gov.in/uploads/CaseStudies/CaseStudiesonCyberCrimesNOTSEN
- http://hindi.business-standard.com/storypage.php?autono=139383

- http://www.bprd.nic.in/
- https://mha.gov.in/
- https://www.finmin.nic.in/
- http://punjabkesari.com/country/delhi-n-c-r/finding-factor-on-economic-and-cy
- https://unmukth.wordpress.com/2013/08/11/cyber-law-crime/
- http://wccb.gov.in/WriteReadData/userfiles/file/Downloads/Investigation%20Manual
- Laws Relating To Cyber Crimes vle.du.ac.in/mod/book/print.php?id=9205...13342
- http://www.cdsco.nic.in/forms/contentpage1.aspx?lid=188
- https://m.jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-in-kidney-transplant-case-gang-chief-decided-work-for-every-person-16696748.html
- https://m.punjabkesari.in/article/gang-arrested-who-cheated-in-name-of-foreign-job/746654/amp
- https://www.prabhatkhabar.com/news/nalanda/story/amplite/1048835.html
- https://m.jagran.com/lite/uttar-pradesh/meerut-city-a-click-will-look-on-screen-offender-khaki-moving-towards-digital-india-17592516.html
- https://m.jagran.com/lite/uttar-pradesh/ghaziabad-investi-gation-17801769.html
- https://m.jagran.com/lite/bihar/patna-city-dgp-pk-thakur-says-biggest-challenge-for-police-is-to-tackle-cyber-crime-17384769.html
- https://m.khaskhabar.com/amp/news/crime-news-chargesheet-submitted-by-sog-in-the-most-well-

known-pincon-fraud-case-news-hindi-1-290469-KKN.html?PageSpeed=off

- https://m.patrika.com/amp-news/jaipur-news/pincon-company-chairman-arrested-by-rajasthan-police-in-fraud-case-1-1964710/
- https://www.amarujala.com/amp/uttarakhand/almora/international-gang-busted-with-cyber-crime
- https://www.prabhatkhabar.com/news/calcutta/story/amplite/1163368.htmlhttps://m.patrika.com/amp-news/indore-news/indore-police-make-big-fight-against-criminal-2863765/
- https://m.jagran.com/lite/bihar/rohtas-police-active-on-ecnomical-crime-17953106.html
- https://m.divyahimachal.com/article/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%9C%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%B6/1709822/amp
- https://www.jagran.com/business/top15-know-why-people-deposit-money-in-swiss-bank-18138444.html?utm_source=izooto&utm_medium=push_notification&utm_campaign=busin
- https://www.yathavat.com/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%87%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4/
- https://www.hindustantimes.com/pune-news/two-more-arrested-in-cosmos-cyber-fraud-case/story-

Hnv1fDqbcrbcNnU5RyTQ5K.html

- https://is.muni.cz/el/1423/jaro2015/SPP209/um/Jacob_2011_Economic_
- http://uphome.gov.in/writereaddata/Portal/ImpMandate/8587430558799966174.pdf
- http://www.governancenow.com/files/FICCI%20Report%20%20SMART%20Policing%20for%20Smart%20Cities.pdf
- https://aajtak.intoday.in/story/police-should-be-smart-says-prime-minister-narendra-modi-in-guwahati-1-789537.html
- https://www.researchgate.net/publication/301790412_Urban_Policing_in_India_Issues_Challenges_and_Initiatives
- The Indian Police Journal ,January - March, 2016
- Theories_of_Crime_and_Delinquency.pdf
- http://www.mca.gov.in/
- http://www.mca.gov.in/MinistryV2_hn/homepagehindi.html
- http://www.cybercelldelhi.in/
- https://www.finmin.nic.in/hi
- https://www.navimumbaipolice.gov.in/cyber-cell/
- http://www.enforcementdirectorate.gov.in/hindi/index_hindi.html?p1=11810101541820591126
- http://reports.mca.gov.in/Reports/AnnualReportsEbook/2015 16/HINDI/mobile/index.html#p=19

• • •